किसान संघर्ष

अगस्त– सितम्बर 2021

22 जुलाई 2021 को दिल्ली में जंतर–मंतर पर किसान संसद के पहले दिन

26 मई 2021 को काला झंडा दिवस के दौरान किसान सभा केंद्रीय कार्यालय पर

विषय सूची

संपादकीय		**2**
किसान आंदोलन के आठ महीने	**–हन्नान मौल्ला**	**3**
किसान आन्दोलन की ऐतिहासिक जन कार्यवाहियां	**–अशोक ढ़वले**	**8**
कोरोना महामारी और मोदी निज़ाम का जनता के साथ...	**–बादल सरोज**	**12**
वाम जनतांत्रिक मोर्चे के पीछे कृषिक वर्ग की गोलबंदी...	**–विजू कृष्णन**	**14**
किसान आंदोलन और राजनीति	**–डी पी सिंह**	**16**
मनरेगा की मूल धारणा में मनुवाद घुसाने से बाज आए...	**–विक्रम सिंह**	**20**
इस मौड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते	**–मनोज कुमार**	**22**
अथ टीका पुराण और इति वैक्सीन विरोधी मुहिम का...	**–पंकज मेघ**	**25**
बहार में फसलों का निम्नतम समर्थन मूल्य और पैक्स	**–नंद किशोर शुक्ला**	**27**
मजबूत होता किसान आंदोलन भाजपा सरकार की...	**–इंद्रजीत सिंह**	**28**
किसान आंदोलन का शाहजहांपुर मोर्चा	**–गुरचरण सिंह मौड़**	**30**
छोटा किसान भाजपा राज में परेशान–प्रधानमंत्री मोदी...		**32**
बस्तर में आदिवासियों का संघर्ष	**–संजय पराते**	**33**
किसान मजदूरों का राज्य स्तरीय पटना कन्वेंशन	**–प्रभुराज नारायण राव**	**35**
जल जंगल ज़मीन और किसान की लूट के खिलाफ	**–गंगाधर नौटियाल**	**36**
किसान सभा की अगुवाई में तमिल किसान दिल्ली पंहुचे		**37**
हरियाणा के किसान आंदोलन की विभिन्न कार्यवाहियां		**38**

संपादकीय

किसान संघर्ष के पिछले अंक के प्रकाशन के समय देश में कोविड की दूसरी लहर शुरू हो चुकी थी। यह समय सभी देशवासियों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सरकारो की लापरवाहियों और व्यवस्थागत कमजोरियों के कारण यह संकट भयावह हो गया था। पुरे देश से संक्रमण के बढ़ते आंकड़ो और मौतों की खबरे आ रही थी। जीवनरक्षक दवाओं और प्राणदाईओक्स ऑक्सीजन की कमी के करना भी जिंदगियां गई और उस के बाद सरकार के मंत्री द्वारा बेशर्मी के साथ संसद में कह दिया गया की ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। यह सरकार की असंवेदनशीलता और जनता के प्रति उन गैरजिम्मेदारी को दर्शाता है। कोविड महामारी और इस से जुड़े लॉकडाउन ने लोगों की तकलीफों को कई गुना बढ़ा दिया। एक विशाल रोज़गार संकट देशवासियों के समक्ष आ खड़ा हुआ तथा उस के ऊपर जानलेवा महगाई ने स्थितियों को और बत्तर कर दिया। अब कमज़ोर आर्थिक हालात, बेरोज़गारी व मंहगाई से आम जनता पस्त है।

देश की सब से बड़ी पंचायत संसद में भी गतिरोध चल रहा है। मोदी सरकार पर अपने ही नागरिकों, विपक्षी नेता व पत्रकारों की जासूसी कराइ जा रही है। देश के जनतांत्रिक मूल्यों पर हो रहे हमले लगातार जारी है साथ ही और भी तीव्र होते जा रहे है। विरोधियों व असहमति रखने वालों का व्यवस्थागत तरीके से उत्पीड़न मोदी राज में सामान्य सी बात हो गई है। समाज में नफरत का जहर घोलने के प्रयास और इस के दोषियों को सरकार का संगरक्षण भी भाजपा नेतृत्व में बदस्त ज़ारी है। संसद के अंदर भी सरकार जहा फ़स रही हो, उन तमाम मुददों पर बात करने से भाग रही है और विपक्ष के विरोध को मोके के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आने वो सभी बिल जो वो चाहतीं थी विना बहस के पास करवा गई। संसद की गरिमा और संसदीय मर्यादा के स्तर में भरी गिरावट साफ देखी जा सकती है।

खेती विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आन्दोलन को अब लगभग आठ महीने हो गए पर सरकार किसानो से बात करने को तैयार नहीं है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं पर सरकार उन से बात कर उन की चिंताओ को दूर करने की बजाय, किसानो और उन के आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रही है। देश भर से, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में किसान व आम जनता से मिल रहा समर्थन सरकार को उस के इरादों में नाकाम कर रहा है। सयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा तथा अन्य सयुक्त आह्वानो पर किसानो व अन्य वर्गों से आन्दोलन को उत्साहजनक सहयोग मिला।

किसान संघर्ष के इस अंक में किसान आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं व देश के मौजूदा हालातो पर चर्चा की गई है। हमें आशा है की यह महत्वपूर्ण मुददों पर हमारे साथियों की समझ बढ़ने में मददगार होगी और किसानो के संघर्षो को दिशा देने का काम करेगी।

किसान आंदोलन के आठ महीने

–हन्नान मौल्ला

आजादी के बाद का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एकजुट और शांतिपूर्ण किसान आंदोलन, निरंतर मजबूत होता जा रहा है। आंदोलनकारी किसानों ने गत 6 मार्च को संघर्श के 100 दिन पूरे कर लिए थे। किसानों ने कडकड़ाती ठंड, बारिश और अब चिलचिलाती गर्मी में अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए अभूतपूर्व एकता, दृढ़ निश्चय तथा ताकत का परिचय दिया है। क्योंकि किसान विरोधी मोदी सरकार ने उन्हें राजधानी में नहीं आने दिया था, इसलिए वे दिल्ली के पांच बॉर्डरों–सिंधू, टीकरी, गाजीपुर, पलवल तथा शाहजहांपुर– पर हजारों की तादाद में शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका अदा की है। हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के किसान भी हजारों की तादाद में उनके साथ आ मिले।

महामारी में रेल सेवाओं की कमी के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों के अनेक किसान भी उनमें शामिल रहे हैं। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अब तक करीब 526 किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि सरकार की उदासीनता, दमन, प्राकृतिक आपदाओं और भारी कठिनाइयों के बावजूद, जब तक तीन कृषि कानूनों को निरस्त नहीं कर दिया जाता, एमएसपी के लिए समुचित कानून नहीं बन जाता, बिजली कानून में संशोधनों को वापस नहीं ले लिया जाता और किसान विरोधी पर्यावरण नियमों को वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

किसान आंदोलन पर निरंतर सरकारी हमले

सरकार ने कई तरह से इस आंदोलन पर हमला किया है। पहले लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछारों और राष्ट्रीय राजमार्ग को खोदने आदि के जरिए भारी दमनचक्र चलाया गया। फिर उन्होंने बिजली काटने, पानी की आपूर्ति बंद करने, साफ––सफाई न कराने और मुश्किलें खड़ी करने के लिए अपने दलालों को आंदोलन में भेजने के जरिए, विभिन्न धरना स्थालों पर प्रदर्शनकारियों के लिए उन्होंने अनेक समस्याएं खड़ी कीं।

सरकार और संघ परिवार ने कार्पोरेट गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके आंदोलन के खिलाफ कुत्सा प्रचार किया। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तान एजेंट, चीनी एजेंट, सेना के लिए आपूर्ति को बाधित करनेवाले देशद्रोही आदि, कहकर और इस पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा आयोजित आंदोलन होने के और न जाने क्या–क्या आरोप लगाकर, इस आंदोलन को बदनाम किया।

इस बीच भाजपा सरकार ने एक नया षडयंत्र रचा और कुछ भाजपा नेताओं ने किसान आंदोलन के संघर्ष स्थलों को खाली कराने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा दिया। भाजपा व आरएसएस के हिंसक गुंडों ने बॉर्डरों पर समस्याएं खड़ी करने की भी कोशिश की।

गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने भारी पुलिस ऑपरेशन की योजना बनायी थी। आरएसएस के गुंडे और भाजपा के विधायक किसानों को धमकाने तथा जबर्दस्ती उनको वहां से हटाने के लिए पंहुचे थे।

इससे पहले गणतंत्र दिवस पर अपने एजेंट उकसावे बाजों का इस्तेमाल कर उन्होंने एक भयावह षडयंत्र रचा, जिसके चलते लाल किले की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आयीं और उनका इस्तेमाल कर किसान नेताओं को दोशी ठहराया गया और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया गया।

लेकिन किसान किसी भी हमले का सामना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने प्रतिरोध किया और हजारों की संख्या में गाजीपुर, सिंघू तथा दूसरे बॉर्डरों पर पंहुचकर जबर्दस्त प्रतिरोध किया और संघी गुंडों तथा पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे आंदोलन को नयी ताकत मिली।

लेकिन इन तमाम प्रयासों के चलते केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति और मोदी–षाह निजाम की करतूतें ही बेनकाब हुई।

आंदोलन को व्यापक समर्थन

इस अनुशासित, शांतिपूर्ण तथा संगठित किसान आंदोलन ने, भारत और दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्शित किया। आंदोलनकारी किसानों को देश की जनता के विभिन्न तबकों का समर्थन तथा सराहना मिली। आंदोलनकारी किसानों को दुनिया के सैकड़ों देशों में काम करनेवाले मेहनकष भारतीयों का समर्थन मिला। दुनिया के विवेकवान तथा जनतांत्रिक जनमत तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सहानुभूति तथा समर्थन भी, किसान आंदोलन को प्राप्त हुआ।

सबसे महत्वपूर्ण समर्थन मिला भारतीय मजदूर वर्ग से। पहले दिन से ही सीटू तथा सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने किसान संघर्श के साथ अपनी सक्रिय एकजुटता दिखाई और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजदूरों ने मार्च किया। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और रास्ता रोको–रेल रोको, भारत बंद तथा रैलियों जैसी किसान आंदोलन की कार्रवाइयों में, सीधे शामिल होकर उन्होंने हर तरह का सहयोग दिया। अनेक यूनियनों तथा फेडरेशनों ने इस आंदोलन को वित्तीय मदद भी मुहैया करायी। खुद मजदूरों पर भी, यह मोदी सरकार भयावह हमला कर रही है।

तमाम श्रम कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और मजदूरों को कार्पोरेटों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दास बनाने के लिए चार श्रम संहिताएं पारित की गयी हैं। इन संहिताओं के जरिए, उनके तमाम अधिकार छीन लिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है और सरकार तमाम राष्ट्रीय संपत्तियों को, निजी कंपनियों के हाथों बेच रही है, फिर चाहे वे भारतीय हों या विदेशी।

मजदूर इन हमलों के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसान संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के नेताओं की संयुक्त बैठकें हुयी हैं और उन्होंने मोदी सरकार की किसानविरोधी एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मिलकर लड़ना तय पाया है।

मजदूर–किसान एकता का एक नया आयाम खुला है जिससे निश्चित रूप से जनतांत्रिक आंदोलन और मजबूत होगा।

जनता के तमाम तबके इस ऐतिहासिक संघर्ष के साथ खड़े हैं। सभी महिला संगठनों ने इस संघर्ष को अपना समर्थन दिया है और दिल्ली के बॉर्डरों पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने समेत, विभिन्न विरोध कार्रवाइयों के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को लामबंद किया है।

महिला किसानों ने इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया है और उन्होंने देशभर से महिलाओं का समर्थन जुटाया है। छात्रों तथा युवाओं ने इस संघर्ष को अपना समर्थन दिया है और इस आंदोलन में भागीदारी भी की है। इस पूरी अवधि के दौरान उन्होंने आंदोलन की मदद करने के लिए वालंटियरों के रूप में काम किया है और सोशल मीडिया पर संघर्ष के संदेश को प्रसारित करने में शानदार भूमिका अदा की है। साथ ही उन्होंने कई तरह की एकजुटता कार्रवाइयों का भी आयोजन किया।

शोषित–पीडित जनता के दूसरे तबके, दमित आदिवासी तथा दलित और उनका प्रतिनिधित्व करनेवाले संगठन, इस आंदोलन के साथ खड़े रहे हैं। बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, वकील, वैज्ञानिक और पत्रकार भी, किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं। इस समर्थन से किसानों को नैतिक बल मिला है और उनके आंदोलन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के खिलाफ झूठ प्रचारित करने के लिए कार्पोरेट गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया। लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने और खासतौर से प्रिंट मीडिया ने, संघर्ष को कवर किया और भाजपा सरकार के किसान विरोधी रुख की आलोचना की।

आंदोलन के पहले सौ दिन गतिविधियों से परिपूर्ण रहे किसान आंदोलन के पहले सौ दिन केंद्र में और साथ ही साथ देश के विभिन्न हिस्सों में भी किसानों की गतिविधियों से परिपूर्ण रहे। इस अवधि के दौरान दो भारत बंद आयोजित किए

और उनमें से हरेक में किसानों और मजदूरों समेत 30 से 35 करोड़ लोगों ने भाग लिया।

रेल रोको कार्रवाई का आयोजन किया गया और देश भर में हजारों जगहों पर लोगों ने रेलें रोकीं। इसके बाद रास्ता रोको का आयोजन किया और तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों को किसानों तथा अन्य लोगों ने रोका। इस अवधि के दौरान गांव तथा ब्लॉक स्तर अनगिनत संख्या में विरोध सभाओं का आयोजन किया गया और जिला तथा राज्य स्तरों पर रैलियों का आयोजन किया गया। अमानवीय, जनतंत्र विरोधी फासीवादी सरकार ने इन विरोध कार्रवाइयों पर

कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए एसकेएम को अपना आंदोलन और तेज करना पड़ा और इसलिए आंदोलन के सौंवें दिन कुंडली–मानेसर–पलवल (केएमपी) और आउटर रिंग रोड पर रास्ता रोको कार्रवाई का आयोजन किया गया। यह प्रतिरोधी कार्रवाई जबर्दस्त ढ़ंग से सफल रही और सरकार की उदासीनता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन सामने आया।

इस चरण के दौरान सरकार ने किसान नेताओं के साथ बैठकें भी आयोजित कीं और बातचीत के 11 दौर हुए। लेकिन इस बातचीत के दौरान सरकार ने कानूनों के कुछ हिस्सों को संशोधित करने संबंधी अपने ही निर्णय किसानों पर थोपने की कोशिश की। एसकेएम ने इस पाखंड को पूरी तरह ठुकरा दिया। क्योंकि ये कानून पूरी तरह से किसान विरोधी हैं और उनमें कुछ छोटे–मोटे बदलावों से उनमें कोई सुधार नहीं होनेवाला। जब गंगा का स्रोत गंगोत्री ही प्रदूषित हो तो जाहिर है गंगा को साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए, किसान आंदोलन ने इन कानूनों को पूरी तरह निरस्त किए जाने की मांग की। इसके बाद सरकार ने बातचीत करनी बंद कर दी और जनवरी महीने के बाद से कोई बातचीत नहीं हुयी है। भाजपा सरकार सिर्फ झूठ प्रचारित कर रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि वे किसानों से मात्र एक फोन की दूरी पर हैं। लेकिन वह फोन कभी नहीं आया। सरकार का असली मकसद आंदोलन को थका देने का था और वह चाहती थी कि हताष–निराष किसान संघर्श का मोर्चा छोडकर वापस लौट जाने को मजबूर हो जाएं।

एसकेएम सिर्फ ऐसी गंभीर बातचीत में विश्वास करता है जिससे समस्या का हल निकलता हो और ऐसी बातचीत के लिए वह हमेषा तैयार है। लेकिन सरकार झूठे प्रचार के जरिए सिर्फ लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। सरकार के इस षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए किसानों ने जबर्दस्त अभियान चलाया और तब तक संघर्श जारी रखने का निर्णय लिया, जब तक कि मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

बदलती कार्यनीतियां

भाजपा सरकार के षड्यंत्र के तहत जैसे–जैसे आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा था, वैसे–वैसे एसकेएम भी अपने संघर्श को जिंदा रखने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा। इतने लंबे और ऐसे एकजुट तथा विशाल आंदोलन की पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए, किसान आंदोलन ऐसी कार्यनीतियां विकसित कर रहा है ताकि इसे जारी रखा जा सके तथा प्रभावी ढ़ंग से आगे बढ़ाया जा सके।

फसलों की बुआई तथा कटाई के सीजन के चलते कुछ किसानों का अपने गांव लौटाना जरूरी था। इससे बॉर्डरों पर लामबंदी को प्रभावित होना ही था। जाहिर है इससे कार्पोरेट गोदी मीडिया को यह दावा करने तथा प्रचारित करने का मौका मिल गया कि किसान आंदोलन की हवा निकल रही है।

लेकिन इस प्रचार का मुकाबला यह सुनिश्चित करने के जरिए किया गया कि इस अवधि के दौरान छात्र, युवा, मजदूर, महिलाएं तथा बुजुर्ग बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हों और फिर बुआई–कटाई के सीजन के बाद किसान बड़ी संख्या में वापस लौट आएं।

संख्या का घटना, बढना आंदोलन में आ रही किसी कमजोरी की निषानी नहीं है, लेकिन किसानी की जरूरतों के मुताबिक एक कार्यनीतिक रुख अपनाना जरूरी था, ताकि लंबे समय के लिए उनकी भागीदारी सुनिष्चित की जा सके। इस समझ ने आंदोलन को बिना किसी विराम के जारी रखने में और इसे मजबूत करने में भी मदद की।

अखिल भारतीय किसान सभा की सेंट्रल किसान काउंसिल (सीकेसी) ने इस स्थिति का आकलन किया और मोदी सरकार की कार्पोरेटपरस्त तथा जनविरोधी नीतियों को बेनकाब करने का निर्णय लिया। सीकेसी ने यह नोट किया कि एकजुट किसान आंदोलन ने सत्ताधारी एनडीए में दरार पैदा कर दी है और अकाली दल जैसे उसके कुछ घटक एनडीए छोड़ गए हैं और कुछ दूसरे घटकों ने खुलकर सरकारी नीतियों की आलोचना की है।

उसने यह भी नोट किया कि किसान आंदोलन ने देष में जनतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष लोगों के तमाम तबकों में भारी उत्साह पैदा किया है और उसने देष में जनतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरित किया है। इसे मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा ने अपने काम को और तेज करने, तमाम वर्गीय तथा जनसंगठनों की एकता को मजबूत करने और वामपंथी तथा जनतांत्रिक किसान संगठनों की एकता को मजबूत करने और इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का निर्णय लिया। उधर एसकेएम ने कार्यक्रमों की एक पूरी श्रष्खला की घोशणा की। 8 मार्च को महिला किसान दिवस मनाया गया और किसान आंदोलन के समर्थन में हजारों महिलाओं को लामबंद किया गया।

15 मार्च को एसकेएम तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों (सीटीयू) ने निजीकरणविरोधी, कार्पोरेटविरोधी दिवस मनाया। अपने मुद्दों को बड़े पैमाने पर जनता तक पंहुचाने के लिए अनेक राज्यों में किसान महापंचायतों की श्रष्खलाओं का आयोजन किया गया जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया। ऑनलाइन भी अनेक सभाओं का आयोजन किया गया।

अखिल भारतीय किसान सभा ने मथुरा से पलवल, हांसी से टीकरी तथा खटकड़ कलां से सिंघू बॉर्डर तक तीन पदयात्राओं का आयोजन किया, जिनमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। एसकेएम ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में षकिसानविरोधी भाजपा को हराओ के नारे के साथ इन राज्यों में चुनाव प्रचार किया।

24–25 मार्च को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने चार श्रम संहिताओं तथा 3 कषशि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्षनों का आह्वान किया और किसान संगठनों ने भी इन प्रदर्षनों में भाग लिया। 26 को मार्च को एक बार फिर एसकेएम तथा सीटीयू ने संयुक्त रूप से भारत बंद का आह्वान किया। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उन्हें छोडकर पूरे देष में भारत बंद आयोजित किया गया। 28 मार्च को पूरे देश में तीनों काले कानूनों को जलाने का काम किया गया। 29 मार्च को पूरे देश में होली दिवस मनाया और काले कानूनों की होली जलाई गई।

5 अप्रैल को एसकेएम ने पूरे देश में एफसीआई बचाओ आंदोलन का आह्वान किया था। पूरे देश में एफसीआई गोदामों का घेराव किया गया और एफसीआई खत्म करने की मोदी सरकार की साजिश के खिलाफ प्रतिवाद किया गया। 10 अप्रैल को मोदी सरकार के किसान विरोधी आचरण के खिलाफ दिल्ली के चारों ओर आउटर रिंग रोड तथा केएमपी को चार घंटे के लिए ब्लॉक किया

गया। 13 अप्रैल को पूरे देश में किसानों ने वैसाखी उत्सव मनाया और किसानों की मांगों को पूरा किए जोने की आवाज उठाई। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर का जन्म दिवस मनाया गया और उनके बनाए हुए संविधान पर भाजपा सरकार के हमले का विरोध किया गया।

1 मई को पूरे दुनिया के मजदूरों के साथ मिलकर एसकेएम के आह्वान पर सारे देश के किसानों ने मई दिवस मनाया और मज़दूर किसान एकता को मज़बूत किया। 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए उसी दिन भाजपा सरकार के कुशासन के सात साल पूरे हुए थे। इस दिन लाखों किसान ने काला दिवस मनाते हुए काले झन्डे फहराए और मोदी सरकार का पुतला जलाया गया।

जून महीने में किसानों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए । 5 जून को सम्पूर्ण क्रान्ति दिवस मनाया गया और काले कृषि कानूनों की प्रतियां को गांव–गांव में जलाया गया। 6 जून को मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में भाजपा सरकार ने गोली चलाकर 6 किसानों की हत्या की थी। इस दिन पूरे देश में किसानों ने शहादत दिवस मनाया। 24 जून को भाजपा, और आरएसएस की साम्प्रदायिकता व भेदभाव की नीति के खिलाफ भाईचारे को मजबूत करने के लिए कबीरदास जयन्ती को मनाया गया।

26 जून को इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए अपातकाल (इमरजेंसी) को 46 साल पूरे हुए इस दिन इस आपातकाल व साथ ही मोदी सरकार द्वारा जारी आघोषित आपातकाल के विरोध में ''खेती बचाओ जनतंत्र बचाओ'' कार्यक्रम आयोजित किए गए । संविधान और जनतंत्र पर लगातार हो रहे हमलों, विरोधियों पर देशद्रोह के मुकद्मे लगा कर जेलों में बंद किया जाने और जनविरोधी फासीवाद की स्थिति के विरोध में एसकेएम ने इस दिन ''खेती बचाओ जनतंत्र बचाओ'' नारे के साथ पूरे देश में जनतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध–प्रर्दशन किए जिसमें लाखों किसानों ने राज्य भवन घेराव करते हुए राजपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे। 30 जून को संथल विद्रोह की याद में देशभर के किसानों ने हूल दिवस मनाया। देश में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम आसमान छु रहा है और खेती का खर्च कई गुना बढ़ रहा है इसके खिलाफ 8 जुलाई को किसानों ने पूरे देश में विरोध दर्ज कराया।

19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान पूरे देश में किसान अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से मिलेगें और संसद में किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे यह निर्णय एसकेएम द्वारा लिया गया है। इसके बाद 22 जुलाई से प्रतिदिन 200 किसान संसद की ओर मार्च करेंगे। जब तक संसद सत्र चलेगा तब तक प्रतिदिन यह कार्यक्रम चलता रहेगा।

8 मई को एक ऑनलाइन जनसभा का आयोजन किया गया जिसे अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के राश्ट्रीय नेताओं ने संबोधित किया। देष के विभिन्न हिस्सों में सख्त लॉकडाउन और कोविड–19 के अभूतपूर्व प्रसार के बावजूद, कोविड प्रोटोकोलों का पालन करते हुए किसान आंदोलन ने अनेक कार्यक्रमों को जारी रखा है।

महामारी से निपटने में विफल रही सरकार

कोविड–19 महामारी के पूरे देश में ही व्यापक प्रसार ने अनेक मुश्किलें पैदा की हैं।कोविड–19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए भाजपा सरकार के समुचित तैयारियां करने में विफल रहने के चलते, गांवों में एक नयी खतरनाक स्थिति पैदा हो गयी है। लाखों लोग महामारी से पीडित हैं, लेकिन एक तो व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग नहीं हो रही है और दूसरे अस्पतालों में बिस्तरों, आइसीयू और ऑक्सीजन की भी भारी कमी है, जिसके चलते मष्त्यु दर में भारी बढ़ोतरी हुयी है।

महामारी पर अंकुश लगाने के लिए टीकाकरण बहुत ही जरूरी है, लेकिन भाजपा सरकार के गैरजिम्मेदाराना रुख के चलते समुचित मात्रा में टीके उपलब्ध ही नहीं हैं। ज्यादातर राज्यों में ग्रामीण जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। महामारी की दूसरी लहर ने, ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रामीण गरीबों को बड़े पैमाने पर और बुरी तरह प्रभावित किया है।

किसान, खेतमजदूर और कारीगर पीडितों में प्रमुख हैं।

बढ़ती मौतों की आशंका के चलते इनमें से बहुत से मामले रिपोर्ट ही नहीं हुए। व्यापक पैमाने पर सभी का मुफ्त सार्वभौमिक टीकाकरण पहली जरूरत है। चिकित्सा सुविधाएं भी फौरन विकसित की जानी चाहिए। महामारी तथा लॉकडाउन के चलते लोगों को अपने रोजगार तथा आय से हाथ धोना पड़ा है। उनके पास कोई क्रय शक्ति नहीं रह गयी है।

ऐसे में एसकेएम की यह मांग है कि सरकार हर उस परिवार को जो आयकर का भुगतान नहीं करता है, हर माह 7,500 रु0 दे और साथ ही मुफ्त राषन दे, ताकि वे जिंदा रह सकें। एसकेएम की यह भी मांग है कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत के लिए आगे आना चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए।

26 मई को इस आंदोलन ने छ महीने पूरे कर लिए। यह आंदोलन अभी भी जारी है इसी दिन दिल्ली चलो आंदोलन, आम हड़ताल तथा ग्रामीण हड़ताल (26 नवंबर, 2020) को भी आठ महीने पूरे हो गए। इसी दिन मोदी सरकार के कुषासन के सात साल भी पूरे हुए। इसलिए, एसकेएम ने 26 मई को पूरे देश में काला दिवस मनाने का आह्वान किया था।

एसकेएम तथा सीटीयू के आह्वान पर आयोजित इस विरोध दिवस में करोड़ों भारतीयों ने भाग लिया। महिला संगठनों, छात्र–युवा संगठनों, विभिन्न वर्गीय संगठनों तथा जन संगठनों और 12 राजनीतिक पार्टियों ने भी, इस कार्रवाई को अपना समर्थन दिया था।

इस दिन जीवन के तमाम क्षेत्रों में मोदी सरकार की चौतरफा विफलता के खिलाफ तमाम गांवों, शहरों तथा कस्बों में घरों, कार्यालयों तथा वाहनों पर काले झंडे फहराए गए। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए गए और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया। महामारी तथा लॉकडाउन के बावजूद, करोड़ों लोगों ने कोविड प्रोटोकोलों का पालन करते हुए इस आंदोलन में भाग लिया।

किसान आंदोलन के सबक

इन पिछले छः महीनों में एकजुट किसान आंदोलन के अनेक सबक रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इसे हाल के इतिहास का किसानों का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा आंदोलन बताया गया है।आजादी के बाद से हमारे देष में इस आंदोलन जैसी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर चल रहे इस आंदोलन में पंजाब,

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तराखंड के लाखों किसानों ने भाग लिया और देष की राजधानी के पांच प्रवेश द्वारों पर वे धरना देकर बैठ गए। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू तथा कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा देश के दूसरे राज्यों के भी, हजारों किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया।

इसके साथ ही साथ हरेक राज्य में भी विशाल विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में किसान संगठनों ने सफलतापूर्वक देश में अब तक के सबसे व्यापकतम एकजुट मोर्चे का निर्माण किया। इस मोर्चे में 500 से ज्यादा संगठन शामिल हैं। यह एक अभूतपूर्व मुद्दा आधारित एकता है। एआइकेएससीसी तथा एसकेएम इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और आंदोलन तथा उसके मुद्दों को लेकर संगठनों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। केंद्र तथा अनेक राज्यों की भाजपा–एनडीए सरकारों की ओर से आंदोलन को भारी दमन का सामना करना पड़ा। लेकिन, इस सबके बावजूद वह पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने लंबे तथा बड़े एकजुट आंदोलन में, शांति बनी रहे। तमाम तरह के उकसावों, हमलों तथा शड्यंत्रों के समक्ष किसान अनुशासित बने रहे, दृढ़निश्चय और एकजुट बने रहे।

इस संघर्ष के दौरान मजदूरों तथा किसानों की एकता भी अनोखी रही, जो पहले कभी नहीं देखी गयी थी। जनता के तमाम तबके इस आंदोलन के समर्थन में आगे आए और उन्होंने इसे सचमुच एक जन–आंदोलन बना दिया। भाजपा सरकार के हेकड़ी भरे किसान विरोधी रुख के चलते, यह आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। किसी भी जनतांत्रिक सरकार ने अपने नागरिकों की समस्या को हल करने के लिए बातचीत की पहल की होती, लेकिन इस कार्पोरेटपरस्त तथा तानाषाह प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार तथा फासीवादी संघ परिवार के चलते, ऐसा नहीं हो पाया। गत 22 जनवरी से बातचीत बंद है, हालांकि एसकेएम ने यह स्पश्ट कर दिया है कि किसी भी समाधान तक पंहुचने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है।

नरेंद्र मोदी तथा भाजपा सरकार ने किसानों के साथ दगा किया है। उन्होंने अपने पिछले सात साल के कुशासन के दौरान कार्पोरेट मुनाफे की राह हमवार करने के लिए जनविरोधी, मजदूरविरोधी तथा किसान विरोधी कदमों की एक पूरी श्रृंखला को अंजाम दिया है।वे जनता की जरूरतों के प्रति लापरवाह बने रहे हैं और उन्होंने जनता की मांगों की अनदेखी की है। उन्होंने जनतांत्रिक आंदोलनों को कुचला है और विरोध की आवाज को दबाने के लिए राजकीय शक्ति का इस्तेमाल किया है। सभी जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकप्रिय आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की गयी है।

अन्नदाता ही नहीं वोटदाता भी

भाजपा और उसके प्रधानमंत्री की बस एक ही चिंता रहती है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीत लिया जाए। उनके इन तौर–तरीकों में सांप्रदायिक तथा जातीय विभाजन पैदा करना भी शामिल है। हाल ही में संपन्न चुनावों में किसानों ने यह साबित किया कि वे सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, वोटदाता भी हैं और उन्होंने इन नीतियों के खिलाफ अपना रोश अपने मत के जरिए व्यक्त किया है।

एसकेएम ने किसानों से अपील की थी कि वे भाजपा के खिलाफ वोट डालें और क्योंकि वह किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल रही है। इसलिए, उन्हें इसकी सजा देनी चाहिए। चुनाव परिणामों ने यह दिखाया है कि बड़ी संख्या में किसानों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया और देश के तीन प्रमुख राज्यों में उसकी हार सुनिश्चित की। उत्तरप्रदेश के पंचायत चुनावों में भी यही बात सामने आयी। यही किसान विरोधी भाजपा को हराओ का नारा और उसके लिए अभियान पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखंड में होनेवाले विधानसभा चुनावों में इसी तरह बने रहेंगे। किसान जनता, शोषित–पीडित जनता का एका बनाकर, भाजपा की हार सुनिष्चित करेगी। यह संघर्श की मांगें पूरी होना सुनिष्चित करने के लिए जरूरी है। एसकेएम इस संघर्श को विजय तक ले जाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। आंदोलन के कार्यक्रमों को देष भर में इस किसान संघर्श को मजबूत बनाने के लिए तेज किया जाएगा। 26 मई का काला झंडा दिवस संघर्श के इस लंबे चरण की प्रेरणादायी शुरूआत है।

□

किसान आन्दोलन की ऐतिहासिक जन कार्यवाहियां

–अशोक ढ़वले

दिल्ली के चारों तरफ सीमाओं पर किसान पिछले आठ महीनों से बैठे है और किसान विरोधी तीन काले कानूनों का विरोध कर रहे है। हाल फ़िलहाल मे किसानो द्वार कई बड़ी राष्ट्रव्यापी कार्यवाहियां हुई, जिन में हज़ारों किसानो ने भागेदारी की। किसान द्वारा इस दौरान गुज़ारे महत्वपूर्ण दिवसों को भी मनाया गया।

26 मई की ऐतिहासिक देशव्यापी कार्रवाई के जरिए लाखों लोगों ने की मोदी निजाम की लानत–मलानत

26 मई, 2021 के दिन को इतिहास में हमेशा एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा, जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा (एस के एम) के झंडे तले दिल्ली के बॉर्डरों पर और पूरे देश में चल रहे किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष के प्रति मोदी के नेतृत्ववाली भाजपा–आर एस एस सरकार के क्रूर तथा हृदयहीन रवैए की भर्त्सना करने के लिए मनाए गए काला झंडा दिवस कार्रवाई में देश भर में लाखों लोगों ने भागीदारी की।

26 मई को इस अभूतपूर्व किसान संघर्ष को छः महीने पूरे हुए थे। छः महीने पहले इसी दिन–26 नवंबर को मजदूर वर्ग ने शानदार अखिल भारतीय हड़ताल की थी और इसी दिन मोदी के नेतृत्ववाली भाजपा–आर एस एस सरकार भी अपने सात वर्ष पूरे कर रही थी, जो आजादी के बाद की भारत की सबसे विनाषकारी सरकार साबित हुयी है।

गत 21 मई को एस के एम ने प्रधानमंत्री को एक कड़ा पत्र भेजा जिसमें उसने मांग की कि सरकार किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करे। इस पत्र में एस के एम ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

काला झंडा दिवस मनाने और मोदी सरकार के पुतले जलाने के आह्वान का पालन करते हुए देश भर में दसियों हजार स्थानों पर इन कार्रवाइयों का आयोजन किया गया और कष्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक और इससे आगे भी लाखों लाख परिवारों ने काला झंडा दिवस मनाया।

देश के हर राज्य में गांवों और बस्तियों में इन कार्रवाइयों के आयोजन की हजारों–हजार तस्वीरें तथा वीडियो एस के एम, ए आइ के एस सी सी, ए आइ के एस तथा अन्य किसान तथा मजदूर संगठनों की सोशल मीडिया साइटों पर सुबह से ही आने लगे थे।

पुतला दहन के वीडियोज में खासतौर से लोगों का रोष सामने आ रहा था। लाखों लाख घरों, दुकानों, वाहनों, ट्रैक्टरों तथा ट्रॉलियों पर विरोधस्वरूप काले झंडे फहराए गए। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर दिन भर इस आंदोलन के समर्थन में अनेकानेक हैशटैग ट्रैंड होते रहे।

कोविड महामारी की दूसरी घातक लहर के बावजूद ऐसी जबर्दस्त देशव्यापी कार्रवाई हुयी, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। महामारी के मद्देनजर खुद आयोजकों ने बड़ी केंद्रीकृत जनलामबंदियों के खिलाफ आगाही कर दी थी। आयोजकों ने आह्वान किया था कि लोग अपने आपको गांवों तथा बस्तियों तक ही सीमित रखें। लोगों ने भी सब जगह कोविड के तमाम प्रोटोकोलों का पालन करने का पूरा ख्याल रखा।

एस के एम ने काला झंडा दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, 12 प्रमुख विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और अनेकानेक वर्गीय संगठनों तथा जन संगठनों ने अपना समर्थन दिया था। इनमें अखिल भारतीय किसान सभा (ए आइ के एस), सीटू, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन (ए आइ ए डब्लू यू), एडवा, डी वाइ एफ आइ तथा एस एफ आइ भी शामिल थे।

किसानों, खेमजदूरों, मजदूरों, मध्यवर्गीय कर्मचारियों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, व्यापारियों, प्रोफेषनलों, बुद्धिजीवियों, सांस्कृतिककर्मियों तथा पत्रकारों ने भारी उत्साह तथा दृढ़ निष्चय के साथ इन विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। इन विरोध प्रदर्शनों में मोदी निजाम के खिलाफ जनता का जायज रोष जबर्दस्त ढ़ंग से सामने आ रहा था।

काला झंडा दिवस दिल्ली के बॉर्डरों–सिंधू, टीकरी, गाजीपुर, शाहजहांपुर तथा पलवल–पर टेंटों तथा ट्रॉलियों पर काले झंडे फहराकर मनाया गया। इस मौके पर मोदी सरकार के पुतले जलाए गए। विरोध प्रदर्शन स्थलों पर किसानों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और हजारों की तादाद में और लोग शामिल हो गए हैं।

दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों किसानों के दृढ़ निश्चय का सार्वभौम रूप में अभिनंदन हुआ। इस सुदीर्घ विशाल संघर्ष ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसानों ने कड़कड़ाती ठंड, बारिष और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद छः माह लंबा संघर्ष चलाया है। यह संघर्ष चलाते हुए उन्होंने भारी दमन सहा है और भाजपा–आर एस एस तथा उनके दलालों के कुत्सा प्रचार को भी झेला है।

इस 26 मई को संयोग से बुद्ध पूर्णिमा भी थी। सच्चाई, शांति तथा अहिंसा इस समय देश में जारी किसान आंदोलन के भी प्रमुख मूल्य और सिद्धांत हैं। पूरे देष के साथ ही साथ दिल्ली बॉर्डरों पर भी समुचित ढंग से बुद्ध पूर्णिमा मनायी गयी।

नयी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय किसान सभा–अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन तथा एस एफ आइ के केंद्रीय कार्यालयों में भी काले झंडे फहराए गए और मोदी सरकार के पुतले जलाए गए।

अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला, अध्यक्ष अशोक ढ़वले, सहसचिव वीजू कृष्णन, वित्त सचिव पी कृष्णाप्रसाद, सीटू सचिव ए आर सिंधु, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के सहसचिव विक्रम सिंह, एडवा महासचिव मरियम ढ़वले, सहसचिव आशा शर्मा, सी ई सी सदस्यों–मैमूना मौल्ला तथा अर्चना प्रसाद, एस एफ आइ सहसचिव धिनीत धेंटा, पी एस एम नेता दिनेश

अब्रोल आदि ने इस कार्रवाई में भाग लिया।

26 जून को देशभर ने मनाया 'खेती बचाओ–लोकतंत्र बचाओ' दिवस

26 जून को पूरे देष में हजारों स्थानों पर लाखों किसानों तथा मजदूरों ने 'खेती बचाओ–लोकतंत्र बचाओ' दिवस मनाया। 26 जून का यह दिन 1975 में तत्कालीन कांग्रेसी निजाम द्वारा थोपी गयी इमरजेंसी की 46वीं बरसी का भी था। इस वर्ष लोगों ने भाजपा निजाम की मौजूदा अघोषित इमरजेंसी की निंदा की। अभूतपूर्व किसान संघर्ष ने भी इस दिन अपने सात माह पूरे कर लिए।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के 26 जून के आह्वान को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और खेतमजदूरों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, व्यापारियों आदि के अनेक संगठनों ने अपना सक्रिय समर्थन दिया था। इस दिन की लामबंदी एक माह पहले 26 मई की उस लामबंदी को भी पार कर गयी, जब किसान संघर्ष के छः महीने पूरे होने और मोदी निजाम के विनाशकारी शासन के सात वर्ष पूरे होने पर, देशव्यापी काला झंडा दिवस मनाया गया था। बहरहाल, 26 मई की कार्रवाइयां कोरोना की दूसरी घातक लहर के बावजूद आयोजित की गयी थीं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी राहतवाली थी।

26 जून को देष भर में तकरीबन सभी राजभवनों (राज्यपाल आवासों) के बाहर विषाल प्रदर्षनों का आयोजन किया गया और देष के राष्ट्रपति को संबोधित एसकेएम के ज्ञापन की प्रतियां राज्यपालों या उनके प्रतिनिधियों को सौंपी गयी। अनेक भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और मीटिंगों की इजाजत नहीं दी गयी थी।

मोदी निजाम के खिलाफ किसानों का गुस्सा ऐसा था कि जिला कलेक्ट्रेटों और तहसील/ब्लॉक कार्यालयों के समक्ष और यहां तक कि अनगिनत गांवों तक में सैकड़ों रैलियों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था।

ऐसा तकरीबन सभी प्रमुख राज्यों में हुआ––उत्तर भारत में जम्मू–कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखंड में, दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में, मध्य भारत में मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में, पूर्वी–भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, त्रिपुरा तथा मणिपुर में और पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में। इन सभी राज्यों की सैकड़ों तस्वीरें इस संघर्ष की सफलता की गवाह हैं। स्थान के अभाव में इन कार्रवाइयों का राज्यवार ब्यौरा यहां नहीं दिया जा सकता है।

सीटू, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन, एडवा, डीवाइएफआइ, एसएफ आइ और जाहिर है कि अखिल भारतीय किसान सभा की इकाइयों ने भी, देषभर में इस संघर्ष को शानदार रूप से सफल बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की। अखिल भारतीय केंद्र और अनेक राज्यों में 26 जून की कार्रवाइयों की तैयारियों के सिलसिले में, इन संगठनों के नेताओं की बहुत अच्छी समन्वय बैठकें हुई थीं।

देश भर के मुख्यधारा के प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया को मजबूर होकर इस संघर्ष का उल्लेख करना पड़ा। जाहिर है सोषल मीडिया ने तो इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया ही था।

इस दिन चंडीगढ़ में दो सबसे बड़ी कार्रवाइयों का आयोजन किया गया, जब दो विशाल मार्च– जिनमें से हरेक 7–8 किलोमीटर लंबा था–चंडीगढ़ के दो राजभवनों पर आयोजित किए गए। पंजाब के मार्च में करीब 25,000 लोग शामिल थे, तो हरियाणावाले में करीब 15,000 लोग शामिल थे।

अखिल भारतीय किसान सभा (एआइकेएस) ने एसकेएम, एआइकेएससीसी, सीटीयू के सभी घटक संगठनों और देश भर के दूसरे तमाम जनसंगठनों को 26 जून के 'खेती बचाओ–लोकतंत्र बचाओ' संघर्ष को जबर्दस्त ढ़ंग से सफल बनाने के लिए दिल से बधाइयां दी हैं।

उसके बयान में कहा गया है कि 'जब तक इस कार्पोरेटपरस्त, जनविरोधी, तानाशाह, सांप्रदायिक तथा फासीवादी मोदी निजाम पर जीत हासिल नहीं कर ली जाती, तब तक देष भर में और ज्यादा

ताकत के साथ संघर्ष जारी रहेगा।'

22 जुलाई से 9 अगस्त तक किसान संसद

राजधानी में संसद के निकट, जंतर–मंतर पर समांतर किसान संसद के सफल आयोजन के साथ, 22 जुलाई से 9 अगस्त तक, संसद के मॉनसून सत्र के सभी कामकाजी दिनों में चलने जा रहा संसद पर किसानों का विरोध भी चला।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हर रोज जंतर–मंतर पर 200 प्रदर्शनकारियों से किसान संसद का आयोजन करने का फैसला लिया है। इससे पहले, एसकेएम की 9 सदस्यीय समन्वय समिति ने दिल्ली के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में इस विरोध प्रदर्शन को व्यवस्थित, अनुशासित तथा शांतिपूर्ण ढ़ंग से अंजाम देने के लिए जरूरी कदम तय किए गए।

प्रदर्शनकारी अपने पहचान पत्रों के साथ हर रोज सिंघू बॉर्डर से रवाना हुए। अनुशासन का किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाष्त नहीं किया जाएगा। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पंजाब तथा हरियाणा के अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान से किसानों के जत्थे, इस कार्रवाई में शामिल हुए।

इसके अलावा 26 जुलाई तथा 9 अगस्त को महिला किसानों के विशेष मार्च आयोजित किए गया जिनमें पूर्वोत्तर के राज्यों समेत भारत भर की महिला किसानों तथा नेताओं के बड़े–बड़े जत्थे शामिल हुए।

इसी बीच बब्बू मान, अमितोज मान, गुल पनाग जैसे लोकप्रिय पंजाबी कलाकारों ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों तथा स्थानीय लोगों के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां दीं।

इन कलाकारों ने किसान आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया और तमाम नागरिकों से अपील की कि वे किसानों के समर्थन में खड़े हों।

जाने–माने अर्थशास्त्री रंजीत सिंह घुम्मन भी टीकरी बॉर्डर आए और उन्होंने किसानों को संबोधित किया और उनके आंदोलन के लिए अपने समर्थन का इजहार किया।

पहले 4 तथा 5 अगस्त को किसान संसद ने भारत सरकार द्वारा उत्पादन की लागत की गणनाओं से संबंधित मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जहां अनेक लागतों को दबा दिया जाता है। किसान संसद ने इस तथ्य की कड़ी निंदा की कि मोदी सरकार एमएसपी की घोषणा करने के लिए लागत की अवधारणाओं का कपटपूर्ण ढ़ंग से इस्तेमाल करती है।

सी2+50' के फार्मूले का इस्तेमाल करने की बजाय सरकार ए 2+एफ एल (परिवार के श्रम) का फार्मूला इस्तेमाल करती है, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन है। ऐसी अनेक कृषि पैदावारें हैं, जिनके लिए किसी तरह का कोई एमएसपी घोषित ही नहीं किया जाता है, जबकि हर किसान के लिए ऐसी एमएसपी की गारंटी की व्यवस्था बनाए बिना एमएसपी की घोषणा करना बेमानी है।

किसान संसद ने भारत सरकार को यह निर्देश देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि वह फौरन संसद में एक ऐसा विधेयक पेश करे जो लागत गणनाओं के मामले में हो रहे मौजूदा अन्याय, एमएसपी के फार्मूले और गारंटीशुदा एमएसपी के लागू होने की मांगों को पूरी तरह संबोधित करे।

ऐसे विधेयक के तहत तमाम कृषि पैदावारें तथा तमाम किसान कवर होने चाहिए। इस प्रस्ताव में स्वामीनाथन आयोग की दूसरी अनेक प्रगतिशील सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की गयी थी। गत 5 अगस्त को पारित इस प्रस्ताव का अमली हिस्सा इस प्रकार है:

अ. भारत सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि वह फौरन एक ऐसा विधेयक पेष करे जिसमें निम्नलिखित आवष्यक तत्व शामिल हों और भारतीय संसद को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इसे पारित करे:

–जो उत्पादन की सर्वसमावेषी लागत सी 2 के ऊपर कम से कम 50 फीसद के हिसाब से लाभकारी मूल्य दे, जैसी की राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिष है। इसके अलावा फसलों के विषम पैटर्नों को संबोधित करने के लिए जो कुछ कृषि वस्तुओं के लिए सी2+50' से ज्यादा एमएसपी दे।

–जो लागत के उन घटकों को भी हिसाब में ले जिनकी इस वक्त गलत गणना की जा रही है और जिन्हें दबाया जा रहा है, इसके साथ ही साथ जो उन सर्वेक्षणों में सुधार करे, जिन पर रमेशचंद कमेटी रिपोर्ट के लागत अनुमानों के अनुसार पंहुचा गया है।

– इस तरह के विधेयक में ऐसा संस्थानगत आर्किटैक्चर शामिल हो, जो सभी किसानों के लिए लाभकारी एमएसपी को एक सच्चाई बनाने के लिए जरूरी है।

ब. भारत सरकार तथा जहां जरूरी हो राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे 'किसान' की परिभाषा को अमल में लाने, कृषि भूमि के अधिग्रहण को रोकने, सभी किसानों के लिए पेंषन का प्रावधान करने, सभी किसानों को हर तरह के जोखिम आदि के लिए सार्वभौम, प्रभावी तथा समुचित फसल बीमा मुहैया कराने तथा आपदा मुआवजा दिए जाने से संबंधित, राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग) की रिपोर्ट की सभी प्रगतिशील सिफारिशों को फौरन लागू करें।

विपक्ष के सांसद पंहुचे किसान संसद

संसद का मॉनसून सत्र गत 19 जुलाई से शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में उन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों को किसान आंदोलन पिछले कई महीने से उठा रहा है। संसद भवन किसान आंदोलन के नारों से गूंज रहा था। जो नारे बुलंद किए गए वे उन नागरिकों के थे जो विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के कानूनों तथा उसकी नीतियों के जनतंत्रविरोधी तथा असंवैधानिक हमलों का सामना कर रहे हैं।

विपक्षी सांसदों ने सभी किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी करने के अलावा सरकार से तीन किसान विरोधी कृषि कानूनों तथा चार मजदूरविरोधी श्रम संहिताओं को निरस्त करने, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने और ईंधन की कीमतों को कम से

कम आधा करने की मांग की।

गत 6 अगस्त तो विभिन्न विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के सांसद किसान संसद पंहुचे। विशेष रूप से तैयार की गयी विजिटर्स गैलरी में बैठकर उन्होंने किसान संसद की कार्रवाई देखी–सुनी। मीडिया को दी गयी अपनी बाइट्स में इन सांसदों ने कहा कि वे अपनी मांगों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं।

ये सांसद कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, सीपीआइ (एम), सीपीआइ, आरएसपी, शिव सेना, टीएमसी, आइयूएमएल आदि विभिन्न विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से संबंधित थे। किसान संसद के अध्यक्ष ने, भारतीय संसद के इन सांसदों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

दूसरी ओर किसान संसद ने यह भी नोट किया कि बीजेडी, टीआरएस, वाइएसआरसीपी, एआइएडीएमके, टीडीपी और जेडी (यू) जैसी पार्टियां, किसानों के खिलाफ विभिन्न विधेयकों पर संसदीय बहसों में हिस्सा ले रही हैं। एसकेएम ने उनके इन जनविरोधी रुखों के लिए उन्हें आगाह किया।

15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस को 'किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस' के रूप में मनाया गया। एसकेएम ने अपने तमाम घटकों द्वारा इस दिन तिरंगा मार्चों का आयोजन किया गया। इस दिन किसानों तथा मजदूरों द्वारा तहसील/ब्लॉक/जिला मख्यालयों पर या फिर निकटतम किसान मोर्चों तक ट्रैक्टर/मोटरसाइकिल/साइकिल/बैलगाड़ी मार्चों का आयोजित किये गए। सभी वाहनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया।

9 अगस्त के संघर्ष में लाखों लोग शामिल

9 अगस्त का दिन सचमुच ही यादगार दिन था। वामपंथी आंदोलन की जीवंतता तथा दृढ़निश्चयता देश भर में पूरे शवाब पर थी। इस दिन दीवालिया भाजपा–आरएसएस निजाम तथा लुटेरी कार्पोरेट लॉबी के साथ उसके नापाक गठजोड़ से बने कार्पोरेट–हिंदुत्व गठजोड़ से 'भारत बचाओ' के नारे पर अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन, एडवा, डीवाइएफआइ तथा एसएफआइ जैसे वामपंथी वर्गीय तथा जनसंगठनों और अन्य प्रगतिशील शक्तियों द्वारा देष के 25 राज्यों के सैकड़ों जिलों में, लाखों लोगों को लामबंद किया गया।

79 वर्ष पहले 1942 में इसी दिन घृणित ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा दिए गए 'भारत छोड़ो' के नारे से पूरा देश गूंज उठा था।

इस विराट कार्रवाई ने, 9 अगस्त को ही सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के आह्वान पर तीन वर्ष पहले, 2018 में आयोजित देशव्यापी जेल भरो संघर्ष की याद ताजा करा दी। उस कार्रवाई के फौरन बाद, 5 सितंबर 2018 को इन तीनों वर्गीय संगठनों ने संसद पर दो लाख लोगों की विशाल रैली का आयोजन किया था। उस दिन राजधानी में हर तरफ लाल झंडे ही नजर आ रहे थे।

इस 9 अगस्त को उत्तर में जम्मू–कष्मीर से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली तक, दक्षिण में केरल से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तक, पूर्व में त्रिपुरा से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तथा ओडिशा तक, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र तक और मध्य क्षेत्र में मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ तक, हर जगह विशाल विरोध कार्रवाइयों का आयोजन किया गया। इन विरोध कार्रवाइयों में जेल भरो से लेकर चक्का जाम, सरकारी कार्यालयों का घेराव, रैलियां, प्रदर्षन तथा धरने, आदि विभिन्न तरह की कार्रवाइयां शामिल थीं।

मजदूरों, किसानों तथा खेतमजदूरों के साथ सभी धर्मों, जातियों तथा संप्रदायों की महिलाओं, युवाओं तथा छात्रों ने, इन विषाल विरोध कार्रवाइयों में भाग लिया। उन्होंने सभी मोर्चों पर कार्पोरेट की शहप्राप्त फासीवादी तथा सांप्रदायिक मोदी सरकार की चौतरफा विफलता के लिए उस पर हमला बोला। देष भर से 9 अगस्त की कार्रवाइयों की सैकड़ों की संख्या में तस्वीरें अभी भी इन संगठनों के केंद्रीय कार्यालयों में पंहुच रही हैं।

लड़ाई जारी हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने 26–27 अगस्त को भारत की जनता के सभी हिस्सों की साँझा कन्वेंषन बुलाया हैं। इसमें नये आह्वानो के मंसूबे बनेगे। इसके बाद 5 सितम्बर (को मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश) में एस के एम की विराट रैली होगी। लड़ाई आगे बढ़ेगी। □

कोरोना महामारी और मोदी निज़ाम का जनता के साथ छल–छद्म और कपट

–बादल सरोज

महामारी की तीसरी लहर के आने की आशंकाओं, जिनकी अब डेल्टा वैरिएंट के नाम पर पहचान तथा अधिकृत पुष्टि भी हो गयी है, के बीच जनता को किसी भी तरह की राहत देने से मोदी सरकार ने ठोक के मना कर दिया है। जो खुद किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है वह मोदी सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क़ानून के बाध्यकारी प्रावधानों से भी मुकर गयी है। कोरोना को बाहर से आयी और लगातार आने वाली विपदा बताकर एक तरह से उसने इसे महामारी या राष्ट्रीय आपदा तक मानने से भी इंकार कर दिया है। जिस देश में इस महामारी के कालखण्ड में करीब 50 लाख से ज्यादा मौतें हुयी हों। (गुजरात से मध्यप्रदेश तक मौतों की असली संख्या को छुपाने के आपराधिक धतकरम हर रोज उजागर हो रहे हैं किन्तु इसके बाद भी सरकारी आंकड़ा अभी 4 लाख तक भी नहीं पहुंचा है।) जन्म मृत्यु का हिसाब रखने वाले सरकारी पंजीकरण विभाग सीआरएस के मुताबिक इस साल के केवल मई महीने में मध्यप्रदेश में करीब 1 लाख 64 हजार 348 लोगों की मौत हुई है। अप्रैल–मई 2021 में कोविड–19 से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों से 40 गुना अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। इसी कालावधि के पिछली दो वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक़ मई 2019 में मध्यप्रदेश में 31 हजार और मई 2020 में 34 हजार जानें गईं थीं। जबकि राज्य सरकार के मुताबिक जनवरी से मई 2021 के बीच सिर्फ 4,461 कोविड मौतें हुई है। सीआरएस – सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम – के तहत ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया देशभर में हुई जन्म और मृत्यु का हिसाब रखता है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को खुद सीआरएस पर जन्म और मृत्यु का डेटा जमा करना होता है। अब तक के औसत के हिसाब से भारत में 86 फ़ीसदी और मध्य प्रदेश में 80 फ़ीसदी मौतें यहां दर्ज की जाती हैं। सिर्फ सीआरएस का डाटा ही औसत मौतों की संख्या और उसमे आये बदलावों का सही अनुमान देता है। यह हर मौत का रिकॉर्ड रखता है। चाहे मौत कहीं भी और किसी भी कारण से मौत हुई हो।

सीआरएस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले राजधानी भोपाल में अप्रैल–मई 2019 में 528 मौतें हुई थी, 2020 में इसकी संख्या 1204 थी, लेकिन साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कुल 11045 लोगों की मौतें हुई हैं। सामान्य दिनों में होने वाली मौतों से यह दो हजार फीसदी ज्यादा है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत इंदौर में हुई है। यहां अप्रैल–मई 2021 में 19 हजार लोगों की जान गई है। भोपाल, इंदौर के शमशानों में लम्बी लम्बी प्रतीक्षा सूची और कतारबद्द शवों की सचित्र ख़बरों से वे अखबार भी पटे हुए थे जो सरकार की निगाह में काफी सज्जन, सुशील और गोद में ही सुखी रहने वाले अबोध माने जाते हैं। कुल मिलाकर यह कि पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से मई के बीच 1.9 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा ही है। क्योंकि दूरदराज के गाँवों की मौतों का इंदराज सीआरएस के आंकड़ों में शामिल हुआ होगा इस पर यकीन करने की कोई वजह नजर नहीं आती। इन पंक्तियों के लेखक ने पिछले सप्ताह अमरकंटक की पहाड़ियों के बीच बसे गाँवों के आदिवासियों के साथ चर्चा में पाया था कि ऐसा कोई गाँव या टोला नहीं था जहां अप्रैल–मई में लगभग हर सप्ताह कोई न कोई मौत न हुयी हो।

मरने वालों की गिनती में गड़बड़ी करने वाला मध्यप्रदेश अकेला नहीं है । लाख छुपाने के बावजूद सामने आये तथ्यों और प्रमाणों से यह साबित हो गया है कि समूचे गुजरात में जितनी मौतों – करीब साढ़े तीन हजार – का दावा मोदी के गुजरात की मोदी की पार्टी की सरकार कर रही थी लगभग उतनी – 3100 से ज्यादा – मौतें तो अहमदाबाद के सिर्फ एक अस्पताल में ही हुयी थीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविद के शहर उत्तरप्रदेश के कानपुर में अकेले एक दिन में सामान्य दिनों की तुलना में पांच गुना से ज्यादा दाहसंस्कार हुए – औसत संख्या से कोई 400 ज्यादा शव जलाये गए जबकि सरकारी आंकड़ों में इस दिन कोविद–19 से मरने वालों की संख्या सिर्फ 3 बताई गयी। इसी तरह के झूठों के उजागर होने पर हरियाणा के संघी मुख्यमंत्री खट्टर, "जाने वाले कभी नहीं आते" का तत्वज्ञान बघार चुके हैं। कर्नाटक, आसाम से बिहार तक मौतों की वास्तविक संख्या छुपाने की यह चतुराई एक जैसी है। इस कदर दक्षता और भक्तिभाव के साथ अमल में लाई गयी है जैसे सबको ऐसा करने के लिए शिक्षित, दीक्षित और निर्देशित किया गया हो।

मौतें और उनमे अचानक इतनी ज्यादा बढ़त सिर्फ संख्या के इधर उधर होने या तात्कालिक रूप से झांसा देकर "पाजिटिविटी अनलिमिटेड" का स्वांग रचाने भर का मामला नहीं है। इसका बची हुयी जिंदगियों की सलामती के साथ गहरा रिश्ता है। चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से यह इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि वे जान समझ सकें कि इनका कारण क्या है और उसके आधार पर भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए समुचित कदम और इलाज ढूंढा जा सके। यदि सरकारे इन मौतों को कोविद 19 की महामारी से हुयी मौत नहीं मानती तब तो यह पता लगाना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी अदृश्य और अब तक अनचीन्ही बीमारी थी जो इस महामारी का कारण बनी। मगर यह काम शुरू तो तब होगा न जब उन मौतों को मौत माना जाएगा।

शुरू में कुछ धीरे धीरे – कोरोना की दोनों लहरों के बीच कुछ ज्यादा तेजी के साथ लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि ज्यादा मारक और संहारक कारपोरेटी हिंदुत्व का वह विषाणु है जो बाकी महामारियों के विषाणुओं की आमद निर्बाध और निर्विघ्न सुनिश्चित करने के लिए द्वारपाल बना डटा है। जो सिर्फ आज के भारतीयों की जान के लिए ख़तरा भर नहीं है – अगर उसकी चली तो – अगली पीढ़ियों का जीना मुहाल करने के लिए तत्पर और तैयार बैठा है। जैसा कि कहा जाता है ; जानकारी बचाव की शुरुआत होती है। बाकी का काम इसके बाद शुरू होता है। जिसमे यही जानकारी एक हथियार बन जाती है। क्यूँकि दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा हो जाता है।

घर के कमाने वालों की मौतों के चलते लाखों परिवारों को दो जून के खाने और जिंदगी बचाने के लाले पड़े हों, दसियों हजार बच्चे–बच्चियां अनाथ और बेसहारा हो गए हों, जिस देश में मात्र एक साल की महामारी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन काटने को अभिशप्त

नागरिकों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गयी हो, उस देश की सरकार का नकद राहत और मुआवजा देने को लेकर अपनाया गया यह बेशर्म और निर्मम रवैया सभ्य समाज को हतप्रभ करने वाला है। खासतौर से उसका यह दावा कि प्रत्येक मौत पर 4–5 लाख रुपयों का मुआवजा देने की वित्तीय क्षमता उसकी नहीं है , कि राजकोष में इतना पैसा ही नहीं है ; खुद उसके हालिया बर्ताव और कुछ चुनिन्दा कामो, लोगों के लिए खैरात बांटने के जाहिर उजागर कारनामो से मेल नहीं खाता है ।

राजधानी दिल्ली की प्रतीक पहचान रही मजबूत इमारतों को तोड़कर मोदी–महल सहित सेन्ट्रल विस्टा बनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये फूंकने की बात पुरानी हो चुकी है। हर रोज इसी तरह के अपव्यय और अमानत में खयानत के नए हादसे सामने आते रहते हैं। गुजरे सप्ताह आई बैंक ऋणों के "समझौतों" की खबरों में दर्ज आँकड़े चौंकाने वाले हैं। पूरी सूची की माफ़ की गयी रकम के विस्तार में न जाएँ और सिर्फ 12 बड़े बड़ों की ही बात करें तो उनकी कर्ज माफी ने बैंकों को (मतलब जनता और सरकार को) 2 लाख 79 हजार 971 करोड़ रुपयों का चूना लगा दिया। इन 12 कंपनियों पर कुल बकाया था 4 लाख 42 हजार, 827 करोड़ रुपया – जिसमे से कुल जमा 1 लाख 62 हजार 856 करोड़ रुपये देने पर बाकी को माफ़ करने का समझौता कर लिया गया। ध्यान रहे कि यह रकम 2019 में कारपोरेट कंपनियों के माफ़ किये गए कर्जों की करीब दो लाख करोड़ रुपयों की राशि से अलग है। यह घपला कितना विराट है इसे एक कम्पनी – शिवा इंडस्ट्रीज – के उदाहरण से समझा जा सकता है। इस कंपनी पर बैंकों का बकाया था 4,863 करोड़ –"समझौते" में निर्णय हुआ कि कम्पनी सिर्फ 323 करोड़ चुकायेगी बाकी माफ़ कर दिए जाएंगे। ये 323 करोड़ रुपये बकाया रकम का मात्र 6.5 प्रतिशत हैं, जो एक साल की ब्याज से भी कम हैं। यह समझौता या बाकी ऐसे सभी समझौते भागते भूत की लंगोटी भली जैसी कहावतों को भी पीछे छोड़ उन्हें चोर को तिजोरी थमाने और उसे भी खुद अपने कन्धों पर लादकर उसके घर तक पहुँचाने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के विरोध के बावजूद इन बड़ी कारपोरेट कंपनियों को इतनी विराट राशि की "छूट" बिना राजनीतिक नेतृत्व ; मोदी–शाह और निर्मला के अनिर्मल अनुमोदन के बिना संभव नहीं है। अचरज की बात नहीं है कि किसानो की कर्जामुक्ति और सब्सिडी की इनकी तुलना में ज़रा सी राशि पर पर रो रोकर आकाश गुँजाने वाले इस तरह की लूट पर सुबकते भी नहीं हैं। आखिर उन्हें राजा का बाजा बजाने के लिए ही तो छोड़ा गया है। इसकी कीमत छोटे और मंझोले उद्योग धंधों को भी चुकानी पड़ रही हैं। इन रोजगार सघन उद्यमों को मिलने वाला बैंक ऋण लगातार घटता जा रहा है।

जिस देश की सरकार के पास आपदा के शिकार भारतीयों को राहत और मुआवजे के रूप में देने के लिए अठन्नी तक नहीं है उस देश में लुटेरी कमाई की बाढ़ आयी हुयी है। यह अम्बानी की दौलत का 90 करोड़ और अडानी की सम्पदा का 120 करोड़ रुपया प्रति घंटा तक पहुँच जाने तक ही नहीं रुकी है। इसकी रिसन ने अब स्विस बैंक की तिजोरियों को भी लबालब भर दिया है। अवैध कमाई को छुपाने का स्वर्ग मानी जाने वाली स्विस बैंक में भारतीय व्यक्तियों और फर्मो की जमा राशि में जबरदस्त उछाल आया है और सारी मदों को जोड़ लिया जाए तो यह 13 वर्ष की सबसे बड़ी रकम बन गया है। काले धन को वापस लाने की घनगरज – ज्यों ज्यों दिन की बात की गयी त्यों त्यों रात हुई की गत में पहुँच कर काले धन का भण्डार बढ़ाने की स्थिति तक आ गयी है।

इस बीच जनता की जमापूंजी से खड़ा किया सार्वजनिक क्षेत्र कौड़ियों के मोल इन मगरमच्छो के हवाले किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सहित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे अम्बानी या अडानी को बेचा न गया हो। यही वजह है की महामारी के दौरान ये दोनों एशिया के नंबर एक और दो रईस बन गए। निजीकरण की लूट का एक उदाहरण उन्होंने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का दिया। करीब 35 हजार मजदूरों और 3 लाख करोड़ रुपयों की संपत्ति वाले इस प्लांट को मोदी शाह सरकार सिर्फ 1300 करोड़ रुपयों में बेचने की फ़िराक में है ।

ठीक इस बीच कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका क्या कहर ढाएगी यह समझा जा सकता है। पहली लहर में ताली–थाली बजाने और दूसरी के वक़्त आँखें चुराकर मौतें बुलाने वाले तीसरी की आशंका के समय खाली जेब और सूना खजाना दिखा रहे हैं। यह शुद्द आदमखोरी नरसंहारी मानसिकता है।

गोयबल्सी गुरुकुल में शिक्षित दीक्षित गिरोह ने इस सबके खिलाफ उठने वाले जन–रोष की जो काट ढूंढ़ निकाली है वह दोमुँही है। पहली हेल हिटलर की तर्ज पर उसकी खराब कार्बन कॉपी "वाह मोदी जी वाह" से आकाश गुंजाने की है। फ़ौरन वैक्सीन दिए जाने की अनेक राज्य सरकारों की माँगों और वैक्सीनेशन के लिए बजट में रखे गए 35 हजार करोड़ रुपयों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये गए जवाबतलब के दबाब में मोदी सरकार मुफ्त टीकाकरण की घोषणा करने के लिए मजबूर हुयी। इसका एलान करने के लिए टेलीविज़न पर अवतरित हुए प्रधानमंत्री ने फ्री फ्री फ्री शब्दों को इतनी बार दोहराया जैसे वाकई सब कुछ फ्री होने वाला है। उत्सवी मानसिकता का विद्रूप प्रदर्शन करते हुए होर्डिंगों–विज्ञापनों से सारा देश पाट दिया और अब तक की नाकामियों को भुलाने के लिए लोगों को मंत्रबिद्ध करने के सारे उपाय आजमा लिए। लेकिन अपराध इतने बड़े और जघन्य तथा महामारी इतनी निरंतर और अनन्य हैं कि उन्हें सहज ही नहीं भुलाया जा सकता। दूसरी साम्प्रदायिक और अन्य आधारों पर अपने ही देश के लोगों को बाँटने और ध्रुवीकरण करने की अनेकों बार आजमायी हुयी कुटिलता है। इसे उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक प्रायोजित हत्याओं और उपद्रवों में देखा जा सकता है।

मगर इस बार लोग झांसे में आते नहीं दिख रहे। जिस तरह दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा हो जाता है, जिस तरह काठ की हांड़ी बार बार नहीं चढ़ती, उसी तरह अब भारत के अधिकाँश नागरिक चाल–चरित्र–चेहरे की बात करने वाली भाजपा–आरएसएस के छल–छद्म और कपट को समझ चुके हैं। कुछ महीनों बाद होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शासक गिरोह की फूंक सरकी हुयी है। यह समय है जब जनता के आंदोलनों ने अपनी रफ़्तार तेज की है। किसान आंदोलन नए आव्हानो के साथ आया है, मजदूर कर्मचारियों ने उनका साथ देते हुए नए नए मोर्चे खोले हैं। रक्षा उत्पादक उद्योगों से लेकर प्रोजेक्ट कर्मियों तक संघर्ष नयी ऊंचाई पर पहुंचा है। रोजगार के सवाल पर बिहार और उत्तरप्रदेश से युवाओं की स्वतःस्फूर्त हलचल लगातार तेज से तेजतर हो रही है। ईंधन वाले और खाने वाले तेलों की आपस में होड़ करती दौड़ से आसमान छूती महंगाई के विरुध्द जगह जगह विरोध कार्यवाहियां लोगों के बीच दिखाई दे रहे इन्ही जागरणों के उदाहरण हैं।

दीवार पर साफ़ साफ़ लिक्खा है कि आने वाले दिन हुक्मरानो के नहीं जनता के अच्छे दिन होने जा रहे हैं ।

□

वाम जनतांत्रिक मोर्चे के पीछे कृषिक वर्ग की गोलबंदी ने इसकी ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं

–विजू कृष्णन

केरल के लोगों ने माकपा के नेतृत्व वाले वाम जनतांत्रिक मोर्चे को ऐतिहासिक जनादेश दिया है और दशकों में पहली बार एक मौजूदा सरकार को भी मजबूती के साथ फिर से चुना है। यह पांच साल की विकास गतिविधियों, सामाजिक कल्याण उपायों और कॉमरेड पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई जनपक्षीय नीतियों के असर का विशाल जनादेश था। केरल के लोगों ने पिछले पांच वर्षों में असाधारण संकटों – दो बाढ़, सूखा, ओखी चक्रवात, संक्रामक और घातक निपाह वायरस के साथ–साथ वर्तमान में कोविड महामारी पर काबू पाने वाले और प्रभावी ढंग से जनपक्षीय फैसलो को लागू करने वाले वाम जनवादी विकल्प को आगे बढ़ाया । तथ्य यह है कि एलडीएफ सरकार की उपलब्धियां तब आईं जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्री की भाजपा सरकार ने धन या जीएसटी का वैध हिस्सा भी नहीं देकर राज्य के साथ भेदभाव किया और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ तथा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए एवं सभी प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक व जातिवादी ताकतें की विघटनकारी भूमिका के बावजूद चुनावों में मिल्ली सफलता राज्य में जीत को और भी खास बनाती हैं। यह भाजपा सरकार के मजदूरों के मेहनत से जीते गए अधिकारों को छीनने के प्रयास के खिलाफ मजदूर वर्ग की केंद्र सरकार को जोरदार फटकार थी। इस जीत ने कृषि में वाम विकल्प के समर्थन में कृषिक वर्गों के एलडीएफ के इर्द–गिर्द गोलबंद होने की प्रवृत्ति का भी उदाहरण दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ लगातार बढ़ रहे विरोध को भी समर्थन दिया है। यह एक प्रवृत्ति थी जो स्थानीय स्वशासी संस्थानों के चुनावों के दौरान भी दिखाई दे रही थी, जो कुछ महीने पहले ही संपन्न हुई थे और विधानसभा चुनावों के दौरान यह और भी स्पष्ट रूप से दिखी।

केरल के कृषि वर्गों ने एक जोरदार और स्पष्ट संदेश दिया है कि वे किसान विरोधी, कॉर्पोरेट पक्षीय अधिनियमों को निरस्त करना चाहते हैं और यह जनादेश चल रहे ऐतिहासिक किसान संघर्ष को मजबूत करने का उनका तरीका था। ऐसा लगता है कि एलडीएफ के पक्ष में कृषि वर्गों में एक आम सहमति विकसित हुई हो। केरल कार्षक संघम के नेताओं का चुना जाना राज्य सचिव का .के.एन. बालगोपाल, केंद्रीय किसान समिति सदस्य का.एम.एम.मणि, राज्य संयुक्त सचिव का.सीएच कुन्हंबु, राज्य संयुक्त सचिव का. मुरली पेरुनेली, राज्य कमेटी सदस्य एम सी मूइदीन, का. कुन्हहमदकुट्टी मास्टर व का. डीके मुरली, आदिवासी किसान नेता कॉमरेड केलू, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के सयुक्त सचिव कॉमरेड एमवी गोविंदन मास्टर, थोझिलाली संघ के नेता ओ एस अम्बिका, दलित शोषित मुक्ति मंच के संयोजक कामरेड के.राधाकृष्णन इन विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं का एलडीएफ उम्मीदवारों के रूप में चुनाव तथा राज्य के चावल के कटोरे के साथ–साथ उच्च पर्वतमाला एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में झाड़ू मार जीत एक इस तरह की आम सहमति

का स्पष्ट संकेत देती है।

कृषक वर्गों के बीच इस तरह की आम सहमति कैसे उभरी? एलडीएफ ने उनके बीच अपने अभियान को प्रभावी ढंग से कैसे चलाया? एलडीएफ द्वारा लागू किए गए किन विकल्पों ने इस तरह के अभियान में मदद की?

इस तरह की व्यापक सहमति बनाने में मददगार प्राथमिक कारक पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार द्वारा लागू की गई वैकल्पिक कृषि नीतियां थीं। कॉरपोरेट मुनाफाखोरी के दरवाजे खोलने के भाजपा सरकार के प्रयास के खिलाफ अन्य किसान संगठनों को मजबूती से गोलबंद करके केरल कृषक संघम और केरल कृषक थोज़िलाली संघ द्वारा कड़ाके की ठंड में दिल्ली के आसपास के संघर्ष स्थलों में केरल से हजारों किसानो की सक्रिय भागीदारी करने और विशाल जिला स्तरीय धरने, ट्रैक्टर रैलियां, मशाल जुलूस, मानव श्रृंखला आदि से माहौल बनाने का काम किया। यहां तक कि विधानसभा चुनावों से पहले मलप्पुरम, पलक्कड़, कोझीकोड और अलाप्पुझा जिलों में किसान महापंचायतें हुई थीं, जिसमें एआईकेएस के राष्ट्रीय नेताओं और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ व भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को क्यों नकारा जाए इस का उल्लेख किया था। संघ परिवार के गुंडों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए, एसकेएम के घटकों द्वारा एक अलग "किसान विरोधी भाजपा को वोट नहीं" अभियान भी चलाया गया था। मनंतवडी में "कांग्रेस और भाजपा से सहायता प्राप्त कॉर्पोरेट द्वारा किसानों और मजदूरों की लूट बंद करो" के नारे के साथ चलायें गए अनूठे अभियान से वृक्षारोपण क्षेत्रों में विभिन्न बैठकों का बड़ा प्रभाव पड़ा। तीन किसान विरोधी अधिनियमों के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव को लाकर, इसे सर्वसम्मति से पारित करना भी इन कानूनों के विरोध में एलडीएफ के एक फौलादी संकल्प के रूप में देखा गया था।

किसानों और मजदूरों की कीमत पर कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी की सुविधा के भाजपा सरकार के मॉडल की जगह वाम विकल्प ने भी राज्य के भीतर और बाहर बहुत प्रशंसा हासिल की। विभिन्न राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकों में यह चर्चा का विषय बना। तथ्य यह है कि एलडीएफ सरकार ने महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी कृषि को बदलने और सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए सुभिक्षा केरलम कार्यक्रम के लिए 3,600 करोड़ रुपये अलग रखे थे, जो कृषि को निगमित करने के भाजपा सरकार के प्रयास के विपरीत था। राज्य में धान की खरीद का मूल्य 2,800 रुपये प्रति क्विंटल है, जो की केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी 1868 रुपये प्रति क्विंटल से 932 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। रबर का आधार मूल्य 15,000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, जिससे एक लाख से अधिक रबर किसानों को बड़ा समर्थन मिला। एलडीएफ घोषणापत्र में रबर के लिए कम से कम 250 रुपये प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य का वादा भी रबर की खेती करने वालों की प्रमुख आकांक्षाओं के अनुरूप था। रबर उत्पादक क्षेत्रों के परिणाम एलडीएफ के वादों में उनके भरोसे की अभिव्यक्ति थे।

राज्य ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य की घोषणा की है जो भारत में सबसे पहलीबार है। कॉफी उत्पादकों के लिए आने वाले एक कदम में एक बड़ी राहत दी गई, अब उन्हें कॉफी बेरी के लिए 9,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, जबकि इसकी औसत कीमत लगभग 7500 रुपये प्रति क्विंटल थी, साथ ही यह कॉफी में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने और वायनाड कॉफी को किसानो की कॉफी के एक विशेष ब्रांड के रूप में प्रचारित करने से जुड़ा था। इसके लिए उसने 25 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। यह पहली बार है जब भारत में कोई भी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर रही है कि कृषि उत्पादों से मूल्यवर्धन के माध्यम से उत्पन्न अधिशेष को कॉर्पोरेट बलों और उनके मध्यस्थों के सीधे शोषण से बचाकर किसानों को वापस दिया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि इन फसलों को विश्व बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव और केंद्र सरकार की दोषपूर्ण व्यापार नीतियों जैसे मुक्त व्यापार समझौतों के कारण अस्थिरता का सामना करना पड़ता है जो आसियान व अन्य देशों से सस्ते उत्पादों की डंपिंग की अनुमति देते हैं। यह एक वैकल्पिक नीतिगत हस्तक्षेप है जो पूरे भारत में चल रहे किसानों के संघर्ष के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक है।

एलडीएफ सरकार ने मछली मजदूरों और मछली पकड़ने वाले समुदाय, नारियल उत्पादकों और डेयरी किसानों के कल्याण के लिए भी बहुत अधिक निवेश किया है। खेत मजदूरों और किसानों के लिए पहले से मौजूद कल्याण कोष के अलावा मनरेगा मजदूरों के लिए एक अलग कल्याण कोष की घोषणा की गई है। राज्य द्वारा लगभग 60 लाख लोगों को दी जाने वाली समाज कल्याण पेंशन को बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति माह कर दिया गया है और घोषणापत्र में इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह करने का वादा किया गया है। कोविड लॉकडाउन के दौरान शुरू किए गए 87 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए मुफ्त राशन और खाद्य किट जिसमें विभिन्न प्रकार की दालें, तेल, चीनी, मसाले, साबुन व खाद्यान्न के अलावा अन्य प्रावधान शामिल हैं, को आगे बढ़ा दिया गया है। भारत के किसी अन्य राज्य में ऐसी योजना नहीं है। इन सभी ने एलडीएफ की जीत के कारक के रूप में काम किया।

केरल में भूमि अधिकारों, उचित मजदूरी और सभी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ किसान संघर्षों की गौरवशाली विरासत है, जिसके कारण 1957 में पहली कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का चुनी गई। इसके तुरंत बाद दूरगामी भूमि सुधार, काश्तकारों और खेत मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदमो को आगे बढ़ाया गया। मौजूदा चुनावी जीत ने उस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एलडीएफ पर डालती है। भूमि सुधारों , भूमिहीन और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों को भूमि का पुनर्वितरण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन में हस्तक्षेप करने के लिए सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना और इस से पैदा अधिशेष के ज़रियें किसानों – मजदूरों के लिए लाभकारी मूल्य व उचित वेतन सुनिश्चित करने के प्रयास इस जीत को मजबूत बनाने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि वर्ग और अन्य नए वर्ग जो एलडीएफ के इर्द–गिर्द लामबंद हुए हैं, वे एक चुनावी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वह एलडीएफ की सबसे बड़ी ताकत के रूप में लगतार बने रहेंगे। हमें पूरा यकीन है की, कृषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य नवीन हस्तक्षेपों के साथ आएंगे और उन्हें मिले जनादेश के साथ न्याय करेंगे। उन सभी को संघर्षों का व्यापक अनुभव है और वे कृषि परिदृश्य को अच्छी तरह समझते हैं। उनका अनुभव अगले पांच वर्षों में एलडीएफ सरकार की कृषि नीतियों को आकार देने में मदद करेगा। एलडीएफ सरकार के कदमों को भारत के किसान बेसब्री से देख रहे हैं। □

किसान आंदोलन और राजनीति

– डी पी सिंह

8 महीने हो चुके हैं! किसान आंदोलन जारी है। किसानों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर रखा है। ' काले कृषि कानून वापस नहीं। तो घर वापसी नहीं।" के नारे के साथ किसान डटे हुए हैं। पाँच सौ से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार ने किसानों से बातचीत भी बंद कर दी है। आंदोलन को तोड़ने और दमन के हथकंडे जारी हैं।

आखिर किसानों के इस दृढ़ निश्चय के पीछे क्या है? और सरकार के अड़ियल और फासिस्ट तरीके को किन ताकतों का समर्थन हासिल है? इसको जानना जरूरी है।

मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानून के लागू होते ही किसानों की पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। जो किसान इस बात को समझते हैं वह आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं । खेती ठेके पर कंपनियों के कब्जे में चली जाएगी। कृषि जिंसों का व्यापार भी उन्हीं के हवाले होगा। जमाखोरी कर के लोगों को भूखा मार देने का अधिकार कंपनियों को दिया जा चुका है। खेती से उजड़ कर किसान कहां जाएगा? रोजगार पहले ही खत्म है। अतः किसानों के लिए यह जिंदगी मौत की लड़ाई है। उनका पीछे हटना किसान नाम के जीव का खात्मा होगा।

दूसरी ओर चूँकि यह किसान आंदोलन उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जर्मनी आदि दुनिया भर में आंदोलन के समर्थन में मुजाहरे हो रहे हैं। चूंकि दुनिया मैं कृषि जिंसों के व्यापार पर चंद विदेशी कंपनियां काबिज है।देश के इजारेदार अडानी अंबानी भी इस लुटेरे गिरोह में शामिल हो गए हैं। दुनिया भर में खेती को ठेके पर लेकर कृषि जमीनों पर जबरिया अपना दखल चाहती हैं। समूचे कृषि उत्पादों पर कब्जा चाहती हैं। इस दुनिया को फूड बास्केट बनाकर रोटी पर मुनाफे का क्रूर खेल खेल रही हैं। मगर भारत के किसानों के इस आंदोलन ने इनकी नींद हराम कर दी है। वह अच्छी तरह जानती हैं कि यदि भारत में कानून पलटे गए तो फिर दुनिया के किसी देश में वहां की कृषि और कृषि जिंसों के व्यापार पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। अतः मोदी सरकार को अपने घोड़े की तरह इस्तेमाल करके,कसकर लगाम खींचे हुए हैं। देश की गद्दी पर काबिज हिंदू सांप्रदायिक गिरोह, देशी इजारेदार और वित्तीय पूंजी का यह गठजोड़ कानून वापस नहीं लेने पर अड़ा हुआ है। बेशक किसानों के नरसंहार की तरफ ही क्यों न बढना पड़े।

अतः अभी कोई नहीं जानता कि आंदोलन का परिणाम क्या होगा?

लेकिन सरकार द्वारा किसानों से वार्ता बंद कर देने के बाद इस आंदोलन में कई नए आयाम जुड़े हैं। पहला ,जो किसान आंदोलन पहले पंजाब ,हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक सीमित था अब इसने व्यापक भौगोलिक विस्तार ले लिया है। आंदोलन देश के कोने कोने तक फैल चुका है।

दूसरे, शुरू में यह आंदोलन सिर्फ किसानों द्वारा चलाया जा रहा था। आज इस आंदोलन में औद्योगिक मजदूर, खेत मजदूर, खोखा, ठेला वाले, दुकानदार और व्यापारी सहित मध्यम वर्ग के लोग व बुद्धिजीवी भी शामिल हो रहे हैं। जिन हिस्सों पर सरकार की नीतियों की मार पड़ रही है जनता के उन तमाम हिस्सों की हमदर्दी इस आंदोलन के साथ जुड़ती जा रही है। 8 जुलाई को डीजल पेट्रोल रसोइ गैस के बढते दाम और मंहगाई के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन में यह बात उभर कर सामने आई है।

तीसरे, इस आंदोलन ने देश के भाईचारे को बहाल करने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लाखों षडयंत्रो के बावजूद भी साम्प्रदायिक सत्ताधारी गिरोह और उनका समूचा जटाजूट एवं तंत्र कोई बडा उन्माद फैलाने में सफल नहीं हो पा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर मुजफ्फरनगर से आंदोलन में जाट और मुस्लिम किसानों की बराबरी की भागीदारी इसकी साक्षात मिसाल है।

उदारीकरण की विनाशकारी नीतियों का दौर है। जिसने जनता की रोजी–रोटी छीनने एवं सांप्रदायिक ताकतों द्वारा भाईचारे का खात्मा कर देने का दोहरा खतरा पैदा कर दिया है। इस आंदोलन ने देशी–विदेशी कंपनियों द्वारा खेती और कृषि जिंसों पर कब्जे के बारे में किसान और देश की जनता को सचेत किया है। तो सांप्रदायिक ताकतों द्वारा जनता की एकता को तोड़ने की साजिश का भी पर्दाफाश किया है।

यही नहीं यह पहला आंदोलन है जिसने सिर्फ चोर ही नहीं चोर की मां पर भी हमला बोला है। एक तरफ पर्दे के पीछे सरकार की पीठ पर बैठे अंबानी के जिओ सिम का बहिष्कार ,और उसके टावरों पर हमला, अडानी के फॉर्चून खाद्य तेल का बहिष्कार, हाईवे पर टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराना ,जनता के शरीर से इजरेदारों के शरीर में पहुंच रही रक्त संचार की नसों पर पैर रखने के समान है।

दूसरे, सिर्फ मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि आरएसएस जो साँस्कृतिक फासीवाद की रीढ़ है, पर सीधा हमला बोल दिया है। उसे राष्ट्रभक्त की जगह गद्दार साबित कर दिया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है।

नई राजनीति को जन्म

यह किसान आंदोलन व्यक्तिवादी राजनीति की जगह मुद्दों पर आधारित एक नए तरीके की राजनीति को जन्म दे रहा है। अब तक देश की राजनीति व्यक्तिवादी खूंटे के इर्द–गिर्द घूमती रही है।" देश का नेता कैसा हो फलां तेरे जैसा हो। फलाँ तू संघर्ष कर हम तेरे साथ हैं।"जैसे नारों में उसकी अभिव्यक्ति होती थी। मगर यह किसान आंदोलन व्यक्तिवादी राजनीति के स्थान पर मुद्दों पर आधारित राजनीति को पैदा कर रहा है। भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल को जनता के बीच इन सवालों से दो–चार होना पड़े पड़ेगा । कि बोल तेरी पार्टी इन मुद्दों पर क्या करेगी?

28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार की दमनात्मक कार्रवाही का विरोध हुआ। नेतृत्व के पटल पर बीकेयू के राकेश टिकैत उभर कर आए। मीडिया ने उन्हीं के इर्द–गिर्द किसान आंदोलन को समेटने की कोशिश की। लेकिन राकेश टिकैत सामूहिक फैसले का एक ऐसा मंत्र फूंकते रहते हैं कि "ना मंच बदले जाएंगे और ना पंच बदले जाएंगे।" गोदी मीडिया के तीखे से तीखे सवाल भी जिसके सामने फिस्स हो जाते हैं ।

यहीं पर किसानों द्वारा अपने आर्थिक मुद्दों पर लड़ी जा रही यह जंग देश की राजनीति के बारे में भी कुछ नए सवालों को जन्म दे रही है। कभी–कभी तो किसान आंदोलन का राजनीति के साथ विरोधाभास जैसा लगने लगता है।

आप जानते हैं कि देश भर के लगभग 500 संगठन मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिन्हें राजनीतिक समझदारी के स्तर पर " शिवजी की बारात "भी कहा जा सकता है। इनमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत जैसे अपने को अराजनैतिक बताने वाले किसान संगठनों की भी अच्छी खासी तादाद है । तो राजनीतिक अर्थशास्त्र के मर्म को जानने वाले वामपंथी किसान संगठन भी शामिल हैं। इन किसान संगठनों के नेताओं में एक तरफ जहां कई कई बार संसद और विधान सभा में रहे नेता भी शामिल हैं। मगर किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को किसानों ने अपने मंच पर फटकने तक नहीं दिया है।

सभी जानते हैं कि ऊपरी तौर पर देखने पर कभी–कभी कुछ का कुछ दिखाई देता है पृथ्वी और सूरज के घूमने को देखकर लोग हजारों वर्षों तक उल्टे ही समझते रहे। अतः इस आंदोलन के बुनियादी चरित्र को समझे बिना इसका सही आकलन संभव नहीं है।

पहली बात, 500 से अधिक संगठन इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तीन कृषि कानूनों के पारित होने से पहले इनमें से अधिकांश संगठन इस मुद्दे को उठाते ही नहीं थे। जिसको लेकर अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं।

चूंकि 1990 के दशक से देश में उदारीकरण की नीतियां लागू की जाने लगी। जिनके कुप्रभाव कर्ज में फंसे किसानों की आत्महत्याओं के रूप में सामने आए। स्वाभाविक तौर पर सभी किसान संगठन ने किसानों की आत्महत्याओं पर फ़ौरी राहत के लिए किसानों की कर्ज माफी के आंदोलन चलाने शुरू कर दिए।

मगर सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में साम्राज्यवादी वर्चस्व फिर कायम हो चुका था। पूंजीवाद ने क्रोनी पूंजीवाद के रूप में विकास कर लिया था। समस्त सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण लाजमी बना दिया गया। कल्याणकारी राज्य ,विशाल संरचनात्मक ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्हें विश्व पूंजी के अनुरूप पुनर्गठित किया जा रहा है।

भारत में भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद खेती और किसानों को प्राथमिक दर्जा देकर कर्ज मुहैया कराने का ढांचा बनाया गया था।उसे तोड़ दिया गया। उसकी जगह कॉर्पोरेट की ऋण सुविधा , एनपीए और कर्ज माफी के ढांचे खड़े कर दिए गए। चालू वित्त वर्ष के अंत तक 20लाख करोड रुपए का एनपीए का बोझ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऊपर लादा जा चुका होगा। सरकारी बैंक दिवालिया बना दिए गए। अब उनका विलय किया जा रहा है। यही नहीं जिन कारपोरेट ने बैंकों को लूट लिया। अब बैंकों का निजीकरण करके उन्हीं के हवाले करने का खेल हो रहा है।

मोदी सरकार ने 7 वर्ष में देश के किसानों का 1 रूपया भी माफ नहीं किया है। जबकि कॉर्पोरेट के लाखों करोड़ के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। इसप्रकार जब सरकारी बैंक ही नहीं रहेंगे। अथवा उन्हें दिवालिया बना दिया जाएगा। तो किसानों के कर्ज माफ कौन करेगा। निजी क्षेत्र के बैंक यह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकते। यहां पर यह अहम सवाल पैदा होता है कि किसानों की कर्ज माफी की लड़ाई लड़ रहे किसान संगठन के बीच इसकी गूंज सुनाई क्यों नहीं देती। जबकि क्रोनीसत्ता इसी बीच किसानों के सस्ते कर्ज और कर्ज माफी के समूचे संरचनात्मक ढांचे को ही खत्म करने में कामयाब हो गए। जो कारपोरेट खेती के लिए लाए गए तीन काले कानूनों से पहले इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम था।

इसी तरह का दूसरा उदाहरण किसान आंदोलन द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर है। उदारीकरण की कृषि नीतियों ने किसान तबाह कर दिए। अटल सरकार द्वारा आयात से मात्रात्मक प्रतिबँधो का खात्मा करने के बाद

किसानों की हर तरह की फसल के दाम भरभरा कर बैठ गए। इससे बचाव का C2+ 50 का फार्मूला स्वामीनाथन आयोग ने सुझाया। फौरी तौर पर किसानों को बचाने के लिए सभी किसान संगठनों ने इसी सिफारिश को अपनी प्रमुख मांग बना लिया। खेती में कारपोरेट की घुसपैठ के एक भी कदम का विरोध न तो स्वामीनाथन आयोग की तरफ से किया गया और न ही किसानों के संगठनों ने आवाज उठाई।

मगर यहां भी क्रोनी सत्ता वही खेल खेलती रही। किसान संगठन C2+50 की मांग उठाते करते रहे। उधर सरकार किसानों को फसल के वाजिब दाम देने के उस समूचे संरचनात्मक ढांचे को एक–एक करके खत्म करती रही । जिसे हरित क्रांति के दौर में खड़ा किया गया था। देश भर में 23 नगदी फसलों के लिए बनाए गए पर परचेजिंग बोर्ड नकारा बना दिए गए। धान गेहूं आदि फसलों के लिए 1971 में शुरू की गई समर्थन मूल्य(एमएसपी) पर खरीद व्यवस्था से हाथ खींचना शुरू कर दिया गया । समर्थन मूल्य पर खरीद पंजाब हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 फ़ीसदी किसानों तक सीमित कर दी गई। 94 फ़ीसदी किसान इसके दायरे से बाहर कर दिए गए। यही नहीं, मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही शांताकुमार कमेटी का गठन कर दिया। जिसने समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद व्यवस्था से पिंड छुड़ाने, सफेद हाथी बताकर एफसीआई को बंद करने, कृषि जिंसों के व्यापार में निजी कंपनियों के लिए अवसर प्रदान करने आदि की सिफारिश कर दी।

2015 में जिस एफसीआई पर सिर्फ 70000 करोड का कर्जा था मोदी सरकार ने 31 मार्च 2021 तक उसे 3.50 लाख करोड के कर्जे में डुबो दिया। कृषि जिंसों के व्यापार निजी कंपनियों के लिए खोलकर कृषि उपज मंडी समितियों पर भी हमला बोल दिया गया। दुर्भाग्य से यहां भी किसान संगठनों की मांगों में मुख्य मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें बनी रही । इस सिफारिश के अमल में लाने वाले ढांचागत संरचना के खात्मे को रोकने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जाहिर है ठेका खेती और कृषि जिंसों के व्यापार पर कारपोरेट के कब्जे के लिए मैदान खुला करने की इस विनाशकारी नीतियों की तरफ किसान संगठनों का ध्यान ही नहीं गया।

इस तरह किसान संगठन,उदारीकरण की विनाशकारी नीतियों के कुप्रभाव से किसानों को बचाने की जायज लडाई तो लड़ते रहे लेकिन किसानों की तबाही के बुनियादी कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया। तीन कृषि कानूनों के अध्यादेश जारी होने के तुरंत बाद पंजाब की किसान जत्थे बंदियों ने संघर्ष की पहल की।परिणाम सबके सामने है।अब यह लड़ाई केवल कर्जमाफी अथवा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने जैसी मांगों तक सीमित नहीं है। इसने देश की खेती,कृषि जमीन और रोजगार ,कुटीर धंधों,उद्योग सहित समूचे देश को बचाने की लड़ाई का रूप ले लिया है।

इस तरह उदारीकरण की नीतियों से देश को बचाने का संघर्ष,साम्राज्यवादी शिकंजे से देश को बचाने के संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। देश के अंदर आर्थिक मांगों पर जारी वर्ग संघर्ष गुणात्मक रूप से बदलकर देश को बचाने की राजनीतिक लड़ाई का रूप लेता जा रहा है। अतः किसान आंदोलन के साथ देश के विभिन्न राज्यों अथवा केंद्र में घटित होते राजनीतिक घटना विकास के साथ जो विरोधाभास उभर कर सामने आते हैं। उनका निराकरण करना भी किसान जत्थेबंदियों का महत्वपूर्ण काम है।

इसके लिए हमें इतिहास के किसान आंदोलनों से भी सबक लेना होगा। किस प्रकार 1857 का किसान आंदोलन जो शोषण उत्पीड़न के आर्थिक मांगों को आधार बना कर शुरू हुआ। देश को आजाद कराने के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। किस प्रकार 1936 से जमीदारी खात्मे और जमीन जोतने वाले को देने की मांग, देश से अंग्रेजों को भगाने की मांग के साथ एक हो गई। अंतर सिर्फ इतना है, जब देश को आजाद कराने की लड़ाई में देश के किसान और आम जनता उठ कर खड़ी हो गई थी। आज देश की खेती, उद्योग, व्यापार और सेवाओं को बचाने के साथ देश की आजादी को बचाने का राजनीतिक संघर्ष अपना रूप ग्रहण करता जा रहा है। यह बात दूसरी है कि विद्वान लोग इसे लाल किले की घटना और खापों के वर्चस्व से जोड़कर वास्तविकता से मुंह चुरा रहे है। तो कुछ अतिउत्साही वामपंथी इसमें क्रान्ति को सनसनाते हुए देख रहे हैं।लेकिन पिछले 8 महीने से संघर्ष कर रहे किसान इस आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं?इस आंदोलन को राजनीति के साथ तालमेल करने पर पक्ष विपक्ष जो बहस कर रहे हैं उसे भी सुनने और समझने की जरूरत है। जिसका स्पष्ट दवाब संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल जत्थेबंदियों और उनके किसान नेताओं पर भी देखा जा सकता है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव

इस बीच पांच राज्यों के साथ–साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। किसान मोर्चा के नेताओं ने वहां भाजपा के सांप्रदायिक आक्रमक प्रचार के खतरे को महसूस किया। किसान आंदोलन के लिए भाजपा की हार को महत्वपूर्ण समझा। अतः नारा दिया "भाजपा हराओ, चाहे किसी को जिताओ।" यह आर्थिक मांगों

के ऊपर राजनैतिक उद्विकास की जीवंत मिसाल है। जिसमें अराजनीतिक होने का बैनर थामें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अहम किरदार निभाया। साथ ही बंगाल में 34 वर्ष तक सत्ता में रहने वाले माकपाई जो अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के साथ किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं।उन्होंने खुद के उम्मीदवार मैदान में रहते हुए भी इस नारे का विरोध नहीं किया। बंगाल में भाजपा के हारने के बाद किसान मोर्चा में किसान आंदोलन के राजनीतिक हस्तक्षेप पर बहस और तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव

पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए। जिसमे किसान आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों की कुल 3050 सीटें हैं इसमें से भाजपा को मात्र 579 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी। जबकि सपा को779 ,बसपा को 361 कोंग्रेस को59 सीट मिली। वहीं निर्दलीय व अन्य ने 1272 सीट पर विजय हासिल की।यह बात दूसरी है कि भाजपा ने जनतंत्र का गला दबाकर जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 में से 67 सीट हड़प ली। प्रदेश के किसानों और जनता ने पूरी तरह से भाजपा का को हराया। परन्तु जनमत को धता बताकर जबरिया जीत हासिल करने से किसानो और जनता का गुस्सा और भी बढ़ा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी खुलकर वही नंगा नाच किया गया।

राजनीतिक हस्तक्षेप पर बहस तेज

किसान मोर्चा के बीच इस समय गंभीर बहस जारी है। कुछ जत्थे बंदियों का कहना है कि सीधे वोट पर चोट करने के बजाय तीनों कानूनों एवं अन्य मुद्दों पर ही अभियान तेज किया जाए। कुछ मानते हैं कि वोट पर चोट करने का समय आ गया है ।

इससे भी आगे बढ़कर कुछ जत्थे बंदियों का कहना है कि किसान आंदोलन के नेताओं को सीधे चुनावों में उतर कर सरकार बनाने की पहल करनी चाहिए। तथा किसान और जनता के हित की नीतियां लागू करके नया उदाहरण पेश करना चाहिए । जबकि कुछ जत्थेबंदियाँ किसान आंदोलन के स्वरूप को अराजनीति बनाए रखने को ही उचित समझते हैं।

इस तरह किसान आंदोलन के अंदर की यह बहस भी ऐतिहासिक महत्व ग्रहण कर रही है। और उस वैज्ञानिक सिद्धांत के इर्द–गिर्द उमड़ घुमड़ कर रही है कि "कोई राजनैतिक गतिविधि, बिना आर्थिक गतिविधि के, हवा में नहीं चलती।"

बहस किसान आंदोलन की राजनीति में हस्तक्षेप से उभर रहे विरोधाभासों पर भी हो रही है। उदाहरण के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और इन पंक्तियों के लेखक जो किसान सभा के प्रतिनिधि के तौर पर गाजीपुर बॉर्डर की संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी के सदस्य हैं, के बीच हुई बातचीत को लिया जा सकता है।

राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में भाजपा के हार के बाद कमेटी की बैठक में खुशी जाहिर कर रहे थे। इन पंक्तियों के लेखक ने उनसे कहा "आपने पश्चिम बंगाल चुनाव में नारा दिया। "भाजपा को हराओ, किसी को भी जिताओ।" मगर बंगाल में माकपा का 34 वर्ष तक शासन रहा है। और उसके उम्मीदवार भी वहां चुनाव लड़ रहे थे। जो किसान सभा के बैनर के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। आप ने उनको चुनाव जिताने की बात क्यों नहीं की। इन लोगों को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने संयुक्त मोर्चा के ऐलान का विरोध नहीं किया। और आज भी किसान संघर्ष के साथ खड़े हुए हैं ।

आगे कहा " पश्चिम बंगाल चुनाव में अमल में लाये गए इस नारे को जब आप उत्तर प्रदेश में चुनावी नारा बनाएंगे तो वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैं इस नारे के खिलाफ एक बगावत जैसी स्थिति पैदा होगी।कि नहीं होगी। क्योंकि वहां भारतीय किसान यूनियन और किसान आंदोलन का आगे बढ़कर साथ देने वाले अधिकांश किसान राष्ट्रीय लोक दल के समर्थक हैं। उनका जवाब था "क्षेत्र और परिस्थिति को देखकर नारे बदले भी जा सकते हैं ।" यहां उनका इशारा जो भाजपा को हराए उस को जिताने की ओर भी हो सकता है। अथवा इससे आगे बढ़कर धर्मनिरपेक्ष दलों की एकता की तरफ भी जा सकता है । जो भी हो इससे इस बात का जरूर पता लग चलता है कि आर्थिक मुद्दों पर शुरू हुआ किसान आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होने के लिए करवटें बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लाक प्रमुख के चुनाव के चलते हुए ,जिस तरीके से जनता द्वारा हरा दिए जाने के बाद भी भाजपा ने जीत हासिल की है।इस घटना ने जहां एक तरफ किसान जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया है। साथ ही जनतंत्र बहाली की जरूरत को भी किसान आंदोलन के केंद्र में ला दिया है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मिशन

अब संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मिशन का नारा दिया है। जिसका मकसद एक तरफ तो तीनों कृषि कानूनों व भाजपा सरकारों की जनतंत्र विरोधी नीतियों का जनता के बीच भंडाफोड़ करना है । दूसरे , दोनों प्रदेशों में होने वाले चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का राजनीतिक माहौल तैयार करना है।

इस अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की राज्यस्तरीय विशाल रैली के साथ होगी। रैली की तैयारियों के लिए 25 जुलाई से ही जिलों में व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। 9अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद कमिश्नरी स्तर पर विशाल पंचायतें आयोजित होंगी। पूरे प्रदेश में विभिन्न तरह के जत्थे चलाए जाएंगे। और हर गांव और हर घर तक संयुक्त मोर्चा की आवाज को पहुंचाया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा का विपक्षी दलों के लिए भी स्पष्ट संदेश है। आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतरे। संसद और विधानसभा मैं तीनों कानूनों और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का डटकर विरोध करें। यही किसान आंदोलन के समर्थन का आधार होगा।इसी तरह भाजपा आरएसएस की सांप्रदायिक साजिशों के विरोध को भी मिशन के केंद्र में रखा गया है।

इस तरह तीनों काले कानूनों सहित आर्थिक मुद्दे , सांप्रदायिकता का विरोध और जनतंत्र की बहाली के नारे राजनीतिक तौर पर भाजपा की कब्र खोदने का ही काम करेंगे।

किसान आंदोलन के प्रभाव के तौर पर आगे के राजनीतिक घटना विकास का लोग उत्सुकता के साथ इंतजार करेंगे । उत्साह के साथ उसमेभागीदारी करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है। □

मनरेगा की मूल धारणा में मनुवाद घुसाने से बाज आए सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी से मनरेगा कानून का मूल आधार ही कमजोर होगा
समग्र समझ से मनरेगा लागू करना होगा सरकार को

–विक्रम सिंह

भाजपा नेतृत्व की केंद्र सरकार शुरू से ही मनरेगा को समझने में असफल रही है। काम के हक़ को लेकर एक लम्बे आंदोलन के बाद मनरेगा का कानून अस्तित्व में आया जी सभी परिवारों को बिना उनकी सामाजिक पृष्टभूमि पूछे एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही इस कानून का मज़ाक बनाया है। वैसे भाजपा ने किसी कानून यहाँ तक कि संविधान का भी सम्मान किया ही नहीं है यूएपीए और देशद्रोह के कानून को छोड़ कर। खैर यहाँ हम बात कर रहें है भाजपा सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा को लेकर जारी की गई एक एडवाइजरी की, जिससे सरकार के मंत्रालयों की दिशाहीनता का पता चलता है।

गौरतलब है कि 2 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021– 2022 के लिए सभी मज़दूरीकरने वालों को सामाजिक श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य के अनुसार वेतन भुगतान करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशो को एडवाइजरी जारी है। इसमें राज्यों के लिए अनिवार्य किया गया है कि मनरेगा के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं को जाति आधारित किया जाए, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों द्वारा प्रत्याशित मांग के अनुसार बजट का अनुमान, राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मजदूरी के भुगतान के लिए अलग से एकाउंट्स रखना, अलग से फण्ड ट्रांसफर आर्डर लाना इत्यादि। सरसरी तौर पर भी देखे तो लगता है कि इससे मजदूरी के भुगतान प्रक्रिया की जटिलताएं बढ़ जाएँगी। हमारे पिछले अनुभव बताते है कि जब मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया में फेरबदल किया गया है तब भुगतान में देरी ही हुई है। एक ऐसे समय में जब जरुरत थी कि मनरेगा में मज़दूरी के भुगतान की प्रक्रिया को ज्यादा सुगम बनाया जाये केंद्र सरकार अपने रिकॉर्ड के अनुसार ही जरुरत के विपरीत कदम आगे बढा रही है।

एडवाइजरी में कोई तर्क न होना वैसे कोई अचरज की बात नहीं है क्योंकि इसके पीछे का असल मक़सद भाजपा कागज़ पर तो ला नहीं सकती। अब साहब उनके सपनों के भारत में यह कैसे हो सकता है कि सभी जातियों के लोग एक जगह एक जैसा काम करें, जैसा की मनरेगा में होता है। यह तो मनु महाराज की तौहीन होगी जिन्होंने जातियों को अलग अलग कर श्रेणियों में बांटा है। माना संविधान लागू हो गया और सबको सामान काम का हक़ मिल गया तो क्या हिन्दू सम्राट मूक बने रहेंगे। इसके पीछे का असल मक़सद ही है मनु की जाती व्यवस्था को मज़बूत करना नए भारत में। जब फण्ड जाति के आधार पर दिया जायेगा तो काम का मस्टर रोल भी जाति के आधार पर निकलेगा। मतलब अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग कार्यस्थल पर काम करेंगे। मतलब जातियों के सांचे मज़बूत होंगे। अब यह बताने की ज़रूरत नहीं की किसके ज्यादा मास्टर रूल निकलेंगे और किसके काम की पैमाइश ज्यादा आएगी। गज़ब तरीका निकला है ग्रामीण भारत में जाति को मज़बूत करने का और मनु को संविधान और समानता के सिद्धांत से ऊपर बैठने का।

जाहिर सी बात है इस निर्णय के लिए किसी से बातचीत तो की ही नहीं है। इतना बड़ा निर्णय लिया तो आशा थी कि एडवाइजरी में ठोस तर्क तो होंगे ही लेकिन पहले तो यह एडवाइजरी ही आम इंसान की पहुँच से बाहर है क्योंकि अभी इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। वैसे इसमें भी किसी को कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जब किसी तरह इस एडवाइजरी तक पहुँच पाएं तो पता चला कि इसमें तो कोई तर्क ही नहीं दिया है केवक फरमान जारी कर दिया। यह बहुत ही अटपटा और कई तरह की शंकाए पैदा करने वाला निर्णय है। सामान्यता जब इस तरह का कोई फेर बदल किया जाता है तो पुरानी प्रक्रिया की खामिया और नए निर्णय के फायदे तो बताये ही जाते है। जनता को तो छोड़िये सरकार और मनरेगा को लागू करने वाले अधिकारीयों के लिए भी जरूरी है इसे समझना। परन्तु पूरी की पूरी एडवाइजरी में इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं मिलता है।

आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि यह निर्णय मनरेगा की आधारभूत समझ के साथ मेल नहीं खाता। जैसा कि शुरू में ही चर्चा की गई है कि मनरेगा एक सार्वभौमिक कानून है जो किसी में भी भेदभाव नहीं करता। इसके अनुसार जो भी आवेदन करेगा उसे निर्धारित मज़दूरी के अनुसार रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी है, रोजगार की अधिकम सीमा 100 दिन प्रति परिवार तय की गई है। इसकी पुनरावृति करने की जरुरत है कि यह कानून सबके है। कानून को समग्र रूप से लागू करने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। अब यह समझ से परे है कि भारत सरकार को सामाजिक श्रेणियों के आधार पर बजट के आबंटन की निति थोपने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। इस कानून की ऐसी कोई भी व्याख्या गढ़ने की कोशिश पूरे कानून के आधार को ही कमजोर करेगी। इस मांग–आधारित सार्वभौमिक कार्यक्रम में, आवंटन केवल काम की समग्र अपेक्षित मांग पर आधारित होना चाहिए । फण्ड को सामाजिक श्रेणियों में बांटना अखरता ही नहीं बल्कि चिंता पैदा करता है।

अब देखने की जरुरत है इस एडवाइजरी के लागू होने से क्या सामाजिक तौर पर वंचित समूहों और मनरेगा को कोई फ़ायदा होगा। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ वंचित तब्को तक पहुँचाने पर जोर दिया ही जाना चाहिए। उसके लिए लाभार्थियों के आंकड़ों का सामाजिक श्रेणियों के अनुसार आंकलन भी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से पता चलेगा कि उक्त योजना या प्रयास का फायदा वंचित समुदाय तक पहुंच रहा है या नहीं और तदनुसार कदम उठाये जा सकते है। परन्तु वर्तमान एडवाइजरी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए आंबटन को सामाजिक श्रेणियों से जोड़ने की कोई जरुरत नहीं है। वैसे मनरेगा में काम करने वाले मज़दूरों के आंकड़ों का सामाजिक श्रेणियों के आधार पर वर्गीकरण पहले से ही उपलब्ध

है। इसी के आधार पर हमें पता चलता है कि इसमें काम करने वाले मज़दूरों में 50 प्रतिशत महिलाये है और 40 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध रखने वाले मज़दूर है। इस तरह ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन के साथ वंचित समुदाय के मज़दूरों को काम उपलब्ध करवाने में भी मनरेगा की महत्वपूर्ण उपलब्धिया रही है। इस बात को कई सरकारी रिपोर्ट्स भी स्वीकार करती है। वो बात अलग है कि मोदी सरकार को मनरेगा के यह उपयोग समझ में नहीं आते और कभी भी इसके लिए न तो सम्मान के शब्द प्रयोग हुए है और न ही जरुरी बजट मिला है। इसका कारण है भाजपा सरकार की ग्रामीण भारत के विकास की गलत समझ। सरकार के बहुत से मंत्री और निति आयोग में सरकार के लोग इस कानून को गैरजरूरी मानते है और समय समय पर इसको कमजोर करने के लिए ही काम करते है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मज़दूरों की मनरेगा में अच्छी भागीदारी के वावजूद इन समुदायों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार को इस और सोचना चाहिए। प्रस्ताव किया गया था की मनरेगा में मेट के काम के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगो को प्रशिक्षित किया जायेगा परन्तु अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे पता चल सके कि मनरेगा के तहत काम करने वाले कितने मेट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते है। इसके आलावा हाल ही कुछ अध्यनो से मनरेगा के लागू करने में जाति के प्रभाव नज़र आये है। मसलन इकोनॉमिक और पोलिटिकल वीकली (EPW) के जनवरी अंक में 'कास्ट इन मनरेगा वर्क्स एंड सोशल ऑडिट' (Cost in MNREGA Works and Social Audit) के शीर्षक से टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल सइंसेस (TISS) के नितिन धाकतोड़े का अध्यन प्रकाशित किया गया है। तेलंगाना में किये गए इस शोध में पाया गया कि मनरेगा के लागू करने को जातीय समझ और समाज में उच्च जातियों का प्रभुत्व, प्रभावित कर रहा है। ग्राम पंचायत में अगड़ी जाति के लोग अपने प्रभाव से अपनी जाति के लोगो को काम दिलाने के लिए करते हैं। बॉथ मंडल की सोनाला पंचायत के सोशल ऑडिट से पता चला कि यहाँ तो दिहाड़ी में भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। हलाकि सरकार द्वारा मनरेगा में न्यूनतम दिहाड़ी 202 रुपये तय की गई थी परन्तु कुछ मज़दूरों को 86 रुपये दिहाड़ी भी मिली। यहाँ औसतन दिहाड़ी 153 रुपये ही मिल पाई। इस अध्यन काल (वर्ष 2017–18) के दौरान पिछड़ा वर्ग (BC) के मज़दूरों को औसतन दिहाड़ी 172, अनुसूचित जाति के मज़दूरों को 155 रुपये और धार्मिक अल्पसंख्यक मज़दूरों को केवल 123 रुपये दिहाड़ी मिली। कमोवेश यह केवल एक पंचायत की नहीं बल्कि पूरे बॉथ मंडल की कहानी है यहाँ औसतन दिहाड़ी तो 169 रुपये है लेकिन दलितों को औसतन केवल 154 दिहाड़ी ही मिली है।

मनरेगा को लागू करने पंचायतो की महत्वपूर्ण भूमिका है और पंचायतो में जातीय प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। अगर सरकार को कुछ करना है तो इस अध्यन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी तक तो मनरेगा को गॉव में दोयम दर्जे का काम ही माना जाता था ऊपर से काम दिहाड़ी और देरी से मज़दूरी का भुगतान। इसके चलते ग्रामीण भारत में प्रभुत्व वाली जातियां मनरेगा के काम में कम ही दिलचस्पी लेती थी। इसलिए दलित, आदिवासी और महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा होती थी। लेकिन खेती में लगातर बना जोखिम, ग्रामीण परिवेश में गैर कृषि काम में भरी कमी, पिछले एक साल में करोडो प्रवासी मज़दूरों की ग्रामीण क्षेत्र में वापसी (शहरो में भी काम के कमी के चलते केवल इसी मई में ही 90 लाख लोगो की कृषि सम्बंदित कामों में वापसी हुई है) से हालत बदले है। अब बेरोजगारी की मार के चलते सभी को मनरेगा का काम उपयोगी दिखने लगा है। कम ही सही, देर से सही दिहाड़ी मिलेगी तो। इसलिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जाहिर सी बात है कि सामाजिक असमानता वाले समाज में लोग अपनी ऊँची जाती का भी फायदा उठाएंगे ही। यह चिंताजनक इशारा है जिसकी तरफ सरकार को सोचना होगा ठोस कदम भी उठाने होंगे।

वैसे भाजपा का दलितों और आदिवासियों के लिए प्यार देखना हो तो बजट में इन समुदायों पर होने बाले आवंटन सबसे अच्छा पैमाना है। दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान के विश्लेषण के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए सरकारी आवंटन वर्ष 2014 और 2019 के बीच केवल 3.1 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इस अवधि के लिए आवश्यक राशि 6.2 लाख करोड़ रुपये थी। इसी तरह, इसी वर्ष 2014 और 2019 के बीच के लिए एसटी के लिए आवश्यक आवंटन 3.28 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन केवल 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। भाजपा सरकार जब दलितों और आदिवासियों को उनके जायज हिस्से का बजट भी नहीं मुहैया करवा रही है, वो भी तब जब SC/ST सब प्लान के तहत इसकी वाध्यता है, तो उपरोक्त एडवाइजरी का मकसद दलितों और आदिवासियों के लिए लाभ सोचना बचकाना होगा।

बाकि रही इस एडवाइजरी की मनरेगा पर असर की बात तो इसका असर पहले ही दिखना शुरू हो गया है। अप्रैल मई में तेलंगाना में मनरेगा के तहत काम करने वाले सामान्य जाति के मज़दूरों को उनकी मज़दूरी का भुगतान किया गया है लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मज़दूरों को भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक इन मज़दूरों के लिए फण्ड प्राप्त नहीं हुआ है। अब यह किसी को समझ नहीं आ रहा कि बजट कहाँ से और क्यों नहीं मिला है। गत 6 जून को पूरे तेलंगाना में इसके खिलाफ आंदोलन किये गए थे।

वर्तमान में मनरेगा का महत्व बहुत बढ़ गया है जब बेरोजगारी चर्म पर है और देश की आर्थिक स्तिथि बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। अगर सरकार सही में इस स्तिथि से निपटना चाहती है तो उसे मनरेगा को गंभीरता से लागू करना होगा और इसके लिए सबसे शर्त है जरुरी बजट का इंतज़ाम करना। इस वर्ष भी सरकार ने सालाना बजट में मनरेगा के लिए केवल 73000 करोड़ रुपये रखे है। मगर पिछले वर्ष ही मनरेगा पर कुल खर्च 1 लाख करोड़ से ज्यादा का था। सभी समस्याओं का समाधान है इस कानून को एक कानून की तरह देखा जाये न की एक लक्षित योजना की तरह। सरकार को आवेदन करने वाले सभी मज़दूरों को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना चाहिए फिर वह किसी भी जाति या धर्म से हो। पिछले दो वर्षो में देश की हालात देख कर यह मांग जोरो से उठ रही है कि काम देने की इकाई परिवार की जगह व्यक्ति होनी चाहिए और प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार देना चाहिए। इस तरफ काम करना तो दूर अभी अभी भी मनरेगा में सालाना औसतन 46 दिन का ही काम मिलता है। पहले किसे मिलेगा या किसे बिलकुल नहीं मिलेगा यह बात आती है जब बजट उपयुक्त न हो और मज़दूरों का चुनाव करना पड़े जो कानून की आधारभूत धारणा के खिलाफ है। उपयुक्त बजट ही दलितों के लिए उपरोक्त अध्ययन में दर्शाई चिंता का भी निदान करता है। इसलिए मोदी सरकार को गंभीरता से और समग्रता में देश के और देश के नागरिकों के विकास के लिए काम करना चाहिए नाकि इस तरह की बेसिर–पैर की एडवाइजरी लागू करके जटिलताओं को बढ़ाना चाहिए। □

इस मौड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते

–मनोज कुमार

आज से सात साल पहले, सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने जहां अच्छे दिनों का वादा किया था,वहां आज उन के लाए हुए अच्छे दिनों से देश की जनता कराह रही है। आर्थिक मामलों में मोदी सरकार के कुप्रबंधन और कॉर्पोरट हमदर्दी ने आज देश की जनता को बेहाल कर दिया है। पहले से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में कोविड महामारी और उस से जुडी तालाबन्दी ने गंभीर अघात पंहुचाया। ऊपर से मोदी सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय कंपनियों का घाटा पाटने और मुनाफे में कमी ना आने देने के लिए ही काम किये। जिस से आम आदमी के लिए और भी गंभीर संकट पैदा हो गया।

महंगाई की मार

लगातार बढती महंगाई ने ना सिर्फ गरीब बल्कि मध्यवर्ग के लिए भी घर चलाना दूभर कर दिया है। खाद्य तेल, दाल, दूध व अन्य खाद्य उत्पादों और पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों मे आई बढ़ोतरी जहां एक तरफ आम जनता के जीवन व्यापन के खर्च को बढ़ा रही है वहीं दूसरी तरफ रोजगार में कमी और आय में गिरावट से संकट गहरा रहा है। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़ कर 6.3 प्रतिशत पर पंहुच गई है, जबकि रिज़र्व बैंक का सुरक्षित अनुमान चार प्रतिशत का है। वहीं महंगाई का थोक मूल्य सूचकांक 12.92 प्रतिशत के स्तर पर है। खाद्य तेल, पिछले साल की तुलना में 34. 78 प्रतिशत महंगा हो चुका है। जो कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट के बढ़ाये गए हस्तक्षेप का ही नतीजा है। आज खाद्य तेल का लगभग 60 प्रतिशत देश के बड़े कॉरपोरेट्स के पास चला गया है। पेट्रोल– डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से यह अब अपने नए उच्चतम स्तर पर है और जिस कारण भाड़े में इज़ाफा आया फलस्वरूप अन्य वस्तुओ की कीमतों में भी बढ़ोतरी आई, विशष तौर पर शहरी क्षेत्र में सब्जी–दूध आदि खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। इंधन और ऊर्जा में महंगाई 36.61 प्रतिशत है। देश के विभिन्न क्षेत्रो में पेट्रोल की कीमते 100 रुपयें से 115 रुपयें प्रति लीटर के बीच पंहुच चुकी है, डीजल की कीमतें भी सौ रुपयें के आसपास आ गई है। रसोई गैस की कीमतें पिछले सात सालों में दुगनी हो गई है। मार्च 2014 में रसोई गैस की कीमतें उपभोगता के लिए दिल्ली में जहा 410 रुपयें के लगभग थी वो आज 834 रुपयें हो चुकी है। पहले तो गैस सिलेंडर पर सीधी सब्सीडी ख़त्म कर खातो में नकद हस्तांतरण शुरू किया गया और फिर धीरे–धीरे उसे कम करते हुए ख़त्म कर दिया गया। पेट्रोल–डीजल पर कर लगा उन्हें असल कीमतों से कई अधिक महंगा कर दिया गया। जब अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें काफी सस्ती थी तब भी भारतीय उपभोगता पूरी दुनिया में सबसे महंगा तेल खरीदने पर मजबूर थे। देश की बड़ी आबादी इस महंगाई की मार के कारण पहले से गरीब होती जा रही है उन की असल आय में गिरावट है और इस चोट को सहने में सक्षम नहीं है। सरकार की नीतियां इस महंगाई को बढ़ा रही है और सरकार इस के नियत्रण के लिए कदम उठाती नज़र नहीं आ रही है।

घटता रोज़गार– बढती बेरोजगारी

कोविड महामारी संकट से पहले ही, सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के कारण रोजगार एक चिंता का विषय बना हुआ था। जनवरी 2019 में देश के समक्ष यह खबर आई थी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आकड़ों के अनुसार 2017–18 में भारत में बेरोज़गारी दर 6.1 प्रतिशत थी, जो उस से पिछले 45 सालो में सब से अधिक थी। जिस आंकडें को छिपाने के लिए मोदी सरकार द्वारा भरसक प्रयास किये गए थे। बिना उपयुक्त तैयारियों के सरकार द्वारा लागु की कई नीतियों जीएसटी, नोटबंदी ने लाखो लोगों का रोज़गार छीना था। इस के बाद कोविड और उसके साथ आई तालाबन्दी ने तो लाखों लोगों के रोज़गार पर प्रहार किया। महामारी की पहली लहर के साल 2020 में बेरोज़गारी दर 7.11 थी और अप्रैल 2020 में तो बेरोज़गारी दर 23.52 के साथ आज तक के सब से उच्चतम स्तर पर आ गई थी। दूसरी लहर के साल 2021 के मई महीने में जब कई राज्यों में लॉकडाउन था तब देश की बेरोजगारी दर 11.9 रही जो जून के महीने में कुछ कम हो कर 9.17 प्रतिशत आ गयी। इन आंकड़ो के इतर अगर हम अपने आस–पास निगाहें दौड़ाए या घट रही घटनाओं पर ध्यान दें तो, हमारे सामने इस रोजगार संकट की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस दौरान लाखों लोगों के रोजगार नष्ट हुए है जिन में प्रतिदिन खुले श्रम बाज़ार में अपनी मेहनत बेच मजदूरी से गुज़ारा करने वाले मजदूर, छोटे कारोबारी, सड़क किनारे अपना काम करने वाले रेहड़ी–पटरी वाले, होटल–टूरिजम के काम से जुड़े लोग, परिवहन के काम से जुड़े लोग और बहुत से अन्य लोग जो कई तरह के काम धंधो में लगे थे, उन्हें सुस्त अर्थव्यवस्था में मांग की कमी और तालाबन्दी के कारण बेरोजगार होना पड़ा है। इस के अलावा लाखों लोगों को जो निजी क्षेत्र के

अधीन काम करते थे उन्हें भी अपनी नौकरियां गवानी पड़ी है। जिन की नौकरिया बची है उन के भी काम के घंटे बढ़ा दिए गए व वेतन में कटौती कर दी गई है। लॉकडाउन से पहले ही नौकरियों की मांग को ले कर सोशल मीडिया पर अभियान चलने शुरू हो गए थे और अब महामारी की त्रासदी के बाद तो रोज़गार का सवाल पहले से भी अधिक बड़ा बन गया है। सरकार के पास लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिए कोई स्पष्ट नीति नज़र नहीं आती। सरकार द्वार सार्वजनिक उद्यमों को बचने पर जोर दिया जा रहा है, जिस कारण बढ़ते निजी क्षेत्र के साथ स्थाई व सुरक्षित रोज़गार लगातार घटते जा रहे है। 2014 के अपने चुनावी घोषणापत्र में जहां भाजपा ने 25 करोड़ नए रोज़गार देने की बात कही थी, वहां आज नए रोज़गार तो दूर की बात पुराने, पहले से मौजूद रोजगारों पर भी संकट दिखाई पड़ता है। जहां एक और अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद खुल रही है पर रोज़गार के मामले में विरोधाभास नज़र आता है, रोज़गार फिर भी घट रहा है।

देश के ख़राब होते आर्थिक हालत

महामारी के आने से पहले ही देश की आर्थिक सेहत ख़राब होने लगी थी, 2019–20 में ही भारतीय आर्थिक विकास दर 2008 के बाद पहली बार 5 प्रतिशत से नीचें आई इस वर्ष विकास दर 4.04 प्रतिशत रही थी। महामारी के दौरान आर्थिक वर्ष 2020–21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सालाना 7.97 की सिकुडन रही। यानि वार्षिक विकास दर माइनस में रही और पहली तिमाही के अंदर यानि अप्रैल से जून के बीच जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन चल रहा था उस समय यह दर ऋणात्मक 23.9 रही थी। देश के विभिन्न क्षेत्रो पर इस मंदी का असर साफ नज़र आता है। जब सेवा और उत्पादन क्षेत्र में विकास दर नकारात्मक थी तब भी कृषि की विकास दर सकारात्मक 3.4 थी। यानि कृषि अभी भी वो क्षेत्र है जो बहुमत जनता के लिए बुरे वक़्त में भी सहारा है। तमाम आर्थिक संस्थानों का कहना है कि आने वाले दिनों में देश में गरीबो की संख्या दोगुनी होने वाली है। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 23 करोड़ नये लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगे और गरीबी की दर 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। कुल मिला कर देश की आधी के लगभग आबादी गरीबी रेखा के नीचे होगी। देश की जनता की यह बढती दरिद्रता गंभीर चिंता का विषय है।

देश की आबादी के एक हिस्से के लिए तो रोटी, कपडा, स्वस्थ जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाना भी मुमकिन नहीं बचा है, ऊपर से लगातार बढती महंगाई, बेरोज़गारी, घटती आय ने लोगों को और आशंकित कर दिया है। आम आदमी की जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी इस दौर में ख़त्म होती जा रही है इस के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ख़राब होती आर्थिक सेहत भी एक खतरे की घंटी है। मार्च 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल नॉन परफोर्मिंग एसेट 9.54 प्रतिशत था जो की अनुमान के अनुसार मार्च 2022 में 12.52 प्रतिशत पंहुच जाएगा। यानीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का डूबा हुआ पैसा बढ़ता जा रहा है। जो की आम आदमी की बैंकों में रखी बचत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। लोगों के हाथो में पैसा ना होने से उपभोग वस्तुओं की मांग में कमी है और मांग की कमी के कारण कंपनियां निवेश को सीमित कर रही है तथा निवेश की आपूर्ति ना हो पाने के कारण नए रोज़गार पैदा नहीं हो रहे। यानि यह एक कुचक्र है जिस में फसी अर्थव्यवस्था को निकलने के लिए मांग को पैदा करना अनिवार्य है पर लोगों के पास पैसे ना होने के कारण मांग भी पैदा नहीं होगी। यह पूंजीवादी आर्थिक संकट है जिस का निदान सकारात्मक जन पक्षीय आर्थिक नीतियां ही हो सकती है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहराता संकट

ग्रामीण अर्थव्यस्था में कुल आय का 39 प्रतिशत कृषि कार्य से आता है और 61 प्रतिशत अन्य कार्यो से, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पैसे कमाने शहरों में जाते है जोकि गावों में अतिरिक्त आय

का ज़रिया बनता है। देश के कुल सकल घरेलु उत्पाद का दो फीसद शहरों से गावों के तरफ जाता है। एसे में जब मांग की कमी के कारण पूरी अर्थव्यवस्था में ही मंदी है तो उस का असर ग्रामीण व्यवस्था पर पड़ना भी स्वभाविक है। गावों में भी मांग की कमी है, जिस से उत्पादों के उपभोग में कमी आई है। इस के अलावा शहरो से गावों में लौटे लोगों से ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों की संख्या बढ़ गयी है। इंडिया रेटिंग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी 8.5 प्रतिशत से घट कर 2.9 पर आ गई। इस बड़ी संख्या में मौजूद मजदूरों को रोज़गार देने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम नहीं थी। ऐसे में मनरेगा ही मदद कर सकता था पर, सरकार की उपेक्षा के चलते, जरुरत के अनुरूप राशी आवंटित करने की बजाय, बजट से इस के लिए दिए जाने वाला हिस्सा घटता गया जिसके चलते यह लगातार कमज़ोर हो रहा है और लोगों की मांग के अनुरूप मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाना व काम के दिन बढ़ाना तो दूर की बात ज़रूरतमंदो को मौजूदा मजदूरी दर पर 100 दिन भी काम नहीं मिल पा रहा है।

पिछले साल कृषि क्षेत्र में ही सिर्फ वृद्धि दर सकारात्मक थी, तब कृषि से काफी उम्मीदे लगाई गई थी। पर इस वर्ष सरकार की दिशा हीनता ने इस पर भी खतरे का साया डाल दिया है। पहले तो सरकार द्वार कृषि क्षेत्र में खेती विरोधी तीन काले कानून लाए गए, जिन का विरोध पिछले एक साल से किसान कर रहे है और तीखा आन्दोलन चल रहा है। इन खेती विरोधी कानूनो के असर भी अब दिखने शुरू हो चुके है, खाद्य तेल के बेतहाशा बढे दाम इस से सीधे तौर पर जुड़े है। भारत में एक तो जोत लगातार छोटी होती जा रही है और औसत जोत एक एकड़ से कम पर आ गई है, जिस कारण इन छोटे किसानो के पास लागत के तौर पर लगाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है। इस वर्ष एक तो पहले ही मानसून कमज़ोर नज़र आ रहा है उस पर डीजल के बढे दामो ने सिंचाई को और मुश्किल बना दिया है। इस वर्ष खरीब की फसल की बीजाई का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से भी अधिक घट गया है। खाद सहित बाकि इनपुट साधनों के दामो में भी वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ ताज़ा आकड़ो की बात करे तो कृषि उत्पाद में 1.9 प्रतिशत अपस्फीति(डिफ्लेशन) है यानि कृषि से आय में और गिरावट होगी।

सरकार का नीतिगत दोष

इस आर्थिक बदहाली को रोक पाने या काबू कर पाने में विफलता के पीछे केंद्र सरकार की नीतिया मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। महामारी के बाद आए संकट से पहले ही, बिना सोचे समझे उठाए गए कदमो ने आर्थिक मंदी को आमंत्रण दिया था। केंद्र सरकार अपने कदमो से ना तो पहले आए संकट को संभाल पाई और ना ही महामारी के बाद की आर्थिक तबाही से देश को बचा पाई। सरकार द्वारा उठाये गए कदम बस बड़ी कार्पोरेट कंपनियों के नुकसान की भरपाई कैसे कराइ जाए, इस जुगाड़ के इंतजाम की दिशा में नज़र आए। पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार द्वारा मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपयें के पैकेज की घोषणा की गयी थी तथा दूसरी लहर के बाद जून 2021 में 6.28 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गयी थी। पर धरातल पर इस अपार धन से आम आदमी के जीवन में कोई खास फर्क या जरुरी बदलाव आया हो यह नज़र नहीं आता। घुम–फिर कर इस पैसे से होने वाला लाभ भी बड़ी कंपनियों की तरफ ही मोड़ दिया गया। अर्थव्यवस्था के पहिये को आगे बढ़ने के लिए देश में मांग को पैदा करना जरुरी है, जिस के लिए लोगों के पास पैसों का होना आवश्यक है और इस

मुश्किल दौर में लोगों के पास ख़रीदारी करने के लिए भी पैसे कहा से आए? ऐसे में जरुरी था कि आम आदमी के हाथ में पैसे आए और इसी लिए कई अर्थशास्त्रियों ने नगद हस्तांतरण की वकालत की थी। साथ ही साथ मजदूरों–किसानों के संगठनों ने भी जिन लोगों की आय को गंभीर हानि हुई थी उन के लिए सरकार द्वारा सीधे नगद हस्तांतरण के ज़रिये मदद पंहुचाई जाने की मांग की थी। पर केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। महामारी के दौर में जिन्हें आर्थिक हानि पंहुची उन्हें मुफ्त अनाज देने के अलावा सरकार द्वारा कोई अन्य मदद नहीं दी गई।

महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलते हुए केंद्र सरकार द्वारा उल्टा कॉर्पोरट के हक में किसान विरोधी तीन कृषि कानूनों और मजदूर विरोधी श्रम सहिंताओ को ले आया गया। रोज़गार पैदा करने के नाम पर कंपनियों को सस्ते कर्ज़ व किस्त भुगतान अवधि में बढ़ोतरी और टैक्स रियायते दी गई। जिस का फायदा इन कंपनियों द्वारा रोजगार सृजन के बजाय अपना घटता मुनाफा पूरा करने के लिए ही किया गया। यही कारण है की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद शेयर मार्किट और कंपनियों के मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ा। जहा एक ओर आम आदमी की आमदनी पर असर पड़ा वहीं दूसरी ओर महंगाई ने उस के जीवन व्यापन की लागत को बढ़ा दिया। सरकार ने भी इस बढ़ती महंगाई को कम करने की दिशा में कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाये, बल्कि सरकारी नीतियों ने महंगाई को और बढ़ने का काम किया। हाल फ़िलहाल भी तमाम रेटिंग संस्थानों व अन्य संस्थानों के अनुमानों अनुसार इस वर्ष भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई ज्यादा सुधार के आसार नहीं दिखते, ऊपर से कोविड की तीसरी लहर के आने के डर से देश और अधिक आशंकित है, ऐसे में सरकार अपने नीतिगत निर्णयों पर पुनः विचार कर बदलाव नहीं करती, तो देश की आर्थिक सेहत और आम आदमी के लिए आने वाले दिनों में समस्याएं और अधिक बढ़ने वाली है। नीतियों में जनपक्षीय बदलावों के बगैर लोगों की आजीविका और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की सोच वैसी ही होगी जैसा मर्ज़ पेट का हो और इलाज सर का किया जा रहा हो। □

अथ टीका पुराण और इति वैक्सीन विरोधी मुहिम का कथा सार

–पंकज मेघ

अपने बच्चे/बच्ची को नहला धुला कर माँ जब बाहर खेलने या स्कूल जाने के लिए भेजती है तो उसके ललाट, ठोड़ी या गाल पर काजल, काजल न मिले तो तवे या कढ़ाई से थोड़ी कालिख उधार लेकर एक टीका लगाना नहीं भूलती। उसे लगता है यह काला टीका उसकी संतान को काली नज़रों और अलाय बलाय से दूर रखेगा। हमारी माँ भी यही करती थी – मगर यहीं तक रुकती नहीं थी। बाद में अंगुली पकड़कर घर के नजदीक वाले जनकगंज के सरकारी अस्पताल में बाकी टीके लगवाने भी ले जाती थी।

सदियों से, शायद जब से माँ बनी है तभी से प्रचलित माँ के इस टीके में ममत्व है, लाड़ है, वात्सल्य है, कामना है, सदिच्छा है, सदभावना है; इन सब में जब अनुभवों से हासिल विवेक और तार्किकता, अध्ययनों से हासिल तकनीक और विज्ञान भी जुड़ गया तो उन्हें आधुनिक टीका, अंग्रेजी भाषा में वैक्सीन कहा जाने लगा। प्रसंगवश यह कि सबसे बड़ा टीकों का भी टीका होता है माँ का दूध – जो अपार इम्यूनाइजेशन करता है, लड़ने और जीतने की ढेर शक्ति देता है। जन्म देने के बाद का पहला स्तनपान हजारों वैक्सीन्स की ऐसी डोज होता है जिसकी पूर्ति अब तक हुयी चिकित्सा विज्ञान की खोजें भी नहीं कर पाईं हैं।

इस लिहाज से सारे टीके प्रकृति रूपी माँ के वे जिरहबख्तर हैं जो उसने अपनी मनुष्य रूपी सन्तानों के लिए दिए हैं। इसलिए इनका तिरस्कार असल में आधुनिक टीके/वैक्सीन भी दुनिया भर की माताओं के संचित ज्ञान से लगातार विकसित होती चली आई उपलब्धि है। एक ब्रिटिश माँ थीं मैरी वोर्टले मोंटेगु । जब वे थीं तब चेचक की जानलेवा बीमारी ने पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचाया हुआ था । उन्हें भी हुयी थी। वे नहीं चाहती थीं कि उनकी तरह उनकी बेटी के चेहरे पर भी चेचक के दाग हमेशा के लिए रह जाएं और उसकी सुंदरता खो जाए। मैरी ने अपनी तीन साल की बेटी की त्वचा पर एक बहुत छोटा–सा कट लगाया और इससे बने घाव पर बहुत थोड़ी मात्रा में चेचक का पस लगा दिया , ताकि उसके शरीर में इसका प्रतिरोध करने वाली एंटीबॉडी बन जाए। इस तरह उन्होंने 'वैक्सीन' बना दी। यह बात 1721 यानी अब से 300 साल पहले की है।

किन्तु यह आईडिया भी मैरी का ओरिजिनल नहीं था। वे यह तरीका तुर्की से सीखकर सीखकर आयी थीं । अपने तुर्की प्रवास में उन्होंने देखा था कि वहां लोगों को चेचक नहीं होता। इसकी वजह तलाशी तो उन्हें पता चला कि अनपढ़ और बूढ़ी ग्रीक व आर्मीनियाई माँयें अपने बच्चों को पस का 'टीका' लगाती हैं। इतिहास में दर्ज है कि इसी तकनीक के आधार 12 अक्टूबर 1768 को रूस की महारानी कैटरीना का टीकाकरण डेसमेडेल ने किया था। मैरी के कोई 75 और डेसमेडेल के 28 साल बाद 1796 में इसी तरीके के आधार पर एडवर्ड जेनर ने छोटी चेचक के टीके का आविष्कार किया। जिससे आने वाले 200 वर्षों में दुनिया की जनता को जबरदस्त राहतें मिलीं – उनकी जिंदगियां बचाने के बाकी टीके खोजने के आधार बना बने ।

मगर यह आईडिया तुर्की का भी नहीं था वहां भी यह चीन से आया था। चीन में वर्ष 1000 में चेचक का टीका खोज लिया गया था। जो बाद में चीनी व्यापारियों के जरिये तुर्की से भारत और अफ्रीका तक फैला। लेकिन खुद चीन में इसका इतिहास और भी – कोई 1700 वर्ष – पुराना है। इस बात के लिखित प्रमाण मिलते हैं कि वहां सन 320 में ही चेचक का टीका जैसा कुछ खोज लिया गया था। इसके खोजकर्ता कौन थे/कौन थी उनका नाम नहीं मिलता। इसलिए वैक्सीन बिरादरी उन्हें मिस्टर या मिस एक्स के संबोधन से याद करती है।

उनकी समझदारी वही थी जो बाद में वैक्सीनेशन का आधार बनी। यह उनके अनुभवों से आयी थी। कई पीढ़ियों तक देखते देखते उन्होंने पाया कि जिसे एक बार महामारी हो जाती है और वह बच जाता है तो वह बाद में भले बीमारों के साथ रहे, उसके कितने भी नजदीक जाए, उसे दोबारा वही बीमारी नहीं होती। उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर उसके शरीर में कुछ ख़ास चीजें विकसित हो जाती होंगी – इन्हे ऐसी बीमारी के सीमित कीटाणु देकर बिना रोगी बनाये हुए भी विकसित किया जा सकता है। प्राचीन चीनी चिकित्सा शास्त्रों में इन मिस एक्स (अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर यही मानकर चलना चाहिए कि वे महिला थीं) की इस तकनीक के लिए एक शब्द–समुच्चय मिलता जिसे चीनी भाषा में "यी तू कुंग तू" कहते हैं; जिसका मतलब होता है जहर को जहर मारता है।

यही समझ बाद में टीके या वैक्सीन का मुख्य आधार बनी। जिस बीमारी की वैक्सीन होती है उसी के कुछ अहानिकारक कीटाणुओ से टीका बनता है जो शरीर में पहुंचाए जाते हैं। वे शरीर के डब्लूबीसी और आरबीसी से लड़ते हुए उसके अंदर एंटी बॉडीज पैदा कर देते हैं – जब बाद में सचमुच की महामारी के कीटाणु बैक्टीरिया या वायरस आती है तो शरीर की ये एंटी बॉडीज उस संक्रमण को हरा देती हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगो को टीका/वैक्सीन लगवाने के बाद एक दो दिन बुखार आता है। यह शरीर में जारी युद्द और नई एंटी बॉडीज बनने की गरमाहट का नतीजा होता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए – एक पेरासिटामोल काफी है। एंटी बॉडीज एक तरह के सैनिक हैं। वैक्सीन उन्हें नए तरह के दुश्मनों को सीमित मात्रा में शरीर में पहुंचा उनसे लड़ने के लिए ट्रेंड करता है – शक्ति देता है।

वैक्सीन के आधुनिक इतिहास का आगाज 1885 में लुई पाश्चर द्वारा पागल कुत्ते की – रैबीज की – वैक्सीन खोजे जाने से होती है। इसके बाद जीवाणु विज्ञान (बैक्टीरियोलॉजी) में तेजी से हुए विकास के बाद बहुत जल्दी ही – 1930 तक – डिप्थीरिया, टिटनेस. गिल्टी रोग, हैजा, प्लेग और टीबी से लेकर बाकी टीके आ गए। इसी खोज का नतीजा था कि चेचक – जो सबसे पुरानी महामारी थी – को समाप्त किया जा सका।

इसी श्रृंखला में आयी 1955 में पहली बार इस्तेमाल की गयी डॉ जोनास साल्क द्वारा खोजी पोलियो की वैक्सीन जिसे डॉ अल्बर्ट साबिन ने ओरल वैक्सीन में बदलकर पहली बार 1961 में इस्तेमाल किया। आज पोलियो दुनिया से गायब होने को है।

वैक्सीन विरोधी मुहिम का वायरस

कोरोना महामारी, जिसका एकमात्र स्थायी समाधान टीका/वैक्सीन ही है उसकी दूसरी और अत्यंत जानलेवा लहर के बीच टीकाकरण/वैक्सीनेशन के खिलाफ बड़ी तेजी से मुहिम छेड़ी जा रही है।

गांव देहात के इलाके में एक अफवाह जोर से फैली कि लोग वैक्सीन लगाने के बाद मर जा रहे हैं। यह महज अफवाह के सिवाय और कुछ भी नहीं है। बेसिक और याद रखने वाली बात यह है कि लोगों के बीच इस्तेमाल होने से पहले वैक्सीन कई चरणों में, कई तरह की परीक्षाओं और स्वतंत्र परीक्षकों की निगरानी से होकर गुजरती है। लाखों लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। उसके आधार पर ही इसे मान्यता दी जाती है।

यह भी अफवाह फैली है कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं वह वैक्सीन ना ले। जबकि हकीकत यह है कि ट्रायल के दौरान जिन लाखों लोगों पर वैक्सीन परीक्षण किया जाता है वे एक ही ढंग के लोग नहीं होते। उसमें सभी प्रकृति के लोग शामिल होते हैं। कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग भी शामिल होते हैं।

वैक्सीन विरोधी अज्ञान और अवैज्ञानिकता के इस वायरस के दो कैरियर हैं ; एक वे भोले भाले लोग हैं जो किसी भी चण्डूखाने की बात को प्रामाणिक मान आनन फानन सीधे छत पर खड़े होकर उसे जोर जोर से दोहराने लगते हैं या किसी झक्की के कहे असत्य को ब्रह्मसत्य मान त्रिपुण्ड की तरह अपने भाल पर सजा लेते हैं। इन्हे मूर्ख कहना इनकी भावनाओं को आहत कर सकता है इसलिए नहीं कहा जाना चाहिए।

दूसरे हैं धूर्त जो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि महामारी से देश को बचाने के मामले में उनके आकाओं की नाकाबलियत और विश्वविख्यात हो चुकी अक्षमता को छुपाया जा सके। महामारी को फैलाने में उनके करामाती योगदान को भुलाया जा सके। जब देश को टीकों की जरूरत थी तब मुनाफे के लिए उनका निर्यात करवाने, समय पर वैक्सीन खरीदी का आर्डर न देने और अपने देश में वैक्सीन उत्पादन की क्षमता का भरपूर उपयोग करने की बजाय सिर्फ दो कंपनियों को ही अनुमति देने की उनकी नरसंहारी आपराधिकता पर पर्दा डाला जा सके। दुनिया की 60 प्रतिशत वैक्सीन पैदा करने वाले देश – भारत – को एक एक वैक्सीन के लिए गिड़गिड़ाते देश में बदल कर रख देने की घोर नालायकी दबाई जा सके।

इसलिए भी कि वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए उसके स्वीकृत विज्ञान को उलट देने की हुक्मरानों की हरकत निगाह में न आये। जैसे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेना जरूरी है। दोनों खुराकों की अलग अलग तासीर होती है। पहली डोज शरीर में एंटीजन यानी उस प्रोटीन का निर्माण करती है जिसकी वजह से शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनते हैं। दूसरी डोज शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम की मेमोरी – याददाश्त – को कोरोना के खिलाफ मजबूत कर शरीर को और अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अभी तक का सुझाव यह है कि वैक्सीन के लिए जिस कंपनी की पहली डोज इस्तेमाल की गई हो, उसी कंपनी की दूसरी डोज भी इस्तेमाल की जाए। इस बिंदु पर आगे भी सुझाव आते रहेंगे। मगर टीके की कमी है इसलिए हमारे वालों ने कुछ तथाकथित वैज्ञानिकों के कहे के नाम पर दूसरा टीका ही टाल दिया है ।

इन सारे घपलों और धोखाधड़ियों पर निगाह न जाए ठीक इसीलिए पूरे चिकित्सा विज्ञान के खिलाफ ही रामदेव जैसों को लगाकर टर्र टर्र मचा दी है। खुद के पापों का हिसाब देने की बजाय आयुर्वेद और एलोपैथी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की चतुराई दिखाई जा रही है।

जरूरत इस बात की थी कि वैश्विक तथा घरेलू, सभी उपलब्ध स्रोतों से केंद्रीय रूप से टीके हासिल किए जाएं। फौरन देश भर में मुफ्त, सार्वभौम, जन टीकाकरण शुरू किया जाए। अनिवार्य लाइसेंसिंग का सहारा लेकर, घरेलू टीका उत्पादन का विस्तार किया जाए। 35,000 करोड़ रु. का जो आवंटन बजट में टीके के लिए रखा गया है, उसे खर्च किया जाए। मोदी महल वाले सेंट्रल विस्टा का निर्माण रोका जाए। इसके बजाए, इस आवंटित पैसे का उपयोग ऑक्सीजन, दवाइयां तथा टीके हासिल करने के लिए किया जाए। पीएम केअर्स फंड नाम के जांच से परे निजी ट्रस्ट फंड में जमा सारा पैसा जरूरी टीकों, आक्सीजन तथा चिकित्सकीय उपकरणों की और बड़ी संख्या खरीदने के लिए दिया जाए। मगर जिनका जमीर गंगा में डूबती उतराती हजारों लाशों को देख नहीं जागा, जिनके मुंह से लाखों भारतीयों की मौतों पर संवेदना का एक शब्द नहीं निकला वे इतनी आसानी से नहीं पसीजते।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीकों और उनके लिए बजट में आवंटित 35 हजार करोड़ रुपयों का हिसाब मांगे जाने के बाद भड़भड़ाई सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21 जून से मुफ्त टीकाकरण होगा। चूंकि खून में ही व्यापार है इसलिए इसमें भी 25 प्रतिशत सप्लाई निजी अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन लगाने के लिए आरक्षित कर दी गयी है। बाकी भी जुमला है या सचमुच का निर्णय इसके लिए अभी इन्तजार करना होगा क्यंकि यह सरकार अब तक की सबसे ज्यादा अविश्वसनीय सरकार है। इतनी अविश्वसनीय कि खुद इसके समर्थक और कार्यकर्ता भी अब इनकी घोषणाओं पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। □

बिहार में फसलों का निम्नतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति (पैक्स)

– नंद किशोर शुक्ला

एक तरफ मोदी सरकार आम किसानों को धोखा देने के लिए झूठा दावा करती है कि वह डा. स्वामीनाथन कमिशन के मुताबिक फसलों का एमएसपी , लागत का डेढ़ गुना दाम दे रही है। स्वामीनाथन कमिशन के मुताबिक सी2+50 प्रतिशत मिलना चाहिए, अर्थात कुल लागत जिसमें जमीन का रेंट/किराया भी शामिल है, उसके डेढ़ गुना दाम तय करना चाहिए पर सरकार ए2+एफ एल+50 प्रतिशत जोड़ती है। इसमें मुख्य अंतर है कि सरकार जमीन का किराया नहीं जोड़ती है। और लागत सामग्री/इनपुट्स की कीमत दो वर्ष पहले का जोड़ती है। दूसरी बात रब्बी और खरीफ मिलाकर केन्द्र सरकार 23 फसलों का एमएसपी एलान करती है लेकिन सिर्फ धान और गेहूं की हीं कुछ मात्रा में और कुछ क्षेत्रों में खरीद करती है।

जहाँ तक बिहार का सबाल है, बिहार के 95 प्रतिशत किसान आज भी अपने फसलों का निम्नतम समर्थन मूल्य नहीं पा रहे हैं और औने पौने भाव पर बिचौलियों के हाथ बेचने को मजबूर हैं। बीते धान के फसल के समय जब भारत सरकार ने एमएसपी 1868/– प्रति क्वींटल तय किया था हलांकि यह भी डा. स्वामीनाथन कमिशन के प्रस्ताव से 400/– रु.से भी अधिक कम था ,जब कि केरल सरकार धान की खरीद पर किसानों को 800/– क्वींटल से ज्यादा बोनस दिया लेकिन बिहार में आम किसानों को बिचौलियों के हाथ 1100–1200 रुपये प्रति क्वींटल में धान बेचना पड़ा। यही हालत मक्का का रहा, जिसका एमएसपी 1850/– निर्धारित था पर किसानों को एक हजार रुपये क्वींटल भी नहीं मिल पाया। अभी जो रब्बी का सत्र समाप्त हो रहा है, इसमें गेहूं का एमएसपी 1975/– तय किया गया था पर आम किसानों को 1200–1400 रुपये में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा. क्योंकि यहाँ मंडी की प्रणाली/सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया गया है. 2006 के पहले जो मंडी की स्थिति थी उसकी भी कोई अच्छी हालत नहीं थी। जिला स्तर पर या कहीं कहीं अनुमंडल स्तर पर कृषि बाज़ार समिति नाम से मंडियां थी जो आज भी है. पर 2006 के पहले वहाँ एफ. सी.आई. और बिहार राज्य खाद्य निगम एवं नीजी आढ़ती तीनों अनाज खरीदते थे तो किसानों को कुछ लाभ हो जाता था। एफ. सी.आई. और राज्य खाद्य निगम को वहाँ से हटा दिया गया.अब वहाँ नीजी आढ़ती हीं खरीद बिक्री करते हैं, पहले वहाँ कुछ सरकारी खरीद भी होती थी, जो 2006 के बाद बिलकुल बंद हो गया है. क्योंकि 2006 में डा. स्वामीनाथन कमिशन का रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में कृषि मंडियों में अनाज की सरकारी खरीद बंद कर प्रत्येक पंचायत में पैक्स की प्रणाली चालू कर दिया, जिसे धान और गेहूं किसानों से एमएसपी दर पर खरीदने का जिम्मा दिया गया। प्रत्येक पंचायत में पांच वर्षों के लिए पैक्स का चुनाव शुरू हुआ, एक अध्यक्ष और 11 कार्यकारिणी सदस्य। आमलोगों ने आरम्भ में इसका स्वागत किया कि प्रत्येक पंचायत में हीं अनाज की खरीद एमएसपी दर पर हो जाएगी। पर कुछ हीं वर्षों में बहुमत पैक्स या तो काम करने से लाचार हो गए या भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया। क्योंकि पैक्स में खरीद के लिए सरकारी सीसी/कैश क्रेडिट देने फिर देर होने पर उसका भारी ब्याज दर वसुलने, किसानों से कुल बेचने लायक अनाज न लेकर उसका सीमा बांधना, किसानों को बिक्री करने के लिए ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को अनिवार्य कर दिया गया है, तभी उनका अनाज लिया जाएगा और उसके लिए जमीन का मालिकाना दस्तावेज चाहिए। अब जो किसान दूसरे की जमीन रेंट पर या बटाई पर लेकर खेती करते हैं, जिनकी संख्या बिहार में लगभग 40 प्रतिशत है और बिहार में बटाईदार, रेंट या लीज लिखित नहीं अभी भी,सारा मौखिक हीं चलता है और जमीन मालिक बटाईदार को जमीन का दस्तावेज नहीं देता,फलतः बटाई या रेंट पर खेती करने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए उनका फसल पैक्स नहीं लेता और वे बिचौलियों से हीं बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। फसलों के पैदावार आने के महिनों बाद पैक्स को खरीदने के लिए कैश क्रेडिट दिया जाता है, तबतक छोटे और मझोले किसान मजबूरी में बिचौलियों को बेच देते हैं। पैक्स अध्यक्ष या कार्यकारिणी सदस्यों को कोई मानदेय नहीं मिलता बल्कि मामूली कमिशन मिलता है जिसमें अनाज उठाने, मिल तक या एफसीआई या खाद्य निगम तक पहुँचाने में खर्च भी करना पड़ता है। किसानों से अनाज लेकर राज्य खाद्य निगम को देना, जिसके द्वारा पैक्स को तत्काल भुगतान न करना और उसपर सीसी का ब्याज बढ़ते जाना। अगर पैक्स धान खरीदता है तो सरकार द्वारा निर्धारित राईसमिल को चावल बनाने के लिए देना, फिर उस चावल को खाद्य निगम को आपूर्ति करना, उससे भुगतान प्राप्त कर सरकार के सीसी को भुगतान करना और देर होने पर भारी ब्याज देना, नहीं तो मुकदमों में फंसना। परिणाम यह हुआ कि कुछ ऐसे पैक्स को छोड़कर जहाँ वामपंथी या इमानदार पैक्स अध्यक्ष हैं, बहुमत भ्रष्टाचार के अड्डा बन गये क्योंकि वे बिचौलियों पर निर्भर हो गए। बिचौलिए औने पौने भाव में खरीदते हैं और पैक्स अध्यक्ष एवं कृषि विभाग तथा खाद्य निगम के अधिकारियों के बीच सांठगांठ एवं बंदरबांट होता है, कागज पर एमएसपी पर खरीद होती है. आम किसान लूटा जाता है, पर बिहार सरकार यह दावा करती है कि पचासों लाख किसानों से दसियों लाख टन अनाज खरीद लिया है। यह सरासर धोखेबाजी और लूट है।

इसे ठीक करने के लिए आवश्यक है कि अनाज खरीद की प्रणाली को दुरुस्त किया जाए, किसानों को एमएसपी पर भुगतान की गारंटी हो, बंद मंडियों को फिर से चालू किया जाए जहाँ एफसीआई और राज्य खाद्य निगम पहले की तरह खरीद करे.साथ हीं पैक्स अध्यक्ष को उचित कमिशन या मानदेय दिया जाए। पैक्स के जनवादी फंकशनिंग की गारंटी की जाए। फसल की कटाई के समय हीं पैक्स को सीसी दे दी जाए। बटाईदार किसानों और रेंट पर खेती करने वाले किसानों को जमीन के कागजात जमा करने की अनिवार्यता से छूट मिले। अन्यथा किसानों की लूट जो बिहार में जारी है वह जारी रहेगी.लेकिन श्री नीतीश कुमार जी अपना पीठ स्वयं ठोकते रहेंगे।

इसके लिए किसानों को एकजुट संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी के लिए, जिसके द्वारा सरकार मंडी को समाप्त करने और एमएसपी पर खरीद बंद करने, ठेका खेती को बढ़ावा देने और जमाखोरी को खुली इजाजत देने, खाद्य सुरक्षा को समाप्त करने और महगाई को बेलगाम बढ़ावा देने और किसानों की जमीन तथा खेती कारपोरेटस के हवाले करने के रास्ते पर बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसको पलटने के लिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए चलरहे व्यापक किसान संघर्ष में और ज्यादा भागीदारी करनी होगी। एकजुट संघर्ष के अलावे आम किसानो के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

(पैक्स के बारे में रिपोर्ट दरभंगा के एक पैक्स अध्यक्ष साथी श्याम भारती और मुजफ्फरपुर जिला के एक पैक्स अध्यक्ष साथी चंदेश्वर चौधरी से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है) □

मजबूत होता किसान आंदोलन और भाजपा सरकार की बढ़ती बौखलाहट

–इंद्रजीत सिंह

देश में चल रहे किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा एक दूसरे से बढ़–चढ़कर योगदान दे रहे हैं। अलबत्ता हरियाणा के लोगों की भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है कि देश की राजधानी के तीन ओर हरियाणा लगता है। पंजाब को दिल्ली से जोड़ने वाले सभी रास्ते भी हरियाणा से ही गुजरते हैं। सिंघू, टिकरी ,ढांसा, पलवल और सुनहरा बॉर्डर पर 8 महीने से चल रहे पड़ाव भी हरियाणा में ही हैं।

बढती बौखलाहटः पंजाब और राजस्थान में गैर भाजपा की सरकारें हैं इसलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें किसान आंदोलन को विफल करने को दिन रात एक किए हुए हैं। हरियाणा की भाजपा– जजपा गठबंधन सरकार की बौखलाहट ज्यों ज्यों बढ़ रही है त्यों त्यों मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। वे कभी कहते हैं कि हरियाणा के देहात में कोरोना संक्रमण किसान आंदोलन की वजह से हुआ। कभी कहते हैं कि किसान आंदोलन के पीछे लाल झंडे की राजनीतिक आकांक्षाएं हैं।

जनता ने किया बहिष्कृतः पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और हत्याएं हो रही हैं। इस बौखलाहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। सचाई यह है कि आज हरियाणा में भाजपा – जजपा के मंत्रियों व नेताओं का पूरे प्रदेश में जनता ने मुकम्मल रूप से बहिष्कार किया हुआ है। जहां भी वह जाएं वही काले झंडे स्वागत को तैयार मिलते हैं। हजारों लोगों पर मुकदमा बनाए जाने के बावजूद रोजाना औसतन तीन चार स्थानों पर सत्ताधारी भाजपा वालों को तीखे जन प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है।

ये उद्घाटन के नाटक नहीं कर पा रहे हैं। फीता काटने को उंगलियां मचल रही हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए अब एक नहीं बल्कि दो हेलीपैड बनाए जाने लगे हैं। एक घोषित स्थान पर और दूसरा गुप्त स्थान पर। आंदोलन को बलपूर्वक दबाने और तमाम तरह से बदनाम करने के हथकंडे विफल हो चुके हैं।

विश्वविद्यालय बने शरणस्थलीः अब भाजपा ने प्रदेश के विश्वविद्यालय कैम्पसों को पार्टी मीटिंग करने के लिए चुना है. हिसार में 10 जुलाई और सिरसा युनिवर्सिटी में 11 जुलाई को भाजपा के शिविर और जिला कार्यकारिणी की मीटिंगें की गई जिनका किसानों की ओर से भारी विरोध किया गया है और पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बलप्रयोग किया। गुरु जंभेश्वर युनिवर्सिटी हिसार के गेट से बाहर निकलते हुए भाजपा के एक नेता द्वारा महिला आंदोलनकारी किसानों की ओर अश्लील इशारे किये जाने को लेकर विरोध कारवाई हो रही हैं. हांसी का भाजपा विधायक को इस प्रकरण पर सार्वजनिक माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा।

साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल : अब राजनीतिक रूप से घिर चुकी भाजपा अपना हमेशा से आजमाया हुआ कुख्यात धंधे पर करने पर उतर आई है। हाल में जातिवादी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरनाक खेल शुरू कर दिया गया है। बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक के नजदीक एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा की गई खुदकुशी जैसी घटना को हत्या बता कर दो आंदोलनकारी किसानों को गिरफ्तार किया

गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जाति विशेष का रंग देकर आंदोलनकारियों को टिकरी बॉर्डर से उठाने की मांग कर डाली गई। इस प्रकार आपराधिक घटनाओं का दुष्प्रचार करके किसान आंदोलन की बदनामी करने की शर्मनाक मुहिम जारी है। इसी प्रकार सिंह बार्डर पर स्थानीय का नाम लेकर भाजपा के लोग अफवाह फैला कर पंचायतों का नाटक रच रहे हैं. सच्चाई यह है कि प्रदेश भर में हत्या, लूट ,बलात्कार, अपहरण आदि की घटनाएं इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आम जनता खौफ में जीने को मजबूर है और अपराधी खुले घूम रहे हैं।

मेवात पर निशानाः सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भाजपा–आर. एस .एस . का चिर परिचित खेल रहा है और हरियाणा में इस खेल का मैदान है मेवात ,जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। भाजपा को जो बात सबसे ज्यादा खटकती रही है, वह यहां का सामाजिक सद्भाव है। पिछले कई महीने से राजस्थान से लगते बॉर्डर पर सुनहड़ा गांव में किसानों का पड़ाव सफलता से चल रहा है। अब संघियों ने सुनियोजित ढंग से नफरत फैलाकर अपराध की घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देते हुए हिन्दू लामबंदी की साजिश रची है। पिछले दिनों खेड़ा खलीलपुर गांव के एक युवक आसिफ की हत्या के अभियुक्तों के पक्ष में इंडरी गांव में 30 मई को 'हिंदू महा पंचायत' के बैनर से एक जमावड़ा किया गया। इसमें कथित करणी सेना के एक स्वंयभू अध्यक्ष भाजपा नेता सूरजपाल अम्मू ने भड़काऊ भाषण दिए और तत्पश्चात 4 अभियुक्तों को पुलिस ने छोड़ दिया। सूरजपाल अम्मू के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने का कोई मुकदमा दर्ज करना तो दूर उसे तुरंत भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया है। पुलिस के लोग इस क्षेत्र में दहशत फैलाकर झूठे केसों में युवाओं को यातनाएं देते हुए और पैसा ऐंठने का काम करते हैं। इसी के चलते हाल में एक युवक को पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री उत्पीड़न करके सत्तर हजार रूपये में छोड़ा और उसकी मौत हो गई।

इस प्रकार की विभाजनकारी हरकतों और पुलिस ज्यादतियों के मद्देनजर नागरिक मंच ने किसान सभा और सीटू आदि के संयुक्त बैनर से गत 20 जून को नूंह में परस्पर सद्भाव और एकता के लिए एक नागरिक सम्मेलन किया जिसे सुभाषिनी अली ने भी संबोधित किया।

इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा ने सुनेहड़ा बॉर्डर पर एक किसान–मजदूर भाईचारा पंचायत का आयोजन 28 जून को किया जिसे अशोक धवले, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, जगजीत सिंह दल्लेवाल, योगेंद्र यादव ,इंद्रजीत सिंह, सतबीर सिंह आदि ने संबोधित किया। मेवात के शानदार इतिहास को स्मरण करवाते हुए वक्ताओं ने यहां के परस्पर सद्भाव को बिगाड़ने की सत्ताधारी भाजपा की साजिशों को विफल करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि विगत में मेवात के क्षेत्र में कभी भी हिन्दू या मुस्लिम के नाम पर लामबंदी नहीं हुई। बहरहाल सांप्रदायिक जहर फैलाने की मुहिम अभी भी जारी है। पटौदी कस्बे में फिर से एक और हिंदू महा पंचायत करके सूरज पाल ने खुलकर अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान भगाने और कत्लेआम की धमकियां दी हैं। इस जमावड़े में जामिया के छात्रों पर गोलियां चलाने वाले शख्स रामभक्त गोपाल को भड़काऊ भाषण देने के लिए विशेष तौर पर बुलाया गया था। मीडिया में प्रमुख तौर पर उठने के बाद उसे 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है। परंतु अभी तक अम्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आश्चर्य नहीं कि अब गौ–रक्षा जैसे मामले भी फिर से उठाए जाएंगे।

लाल झंडे की फड़कः एक और बात गौर करने की है कि इस ऐतिहासिक आंदोलन का नेत्रत्व कर रही भिन्न भिन्न रंगो के झंडों वाली यह अभूतपूर्व किसान एकता सत्ताधारी गठबंधन की आंखों में रड़क रही है। इसे तोड़ने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओ. पी. धनखड़, कृषि मंत्री जे.पी. दलाल और स्वयं मुख्यमंत्री भी लाल झंडे को खासतौर पर निशाना बना रहे हैं। वैसे भी लाल झंडे से इन लोगों की घृणा स्वाभाविक ही है। दूसरे विश्व युद्ध में लाल झंडे न ही इनके प्रेरणा स्रोत हिटलर को धूल चटाई थी। आजादी के आंदोलन में लाल झंडे ने इनके ब्रिटिश आकाओं के खिलाफ लड़ते हुए जो असंख्य शहादतें दी थी उसके शानदार इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए पंचकूला और चंडीगढ़ की सड़कों पर दूसरे झंडों में हजारों लाल झंडे भी लहराते चलते हैं तो इनको छींक आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

आंदोलन का विस्तारः पिछले 8 महीने से शांतिपूर्वक किसान आंदोलन को किसानों के अलावा अन्य तबकों का भी समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसमें खेत मजदूर यूनियन और सीटू के निकटता से जुड़ने के बाद आगामी दौर में तमाम ज्वलंत सवाल भी उठेंगे और आंदोलन का विस्तार होना निश्चित है। प्रदेश भर में सिंचाई और पीने के पानी का जबरदस्त अभाव है। कोविड के उपरांत रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और ग्रामीण जनता के लिए मनरेगा की मांग बढ़ गई है। फसलों की बर्बादी के मुआवजे और गन्ने के बकाया के सवाल खड़े हैं।

किसान सभा राज्य कमेटी की 9 जुलाई को हुई बैठक में किसान आंदोलन की समीक्षा करते हुए किसान सभा के हस्तक्षेप की कार्यनीति बारे विस्तार से चर्चा हुई. बॉर्डरों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिलों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। टोलों पर किसान सभा की सक्रियता और ज्यादा बढ़ाते हुए संयुक्त कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देने की समझ बनी।

जींद का मशहूर लंगरः जींद के शुगर मिल के सामने शुरू से चल रहे लंगर के लिए जींद जिला की किसान सभा, सीटू और सर्व कर्मचारी संघ व अन्य सहयोगियों की सराहना की गई। उल्लेखनीय है कि इस लंगर पर सबसे अधिक संख्या में पंजाब से आते–जाते आंदोलनकारी भोजन व जल पान करते हैं. यहाँ 15 से 20000 रू का प्रतिदिन नकद खर्च आता है और सामग्री अलग है। अब तक इस लंगर पर 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आ चुका है। खास बात यह है कि खर्च और आमदनी का ब्यौरा प्रतिदिन सार्वजनिक किया जाता है। एक और संघर्ष का केंद्र हिसार के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जिला कमेटी चला रही है इस मंच से ज्वलंत समस्याएं उठाई जा रही हैं।

राज्य कमेटी बैठीः राज्य कमेटी ने आत्मोलचना करते हुए यह निश्चय किया है कि संगठन संबंधी कार्यों को पर्याप्त महत्व देते हुए सदस्यता अभियान चलाएंगे और प्राथमिक इकाइयों का भी गठन करेंगे। महिलाओं और युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए कमेटियों के साथ जोड़ेंगे। □

किसान आंदोलन का शाहजहांपुर मोर्चा

– गुरचरण सिंह मौड़

जब भारतीय किसानों को रोजी रोटी से मोहताज करने और कारपोरेट घरानों को मालामाल करने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा 5 जून 2020 अध्यादेश लाया गया तो देश भर में इसके खिलाफ हवा बनने लगी थी। उसकी परवाह न करते हुए मोदी सरकार ने 27 दिसंबर 2020 को गैर वैधानिक तरीके से तीनों काले कानूनों को आनन–फानन में बिना पूरी बहस करवाएं यहां तक कि राज्यसभा में तो वोट की मांग किए जाने के बावजूद इस बिल को ध्वनि मत से पास करवा कर एक तरह से किसानों पर हमला ही कर दिया।

पंजाब और हरियाणा में इसके खिलाफ एका एक आंदोलन शुरू हो गया जिसका असर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान पर भी पड़ा। यहां पर भी पंजाब के साथ–साथ लगातार धरने प्रदर्शन घेराव शुरू हो गए थे। लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं ना रेंगते हुए देखकर आखिरकार किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली में आने का निर्णय किया। पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेट लगाए गए, यहां तक की सड़कें खुदवाकर खड़े बना दिए गए। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों ने सरकार के इस प्रबंध को धता बताते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सिघु व टिकरी पर अपने झंडे गाड़ दिए। इन किसानों में राजस्थान के गंगानगर जिले के किसान भी शामिल थे किसान आंदोलन सिघु व टिकरी से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड तक चला गया, किसानों ने पलवल और गाजीपुर में भी अपने मोर्चे लगा दिए। किसान दिल्ली को चारों ओर से घेरते जा रहे थे लेकिन दिल्ली– जयपुर की रोड अभी भी बंद नहीं हुई थी।

किसान आंदोलन से आवाज उठ रही थी दिल्ली जयपुर मार्ग भी बंद किया जाए। राजस्थान में पंचायत चुनाव थे जिसकी वजह से किसान पंचायत चुनाव में व्यस्त थे, पंचायत चुनाव समाप्त होते ही अखिल भारतीय किसान सभा की राजस्थान कमेटी ने निर्णय लिया कि 13 दिसंबर को जयपुर दिल्ली रोड जाम की जाए तय किए गए। निर्णय के अनुसार 13 दिसंबर को कामरेड अमराराम के नेतृत्व में किसानों का एक बड़ा जत्था सीकर बहरोड़ रोड से होता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा इस जत्थे को शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर रोक दिया गया। किसानों ने वही अपने डेरे लगा दिए और जयपुर से दिल्ली जाने वाला रास्ता जाम कर दिया थोड़ी देर बाद टिकरी बॉर्डर पर से अखिल भारतीय किसान सभा के राजस्थान के कार्यकर्ता और जीकेएस के लोग भी वहीं पहुंच गए।

घढ़साना से आने वाले किसान अपने साथ गेहूं की ट्राली भरकर वह लकड़ियों का ट्रक साथ लेकर आए थे। किसानों ने वहीं पर अपने लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी जयपुर से दिल्ली वाली रोड वाला रास्ता रुक गया। अगले दिन पंजाब के साथी कामरेड मेजर सिंह के नेतृत्व में पंजाब की आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता भी इस मोर्चे की मदद के लिए पहुंच गईं। तीन दिन बाद कोटा, पटियाला व विजयनगर के गुरूद्वारों से भी लंगर सेवा पहुंच गई थी लेकिन अभी भी दिल्ली से जयपुर आने वाली रोड खुला था। 25 दिसंबर को महाराष्ट्र से किसानों का एक बड़ा जत्था अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का० अशोक ढवले के नेतृत्व में यहां पहुंच गया। इस जत्थे के पहुंचते ही लाल झंडों का सैलाब सा आ गया और दिल्ली से जयपुर जाने वाला रास्ता भी रोक दिया गया।

रास्ता तो रुक गया लेकिन किसानों का आना नहीं रुका इस मोर्चे पर राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, बंगाल और

आंध्र प्रदेश के किसान अपनी एकजुटता बनाने और इस मोर्चे को ताकत देने के लिए लगातार आते रहे। आंध्र प्रदेश के किसान तो इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक लाख रुपए का चंदा भी देकर गए। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के किसानों का एक जत्था तो लगातार इस आंदोलन में शामिल है। सर्दी का पूरा मौसम किसानों ने अपने घर व खेतों की परवाह न करते हुए इसी सड़क पर गुजारा। 26 जनवरी को तो ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लग गई, हजारों किसान इस आंदोलन में भाग लेने के लिए और दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए शाजापुर खेड़ा पर पहुंच गए। किसान बैरिकेट तोड़कर दिल्ली में घुसने को आतुर थे। लेकिन अनुशासन में रहते हुए किसान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसानों का यह बड़ा जत्था मानेसर से वापस लौट आया।

सिघु और टिकरी बॉर्डर की तरह शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी लंबे अरसे तक अनशन का कार्यक्रम चलाया गया। लोहड़ी का त्यौहार मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिलों को जलाकर मनाया गया, सर छोटू राम की जयंती, 30 जनवरी को गांधी जी का शहादत दिवस, 27 फरवरी को रविदास जयंती, 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस, 31 जुलाई को उधम सिंह का शहादत दिवस, मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस आंदोलन में जहां एक तरफ शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, वहीं पर आंदोलन को और मजबूत करने के लिए राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में महा पंचायतों के आयोजन भी किए जा रहे थे। यह महा पंचायतें 7 फरवरी को झुरेड़ा भरतपुर, 17 फरवरी को निठार भरतपुरख्ख 18 फरवरी को रायसिंहनगर व घड़साना, 22 फरवरी को नोहर, 23 फरवरी को सरदारशहर व सीकर 25 फरवरी को करीरी, 2 मार्च को झुंझुनू, 3 मार्च को नागौर, 9 मार्च को गंगानगर, 12 मार्च को पीपाड़ सिटी, 19 मार्च को हनुमानगढ़ और 24 मार्च को जयपुर में आयोजित की गई। इन महा पंचायतों में हजारों हजार किसानों ने भाग लिया।

मार्च–अप्रैल में रबी की फसल की कटाई का समय आ गया, इस कटाई के दौर में और उसके बाद भीषण गर्मी के दौर में भी अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता इस मोर्चे पर डटे रहे। इसी दरमियान 29 जून को रात के समय एक भयंकर चक्रवर्ती तूफान आया जिसने सारे टैंट उखाड़ दिए। किसानों द्वारा बनाए गए तंबुओं में पड़े हुए गद्दे तूफान में रूई के फोहों की तरह उड़कर आसपास के खेतों में बिखर गए। किसानों ने सारी रात तंबुओं के बचे हुए लट्ठों को पकड़कर गुजारी और अगले दिन फटे पुराने टैंटों को ठीक किया, 1 जुलाई को फिर से आए तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।

अब तिबारा से व्यवस्था बनाने के लिए किसानों के पास कुछ ना बचा था। ऐसे में सहायता की अपील की गई और देखते ही देखते महज दो दिनों में नौं लाख पचास हजार रुपए का चंदा जमा हो गया। जिससे फिर से व्यवस्थित ढंग से तंबुओं का पक्का निर्माण किया गया इस गर्मी के बाद अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है। लगभग हर रोज बरसात आती है, मच्छरों की भरमार है, लेकिन किसान वहां पर डटे हुए है। किसान तीनों काले कानून वापस लिए जाने बिजली बिल वापस लेने और फसलों का समर्थन मूल्य का कानून बनाने तक यहां पर डटे रहने के लिए कटिबद्ध है। शाहजहां खेड़ा बॉर्डर पर अखिल भारतीय किसान सभा के अलावा किसान यूनियन टिकैत, जीकेएस और जय किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान इस बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। □

छोटा किसान भाजपा राज में परेशान

किसान सभा ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में झूठ और छल की निंदा की

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वार जहां एक तरफ संसद में किसानों की दुर्दशा पर बोलने व किसानो की मांगो को मानने से इनकार कर दिया गया, वही दूसरी तरफ देश को धोखा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर का इस्तेमाल करते हुए झूठा चित्रण किया कि भाजपा सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। भारत के किसान पिछले 8 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे है और देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही 600 से अधिक किसान संघर्ष में शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधान मंत्री किसानो की सुनने के बजाय कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने वाली नीतियों का ज़िद के साथ पालन कर रहे हैं। यदि वह वास्तव में छोटे किसानों के बारे में चिंतित थे तो उन्हें तीन कृषि अधिनियमों को निरस्त करने, विद्युत अधिनियम में संशोधन और एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून लाने की घोषणा कर देनी चाहिए थी।

कड़वी सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के शासन के पिछले 7 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी होने की बजाय घट गई है, साथ ही किसानों की आत्महत्या एक लाख को पार कर चुकी है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जिसे उन्होंने छोटे किसानों की मदद के तौर पर दिखाया था, वास्तव में एक बड़ी विफलता है। किसानों के दावों का निपटारा नहीं किया जाता जबकि किसानों के साथ–साथ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल सहित और कई राज्यों ने इसकी अक्षमता के कारण प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से बाहर होने का विकल्प चुना है। प्रधान मंत्री ने दावा किया है कि छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, पर उन की नीतियां लाखों काश्तकारों को खेती से बाहर कर रही है। कोविड महामारी के समय में भी जब किसानों की आय में भारी नुकसान हुआ था, तब भी कोई राहत या ऋण माफी नहीं की गई है।

फिर भी यह झूठ कि, न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत से ढेड़ गुना कर दिया गया है लाल किले से फैलाया जा रहा हैं। जबकि सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित सी 2 + 50 प्रतिशत फॉर्मूला लागू नहीं किया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस एमएसपी पर भी खरीद सुनिश्चित नहीं है, जो कि ज्यादातर फसलों के मामले में सी 2 + 50 प्रतिशत से 40–50 प्रतिशत कम है। अक्टूबर और नवंबर 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार 11 प्रमुख कृषि राज्यों में किसानों द्वारा उन दो महीनों में बेची गई फसलों के लिए एमएसपी से लगभग 1,900 करोड़ रुपये कम मिले है। मक्का की कीमतें 1,850 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के मुकाबले 1,100 रुपये और 1,550 रुपये प्रति क्विंटल के आसपासरही थीं। कर्नाटक में अक्टूबर 2020 में बाजरा का औसत मूल्य एमएसपी से 45 प्रतिशत कम था। मध्य प्रदेश में खरीद तंत्र की विफलता के कारण अक्टूबर, 2020 में ज्वार पर एमएसपी से 56 प्रतिशत कम मूल्य प्राप्त हुआ। प्रमुख राज्यों में धान का मूल्य एमएसपी से 15 प्रतिशत कम था और बिहार जैसे राज्यों में यह एमएसपी से लगभग 50 प्रतिशत कम था। धान में यदि सी2+50 प्रतिशत सुनिश्चित किया गया होता तो एमएसपी से 650 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग में एमएसपी से 1400 रुपये प्रति क्विंटल अधिक होता। सभी जरुरी चीजों की लागत विशेष रूप से डीजल, पेट्रोल और उर्वरकों में लगातार वृद्धि कृषि को महंगा बना रही है। उत्पादन लागत में वृद्धि और आय के नुकसान की तुलना में पीएम–किसानबहुत ही मामूली है, जिसके लिए भाजपा सरकार की नीतियां पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। वास्तव में छोटे किसान और काश्तकार भाजपा सरकार की नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

किसान सभा प्रधानमंत्री द्वारा किए गए झूठ और छल की निंदा करती है और इस किसान विरोधी सरकार को बेनकाब करने के लिए अभियान चलाएगी।

□

प्राकृतिक संसाधनों की लूट और राज्य प्रायोजित दमन के खिलाफ बस्तर में आदिवासियों का संघर्ष

–संजय पराते

छत्तीसगढ़ का बस्तर खदबदा रहा है। आदिवासी असंतोष अपने उबाल पर है। जगह–जगह जन आंदोलन हो रहे हैं, वहां पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कैम्प बनाये जाने के खिलाफ। इन आंदोलनों को क्रूरता से कुचला जा रहा है। सरकार को गोलियां चलाने और आदिवासियों को जान से मारने में भी कोई हिचक नहीं है। और यह सब हो रहा है विकास के नाम पर। सरकार के अनुसार यह विकास पक्की और चौड़े सड़क बनाने से ही आ सकता है। आदिवासी वन भूमि के पट्टे मांग रहे है, आंगनबाड़ी–अस्पताल–स्कूल मांग रहे हैं। वे मांग कर रहे है कि सड़क उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाने का उन्हें अधिकार दिया जाएं। लेकिन ये मांगें सरकार की विकास की परिभाषा में नहीं आती।

देशी–विदेशी कॉरपोरेटों की नजर बस्तर के जल–जंगल–जमीन और खनिज पर लगी है। इसके दोहन के लिए उन्हें सड़क चाहिए। इसके लिए आदिवासियों को बड़े पैमाने पर उनके गांवों–घरों से भगाना होगा। भाजपा राज में सलवा जुडूम इसीलिए शुरू किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। कांग्रेस राज ने इन सब 'उद्दंड' एसपीओ की भर्ती जिला आरक्षित सिपाही (डीआरजी) के रूप में कर दी है, जो पहले की तरह ही आदिवासी इलाकों में हत्याएं, लूटपाट और बलात्कार कर रहे हैं। आदिवासी पेसा कानून और 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू करने की मांग कर रहे है और कांग्रेस सरकार कह रही है कि संविधान में विश्वास नहीं रखने वालों से बात नहीं की जाएगी! पूर्व भाजपा सरकार की ही तरह अब कांग्रेस सरकार भी आदिवासी असंतोष को कुचलने के लिए बस्तर का सैन्यीकरण कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज बस्तर में हर पचास नागरिकों पर एक बंदूकधारी खड़ा है।

बस्तर संभाग के सुकमा जिले के सिलगेर गांव में 12–13 मई की रात तीन बजे सैन्य कैम्प बना दिया गया। वन भूमि पर काबिज दसियों आदिवासियों को इसके लिए बेदखल कर दिया गया। इस अवैध बेदखली ने जंगल में आग लगा दी। पचासों गांवों के लोगों ने कैम्प के सामने 13 मई से धरना शुरू कर दिया, जिसे हटाने के लिए तीन दिनों तक लाठियां चलाई गई और 16 मई को बगैर चेतावनी के गोलियां चलाई गई। इस गोलीकांड में एक गर्भवती महिला सहित चार ग्रामीण आदिवासी मारे गए और पचासों घायल हुए। पुलिस ने दावा किया कि उसकी गोली से मारे गए सभी लोग नक्सली हैं, जबकि आदिवासियों ने ठीक ही पूछा है कि हजारों की भीड़ पर चलाई गई पुलिस गोलियों ने नक्सलियों की ही पहचान कैसे की? इस गोलीचालन के बाद आदिवासियों का आक्रोश और बढ़ा तथा लंबे समय तक उनका धरना चलता रहा, जिसे कुछ आदिवासी नेताओं को डरा–धमकाकर, लालच देकर और छल–कपट करके ही खत्म करवाया जा सका। लेकिन आम आदिवासी आज भी अपनी मांगों के प्रति दृढ़–प्रतिज्ञ हैं।

सिलगेर में धरनारत आदिवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन (सीबीए) का एक दल 6

जुलाई को रवाना हुआ। सीबीए छत्तीसगढ़ में किसानों और दलित–आदिवासियों के बीच में काम करने वाले कई संगठनों का, जिसमें वामपंथी किसान संगठन भी शामिल है, साझा मोर्चा है और जो किसान संघर्ष समन्वय समिति से भी संबद्ध है। इस दल में छत्तीसगढ़ किसान सभा की ओर से मैं भी शामिल था। इसे रोकने के लिये पूरे उसूर ब्लॉक को उसी दिन कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। पूरे दल को गैर–कानूनी तरीके से सिलगेर से 150 किमी. दूर बीजापुर जिले की सीमा नेलसनार में ही रोक लिया गया। सीबीए दल ने वहीं थाने पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया तथा अपना एकजुटता संदेश व्हाट्सएप्प के जरिये संघर्षरत आदिवासियों को भिजवाया। दूसरे दिन रायपुर लौटकर सीबीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात की तथा कोरोना के बहाने जनता के अधिकारों को कुचलने के खिलाफ अपना तीखा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने सिलगेर हत्याकांड की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराए जाने की भी मांग की।

28 जून को सारकेगुड़ा में 17 आदिवासियों की याद में श्रद्धांजलि सभा थी। 28 जून 2012 को इन्हें एक कथित मुठभेड़ में मारा गया था, जिनमें 7 नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। ये सभी लोग बीज पंडुम त्यौहार मनाने की योजना बनाने के लिए इकट्ठे थे। यह त्यौहार फसल बुआई से पहले मनाया जाता है। तब से हर साल आदिवासी यहां इकट्ठे होते हैं, अपने प्रियजनों को याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते है। तब से हर साल इस आयोजन को रोकने के लिए सरकार की पूरी ताकत लगती है। इस हत्याकांड की जांच के लिए गठित जांच आयोग ने वर्ष 2018 में फर्जी मुठभेड़ बताते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन आदिवासियों को न्याय देने के नाम पर चुनकर आई कांग्रेस सरकार ने भी पिछले ढाई सालों में दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। आदिवासियों के लिए न्याय एक अंतहीन इंतज़ार का मामला बन गया है। सिलगेर जन संहार के कारण इस वर्ष इस श्रद्धांजलि सभा का विशेष महत्व था।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने इस श्रद्धांजलि और प्रतिवाद सभा मे हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद भी बीजापुर जिला प्रशासन ने हमें जगह–जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह हमें रोकने में असफल रहा। सारकेगुड़ा की सभा में 15 हजार से ज्यादा आदिवासी शामिल थे, जिसमें महिलाओं की संख्या आधी से ज्यादा थी। इस सभा को हमारे दल में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया, सीबीए संयोजक आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ किसान सभा से मैंने और अन्य लोगों ने संबोधित किया और बस्तर को कॉर्पोरेट लूट के लिए 'पुलिस राज्य' बनाये जाने की और नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों के दमन की तीखी निंदा की और उनके संघर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जनता यदि कैम्प नहीं चाहती, तो शांति बहाली के लिए सरकार को सैन्य कैम्प हटा लेना चाहिए। पेसा और 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी सरकार को इस इलाके में मनमाने तरीके से सैनिक बलों के कैम्प खोलने की इजाजत नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस इलाके का सैन्यीकरण आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनके अधिकारों के हनन और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के लिए हो रहा है।

इस सभा के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कॉ. हनान मौल्ला ने भी एकजुटता संदेश भेजा था, जिसे जन सभा छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय परते द्वारा रखा संदेश इस प्रकार था :

सारकेगुड़ा के भाईयों और बहनों,

संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से राज्य प्रायोजित पुलिसिया दमन के खिलाफ आपके द्वारा चलाये जा रहे संघर्षों का हम समर्थन करते हैं और आपके आंदोलन के साथ इस देश की समूची किसान जनता और शोषित–उत्पीड़ित तबकों की एकजुटता व्यक्त करते हैं। आपका संघर्ष इस देश में किसानों–मजदूरों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे व्यापक संघर्ष का ही अभिन्न हिस्सा है। आप बस्तर क्षेत्र में धरना में बैठे हैं, हम यहां दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं।

बस्तर 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। यहां पेसा कानून लागू होना चाहिए और ग्राम सभा की सर्वोच्चता और आदिवासी समुदाय की राय का सम्मान होना चाहिए। यही हमारे देश का संविधान कहता है। हम इस देश में और बस्तर में संविधान और संवैधानिक प्रावधानों को उसकी भावना में लागू करने के लिए लड़ रहे है।

जो भी सरकार और प्रशासन संविधान के खिलाफ जाकर काम करेगी, सत्ता में बने रहने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार की विदाई सुनिश्चित किया जाना चाहिये। प्रशासन के ऐसे आदेशों का कोई अर्थ नहीं है, जो आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलते हैं, उसका दमन करते हैं।

एक बार फिर हम आपके संघर्षों के साथ पूरे देश की जनता की एकजुटता का ऐलान करते है। बस्तर की आम जनता के अधिकारों के लिए चल रहा संघर्ष –– जिन्दाबाद!!

इस सभा में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर भी उपस्थित थी, जो बस्तर के हालात का अकादमिक अध्ययन करने के लिए जानी जाती है और उनकी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलवा जुडूम अभियान वापस लेने के निर्देश दिए थे। मीडिया ने इस जनसभा में हमारी उपस्थिति को काफी महत्व व कवरेज दिया। □

किसान मजदूरों का राज्य स्तरीय पटना कन्वेंशन का एलान 9 अगस्त को मोदी सरकार गद्दी छोड़ो

–प्रभुराज नारायण राव

9 जुलाई को पटना जमाल रोड पर बिहार राज्य किसान सभा सीटू और बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन किया गया । कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य 25 जुलाई से 8 अगस्त तक एक पखवारा संघर्ष अभियान को सफल बनाने तथा 9 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर होने वाले जंगजू प्रदर्शन को सफल बनाना है।

कन्वेंशन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले ने कहा कि आजादी की लड़ाई के बाद यह पहली बार देखा गया कि कोरोना महामारी में लाखों की संख्या में लोग मरे । हमारे महत्वपूर्ण साथी हमसे जुदा हो गए । गंगा में बहती लाशों को लोगों ने देखा। गुजरात की एक कवित्री ने लाशों की वाहिनी गंगा कहा।

गेहूं का एम एस पी 1975 रुपए निर्धारित किया गया। लेकिन बिहार के किसानों को 15 सौ रूपये क्विंटल या उस से कम दर पर गेहूं बेचना पड़ा। उनको एम एस पी का लाभ नहीं मिला। इसमें करोड़ो रुपये का घोटाला हुआ है।

सामाजिक कार्यकर्ता 84 साल के स्टेन स्वामी ने जमानत मांगी। उन पर देश द्रोह का इल्जाम लगाया गया। जमानत नहीं मिली और उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई।

काले कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दिल्ली बॉर्डर पर धरना पर बैठे किसानों को पाकिस्तान का सहयोगी बतलाया गया कि इसमें किसान नहीं है । इस तरह लोगों में भ्रम फैलाया गया । किसानों की जमीन को अंबानी और अदाणी जैसे कॉर्पोरेट को देने को सारे तिकड़म चलाया जा रहा है।

कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। 97 प्रतिशत लोगों की आमदनी घट गई। किसानी से जुड़े लोगों को भूख से लड़ना पर रहा है। लेकिन अंबानी और अदाणी आदि कॉर्पोरेट की संपत्ति में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ है । यह क्या बतलाता है । आज महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में रिलायंस का वहिष्कार किया जा रहा है। कोई भी किसान उनके पेट्रोल पम्प पर नहीं जाता।

देश में इस हालत को पैदा करने वाला केन्द्र की मोदी सरकार है । हमें एक होकर इस किसान , मजदूर विरोधी सरकार को हटाना होगा। उनके सांप्रदायिक नीतिओं को भी परास्त करना होगा।

हम 9 अगस्त को मोदी सरकार और अंबानी और अडानी से कहेंगे की भारत छोड़ो । क्योंकि इसी दिन 1942 में गांधी के एलान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो । हम 25 जुलाई से 8 अगस्त तक एक पखवारा गांव गांव तक जाकर लोगों को इस आंदोलन में गोलबंद कर , 9 अगस्त मोदी सरकार गद्दी छोड़ो; अंबानी , अदाणी भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे।

कन्वेंशन को अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि सात महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने पूरे भारत को सड़क पर ला दिया। 6 सौ से ज्यादा लोग आंदोलन में शहीद हो गए। लेकिन भाजपा नीत मोदी सरकार अपनी सांप्रदायिक नीतियों के बल पर लोगों को बांटने के काम के आधार को हीं केंद्रीय सत्ता में बने रहने का मुख्य शक्ति मानती है।

कन्वेंशन को सी आई टी यू के राष्ट्रीय सचिव ए आर सिंधु ने बतलाया की आज देश में नौकरी ही नहीं है , 23 करोड़ लोग इस कोरोना काल में गरीबी रेखा के नीचे चले गए । 2 करोड़ नौकरियां छीन ली गई। कोरपारेट ने अपना पैसा खर्च करके मोदी और भाजपा को गद्दी पर बैठाया है।

अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव नन्द किशोर शुक्ला ने कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने वाली संस्थाएं सहकारिता / पैक्स से एफ सी आई तक बहुमत अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन पीड़ित किसानों का लिस्ट सामने लाना है जिनके नाम पर झुठा गेहूं की खरीद दिखा कर करोड़ों का घोटाला किया गया है. स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा ध्वस्त हो चुका है । शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और मोदी सरकार का सदर अस्पतालों के निजीकरण का प्रस्ताव है और अब आपकी जमीन कॉर्पोरेट के लिये, सबकुछ यह सरकार छीन लेना चाहती है। उसे हटाने के लिए हमें गोलबंद होना होगा । 9 अगस्त आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन होगा। उस दिन बड़ी लड़ाई की तैयारी हो। बिहार के किसान चीनी मिलों को खोलना चाहते हैं ।वहां इथनौल प्लांट लगाने का विरोध होगा। भूमिहीन गरीबों के बेदखली पूरी ताकत से विरोध किया जायेगा।

कन्वेंशन को अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष अवधेश कुमार , बिहार राज्य किसान सभा के सचिव विनोद कुमार , सीटू के राज्य सचिव गणेश शंकर सिंह , बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के सचिव भोला दिवाकर ने भी संबोधित किया। बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव , श्याम भारती , अरुण कुमार , दिनेश सिंह , अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह आदि इस कंवेंशन मे सक्रिय रूप से शामिल थे।

कन्वेंशन की अध्यक्षता ललन चौधरी , दीपक भट्टाचार्य और देवेन्द्र चौरसिया की अध्यक्ष मंडली ने की। □

जल जंगल ज़मीन और किसान की लूट के खिलाफ मैदान में उतरीं उत्तराखंड किसांन सभा

–गंगाधर नौटियाल

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग में आलवैदर रोड़ के निर्माण में नेशनल हाइवे (NH) द्वारा तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर बिना ग्राम पंचायतों व वन पंचायतों की अनापत्ति व प्रस्ताव के भारी पैमाने पर अवैध बृक्षों का पातन व बड़े पैमाने पर पहाडों का अवैध खनन कर वन भूमि, वन पंचायतों की भूमि व लोगों की नाप भूमि के साथ साथ गांवों के रास्तों, पेयजल लाइन, सार्वजनिक व निजी सम्पत्तियों को नुकसान पंहुचने के बिरोद्ध में दिनांक 22 जून 2021 से शेरसी व 29 जून 2021को मैखण्डा में अखिल भारतीय किसान सभा की गुप्तकाशी व फाटा मंडल कमेटियों द्वारा इस क्षेत्र में NH व उनकी कार्यदायी कम्पनियां जिनकी सीधे भारत सरकार तक पंहुच होने से जनता की कोई परवाह न करने तथा छः छः महीने तक लोगों की शिकायतों की अनदेखी करने पर आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। दिनांक 7व 8 जुलाय 2021 को राज्य के पदाधिकारियों का0 सुरेन्द्रसिंह सजवाण, गंगाधर नौटियाल, का0 शिवप्रसाद देवली व का0 राजाराम सेमवाल ने क्षेत्र का भ्रमण किया तथा 09 जुलाय 2021 को रुद्रप्रयाग में प्रेस कान्फरैन्श कर , पदाधिकारियों की बैठक कर 20 जुलाय को इस आन्दोलन के समर्थन में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के निर्णय के साथ, छभ् के अधिशासी अभियन्ता,व सहायक अभियन्ता से पूरे क्षेत्र की समस्याओं पर बिस्तृत चर्चा कर क्षेत्र का भ्रमण करने की बात की, जिस पर 12जुलाय 2021 को NH के मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कार्यदायी कम्पनियां के मालिक व अधिकारियों के साथ दो दिन तक पूरे क्षेत्र का किसान नेताओं प्रान्तीय महामंत्री गंगाधर नौटियाल, प्रान्तीय उपाध्यक्ष का0 राजाराम सेमवाल जिले के नेता का0 दौलतसिंह ,अषाढ़सिंह, के साथ भ्रमण किया व किसान नेताओं ने अधिकारियों को एक एक समस्या से अवगत कराया और अधिकारियों ने समाधान का भी आश्वासन दिया।

किन्तु सवाल केवल गुप्तकाशी से सोनप्रयाग प्रयाग का नहीं है बल्कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में चाहे आल वैदर रोड़ का सवाल हो, गंगा सफाई अभियान हो, रेलवे प्रोजेक्ट निर्माण व अन्य कार्य हों, सभी कार्यों में पंचायतों को पूर्णतः किनारे कर लोगों के जंगल, वन पंचायत के जंगलों को बड़ी बड़ी कम्पनियां द्वारा नष्ट कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को लगातार कमजोर किया जा रहा है।

अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद लगातार जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला शुरू हुआ और उत्तराखण्ड में पंचायती राज संस्थाएं को दरकिनार कर बिना पंचायतों की अनापत्ति तथा बन पंचायतों के प्रस्ताव के बड़ी बड़ी निजी कम्पनियां द्वारा पूरे उत्तराखण्ड में राज्य एवं केन्द्र सरकार से बिद्युत प्रोजेक्ट स्वीकृत कराकर अचानक गांवों के जंगल काटे जाने लगे, जिसका पूरे उत्तराखण्ड में जगह जगह जनता में बिरोधी प्रारम्भ हो गया, कुछ ने बिरोध के चलते काम ही प्रारम्भ नहीं किया। कई मगर मच्छ बड़ी कम्पनियों सहित अन्य ने लोगो को आपस मे लड़वा ने के साथ साथ पुलिस प्रशासन का भारी दुरुपयोग कर दमनचक्र चलाने के साथ कई स्थानीय नवजवानों को नौकरी का झांसा देकर औन्दोलन को कमजोर किया, 2008 से 2012 तक 05 बर्षो तक लगातार आन्दोलन के चलते कुछ कम्पनियों का दिवाला निकल गया ,जिनके द्वारा इलाके को बुरी तरह बरबाद करने के साथ साथ स्थानीय नवजवानों को भी बेकार कर बैंक के करोडों रुपये भी डुबोये। लेकिन एल0 एण्ड0 टी0, व जी0बी0 के0 जैसी मगरमच्छ कम्पनियां अपने प्रोजेक्ट बनाने में सफल हो गये, जिन्होंने जनता के जमीन व जंगलों पर कब्जा जमाने के साथ पानी को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, और प्रोजेक्ट के काम के पूरा होने व बिद्युत उत्पादन शुरू होने के साथ साथ सभी तथाकथित रोजगार पर लगे नवजवानों को भी रोजगार से हटा दिया। उसके बाद बर्ष 2013 की केदारनाथ की आपदा उत्तराखण्ड के लिए एक और नया अभिशाप आया, इस आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए देश बिदेशी के लोगों ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए अरबों रुपये दिये लेकिन यह पैसा भी आपदा प्रभावितों पर खर्च करने के बजाय टाटा, जिन्दल आदि बड़े घरानों के घर भरने में आज तक खर्च हो रहा है और स्थानीय लोगों जिनमें न केवल जनपद रुद्रप्रयाग बल्कि , चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ, अल्मोडा, टिहरी, उत्तरकाशी, नजीमाबाद, (उ0 प्र0)तक के लोगों का रोजगार चलता था, आज केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों सहित राज्य के इन सभी लोगो और यहां तक कि स्थानीय लोगो के पशुओं जो परम्परागत रुप से यहां चुगांन करने जाते हैं उन्हें चुगांन करने तक से भी प्रतिबंधित किया जा रहा है, और अब औलवैदर रोड़, नदी सफाई व रेलवे प्रोजेक्ट निर्माण मे पंचायतों को दरकिनार कर, न केवल जल, जंगल व जमीन को बुरी तरह नष्ट किया जा रहा है बल्कि इन बिशालकाय कम्पनियों की स्वयं की भारी मशीनरियों के कारण प्रदेशवासियो के लिए रोजगार के लिए भी कोई स्थान नहीं है। □

किसान सभा की अगुवाई में तमिल किसान दिल्ली पंहुचे

तमिलनाडु के करीब 1,000 किसानों की एक शक्तिशाली टीम, जिसमें महिला किसान भी शामिल थीं, अखिल भारतीय किसान सभा के लाल झंडे थामे हुए और नारे बुलंद करते हुए, गत 5 अगस्त को दिल्ली पहुंची।

दिल्ली पंहुचने के लिए उन्होंने ट्रेन से करीब 3,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। दिल्ली में पुलिस ने उन्हें उस वक्त रोक दिया, जब वे संसद की ओर बढ़ रहे थे। वहां उन्होंने एक आम सभा की। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ और उचित एमएसपी की गारंटी के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने के लिए, अखिल भारतीय संघर्ष को मजबूत बनाने के वास्ते अखिल भारतीय किसान सभा की तमिलनाडु राज्य इकाई ने, इस विरोध कार्रवाई का आयोजन किया था।

इस कार्रवाई के दौरान उनके राज्य विशेष के मुद्दे भी उठाए गए और एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यालय के जरिए ज्ञापन भी दिया।

अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला तथा अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष के बालकृष्णन, (अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य इकाई), तमिलनाडु विवासाइगल संघम के महासचिव पी षणमुगम, अध्यक्ष वी सुब्रमणि, कोषाध्यक्ष के पेरूमल और अखिल भारतीय गन्ना किसान फेडरेशन के अध्यक्ष डी रवींद्रन, इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

इस अवसर पर आयोजित आम सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मौल्ला, अध्यक्ष अशोक ढवले, उपाध्यक्ष के बालकृष्णन, मदुरै के सांसद एस वेंकटेसन, कोयंबटूर के सांसद पी आर नटराजन, राज्यसभा सांसद डा0 वी शिवदासन, अखिल भारतीय किसान सभा के सहसचिवों वीजू कृष्णन, एन के शुक्ल तथा बादल सरोज, वित्त सचिव पी कृष्णाप्रसाद, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के महासचिव बी वेंकट, सहसचिव विक्रम सिंह, सीटू सचिव करूमालैयन और तमिलनाडु के उपरोक्त नेताओं ने संबोधित किया।

तमिलनाडु की अखिल भारतीय किसान सभा की टीम विरोध प्रदर्शनस्थल सिंघू बॉर्डर पर एक हफ्ते तक रुकी और पंजाब तथा हरियाणा के उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां डटी रही, जो पिछले करीब साढ़े आठ महीनों से वहां डटे हुए हैं।

9 अगस्त को सैकड़ों लाल झंडों के साथ अखिल भारतीय किसान सभा ने सिंघू बॉर्डर पर 'भारत बचाओ' के नारे के साथ एक प्रभावशाली मानव श्रृंखला और किसानों की रैली का आयोजन किया। □

हरियाणा के किसान आंदोलन की विभिन्न कार्यवाहियां

हिसार में किसानों की जीत

24 मई को हरियाणा के किसानों ने राज्य की भाजपा–जेजेपी की दमनकारी सरकार के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल की। इस दिन हिसार के क्रांतिमन पार्क में एस के एम के नेतृत्व में 10,000 से ज्यादा किसानों ने जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन किया।

इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार ने 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मियों को तैनात किया था। इसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग वहां पंहुच गए। इतनी विशाल जनलामबंदी के खिलाफ पुलिस कुछ भी नहीं कर पायी।

इन प्रदर्शनकारी किसानों ने भाजपा–जेजेपी सरकार और उसकी पुलिस की गत 16 मई को हिंसार में किए गए दमन के लिए भर्त्सना की। उस दिन प्रदर्शनकारियों पर बर्बर पुलिसिया कहर टूटा था। उन पर लाठीचार्ज किया गया था और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। इस पुलिसिया कार्रवाई में सैकड़ों किसान जख्मी हुए थे।

इन जख्मों पर नमक छिड़कते हुए प्रशासन अपने वचन से मुकर गया और उसने धारा 307 (हत्या की कोशिश) और आइ पी सी की दूसरी धाराओं के तहत 350 से ज्यादा किसानों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए। इन किसानों का एक मात्र "जुर्म" यह था कि वे उस कार्यक्रम के खिलाफ शांतिपूर्ण ढ़ंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खट्टर भाग ले रहे थे।

24 मई को किसानों ने डिविजनल कमीश्नर कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया। लेकिन यह घेराव शुरू होता इससे पहले ही एस के एम प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित कर लिया गया।

हिसार के डिविजनल कमीश्नर की अगुवाई में प्रशासन तथा एस के एम नेताओं के बीच लंबी द्विपक्षीय बातचीत के बाद इस बात पर सहमति बनी कि 16 मई की घटनाओं के सिलसिले में और इससे पहले भी दर्ज किए गए तमाम पुलिस केस वापस ले लिए जाएंगे, किसानों के उन वाहनों का मुआवजा दिया जाएगा, जिन्हें पुलिस द्वारा नुकसान पंहुचाया गया और 24 मई के प्रदर्शन के दौरान हृद्यघात से मरे किसान रामचंद्र के एक परिजन को रोजगार दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से कमीश्नर ने 16 मई की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर खेद भी व्यक्त किया।

एस के एम के जिन प्रमुख नेताओं ने किसानों को संबोधित किया और जिन्होंने प्रशासन के साथ हुयी बातचीत में भाग लिया उनमें बलबीरसिंह राजेवाल, जोगेंद्रसिंह उग्राहां, गुरनामसिंह चढूनी, राकेश टिकैत, जगजीतसिंह दल्लेवाल, अशोक ढ़वले, युद्धवीरसिंह, पी कृष्णाप्रसाद, मेजर सिंह पुन्नेवाल, इंद्रजीत सिंह, सुरेंद्रसिंह, फूलसिंह श्योकंद, सुमित, कंवलजीत संधू, अभिमन्यू कोहाड़, रंजीत राजू, सोमवीर सांगवान आदि शामिल थे। इस मौके पर उपस्थित हजारों किसानों ने जनविरोधी तथा कार्पोरेटपरस्त मोदी निजाम और उसकी विनाशकारी नीतियों की कड़ी निंदा की।

टोहाना में विजयी किसानों की घेराबंदी

भाजपा–जजपा राज्य सरकार और उसकी पुलिस पर 24 मई को हिसार में 10,000 से अधिक किसानों के विशाल प्रदर्शन द्वारा दर्ज की गई बड़ी जीत के बाद, हरियाणा के किसानों ने 7 जून को टोहाना में एक और बड़ी जीत हासिल की। 4,000–5,000 किसानों ने तीन तक रात और दिन के लिए पुलिस थाने की घेराबंदी की।

आंदोलन को बाधित करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार किसानों और पुलिस को एक–दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का नापाक खेल खेल रही है। इसके लिए पुलिस का दुरूपयोग कर सरकार द्वारा स्थानीय युवकों को आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार कर आतंकित किया जा रहा है। जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली द्वारा 1 जून को किए गए किसान विरोधी कृत्य के खिलाफ किसानों ने अपना विरोध शुरू कर दिया। पुलिस ने तीन युवा कार्यकर्ता विकास सीसर, रवि आजाद और मखन सिंह को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया था।

हजारों किसानों ने टोहाना थाने का घेराव किया और तीन युवकों को रिहा करने और उनके खिलाफ झूठे आपराधिक मामले वापस लेने की मांग के साथ लगातार घेराव किया। किसानों ने जोर देकर कहा कि, अगर ऐसा नहीं किया गया तो, सभी को भी गिरफ्तार किया जाए। धरना स्थल पर लंगर शुरू कर दिया गया और पुलिस कर्मियों को भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया।

एसकेएम की ओर से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चारुनी, जोगिंदर सिंह उगराहन, योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह, पी कृष्ण प्रसाद, इंद्रजीत सिंह और अन्य ने किया। किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के अन्य साथी जो प्रदर्शनकारियों के साथ रहे और उन्हें संबोधित किया उनमें फूल सिंह श्योकंद, सुमित सिंह, राम चन्द्र सहनाल, विष्णु दत्त, मास्टर बलबीर सिंह, शकुंतला जाखड़, मिया सिंह और अन्य शामिल थे। जगतार सिंह संचालन करने वाले पैनल में शामिल थे। दूसरों के साथ–साथ किसान सभा के साथी भी अच्छी संख्या में मौजूद थे, हर जगह लाल झंडे दिखाई पड़ रहे थे।

आखिरकार, टोहाना विधायक बबली को अपने अपमानजनक बयानों के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा और तीन दिन की घेराबंदी के अंत में पुलिस को तीनों युवकों को रिहा करने तथा उनके खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। टोहाना की जीत हिसार की जीत के बाद हुई, जिसमें 350 से अधिक किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लेने पड़े थे। इन दोनों जीत ने न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में किसानों को उत्साहित किया।

सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किसान महासम्मेलन

28 जून को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के झंडे तले हरियाणा तथा राजस्थान की सीमा पर स्थित मेवात क्षेत्र में सुनेहड़ा बॉर्डर पर एक विशाल किसान–मजदूर भाईचारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। हजारों किसानों– हिंदुओं, मुसलमानों तथा सिखों– ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इनमें हजारों महिलाएं भी शामिल थीं।

मेवात क्षेत्र में हरियाणा के नूंह, राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर और उत्तरप्रदेश के मथुरा जिलों के हिस्से आते हैं, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम किसान आबादी रहती है।

यह महासम्मेलन इस क्षेत्र में हाल ही में हुयी दो त्रासदियों की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों के झगड़े में आसिफ नामक एक युवक की हत्या हो गयी थी। आरएसएस–भाजपा तथा उनके गुंडों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और यहां तक कि अपराधियों के समर्थन में एक 'महापंचायत' तक का आयोजन भी कर दिया, ताकि अभी जो एकजुट किसान संघर्ष चल रहा है, उसकी एकता को तोड़ा जा सके।

दूसरी घटना जुनैद नामक एक और युवक की हत्या की है, जिसे पुलिस थाने में बर्बरतापूर्वक पीट– पीटकर मार डाला गया। इसके खिलाफ विरोध के आयोजन के बाद अनेक किसानों को गिरफ्तार किया गया और हरियाणा की भाजपा–जेजेपी सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए।

यही थी वह पृष्ठभूमि जिसमें तमाम तरह की उकसावेबाजी के खिलाफ , सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

इस महासम्मेलन की अध्यक्षता दर्शनपाल ने की और गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, अशोक ढ़वले, जगजीत सिंह दल्लेवाल, अभिमन्यू कोहाड़, इंद्रजीत सिंह, इब्राहीम खान, मौलाना सलीम, सुदेश कौर गोयल, जगजीत कौर पन्नू, सतबीर सिंह, पवन दुग्गल तथा दूसरे नेताओं ने इस महासम्मेलन को संबोधित किया। पी कृष्णाप्रसाद तथा मनोज ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इस महासम्मेलन को संबोधित करनेवाले सभी वक्ताओं ने मोदी–शाह–अंबानी–अडानी धुरी पर जमकर हमला बोला और भाजपा–आरएसएस की 'बांटो और राज करो' की नीति के संबंध में लोगों को चेताया। उन्होंने 26 जून के 'खेती बचाओ–लोकतंत्र बचाओ' संबंधी कार्रवाईयों में देश भर में लाखों मेहनतकशों के भाग लेने का अभिनंदन किया और किसानी के तथा देश के असली दुश्मनों के खिलाफ, एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष एकता कायम करने का आह्वान किया। □

26 जून 2021 चंडीगढ़ में राजभवन घेराव

9 अगस्त 2021 को सिंघु बॉर्डर पर मानव श्रृंखला बनाते तमिलनाडु के साथी और किसान सभा का केंद्रीय नेतृत्व

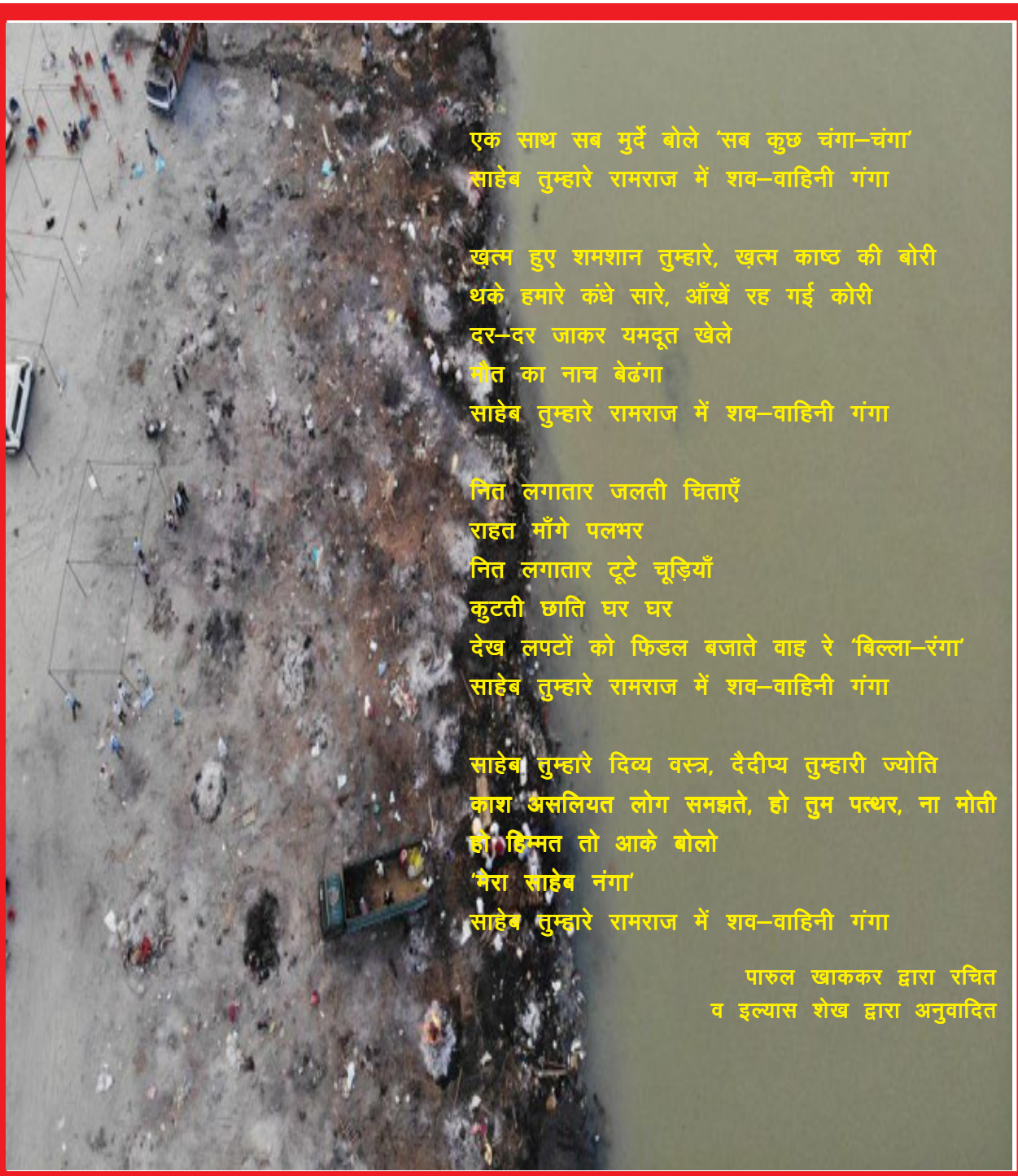

एक साथ सब मुर्दे बोले 'सब कुछ चंगा–चंगा'
साहेब तुम्हारे रामराज में शव–वाहिनी गंगा

ख़त्म हुए शमशान तुम्हारे, ख़त्म काष्ठ की बोरी
थके हमारे कंधे सारे, आँखें रह गई कोरी
दर–दर जाकर यमदूत खेले
मौत का नाच बेढंगा
साहेब तुम्हारे रामराज में शव–वाहिनी गंगा

नित लगातार जलती चिताएँ
राहत माँगे पलभर
नित लगातार टूटे चूड़ियाँ
कुटती छाति घर घर
देख लपटों को फिडल बजाते वाह रे 'बिल्ला–रंगा'
साहेब तुम्हारे रामराज में शव–वाहिनी गंगा

साहेब तुम्हारे दिव्य वस्त्र, दैदीप्य तुम्हारी ज्योति
काश असलियत लोग समझते, हो तुम पत्थर, ना मोती
हो हिम्मत तो आके बोलो
'मेरा साहेब नंगा'
साहेब तुम्हारे रामराज में शव–वाहिनी गंगा

पारुल खाककर द्वारा रचित
व इल्यास शेख द्वारा अनुवादित

मूल्य : 20 रुपये

अखिल भारतीय किसान सभा

36, केंनिंग लेन ;पंडित रविशंकर शुक्ला लेनद्ध नई दिल्ली–110001
पफोन व पैफक्स : 011–23782890 ई–मेल : ापेंदेंईं/हउंपसण्बवउ
प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए 21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095